खण्ड-442, अंक-2
शुक्रवार, 18 श्रावण, शक संवत् 1924
(9 अगस्त, 2002 ई0)

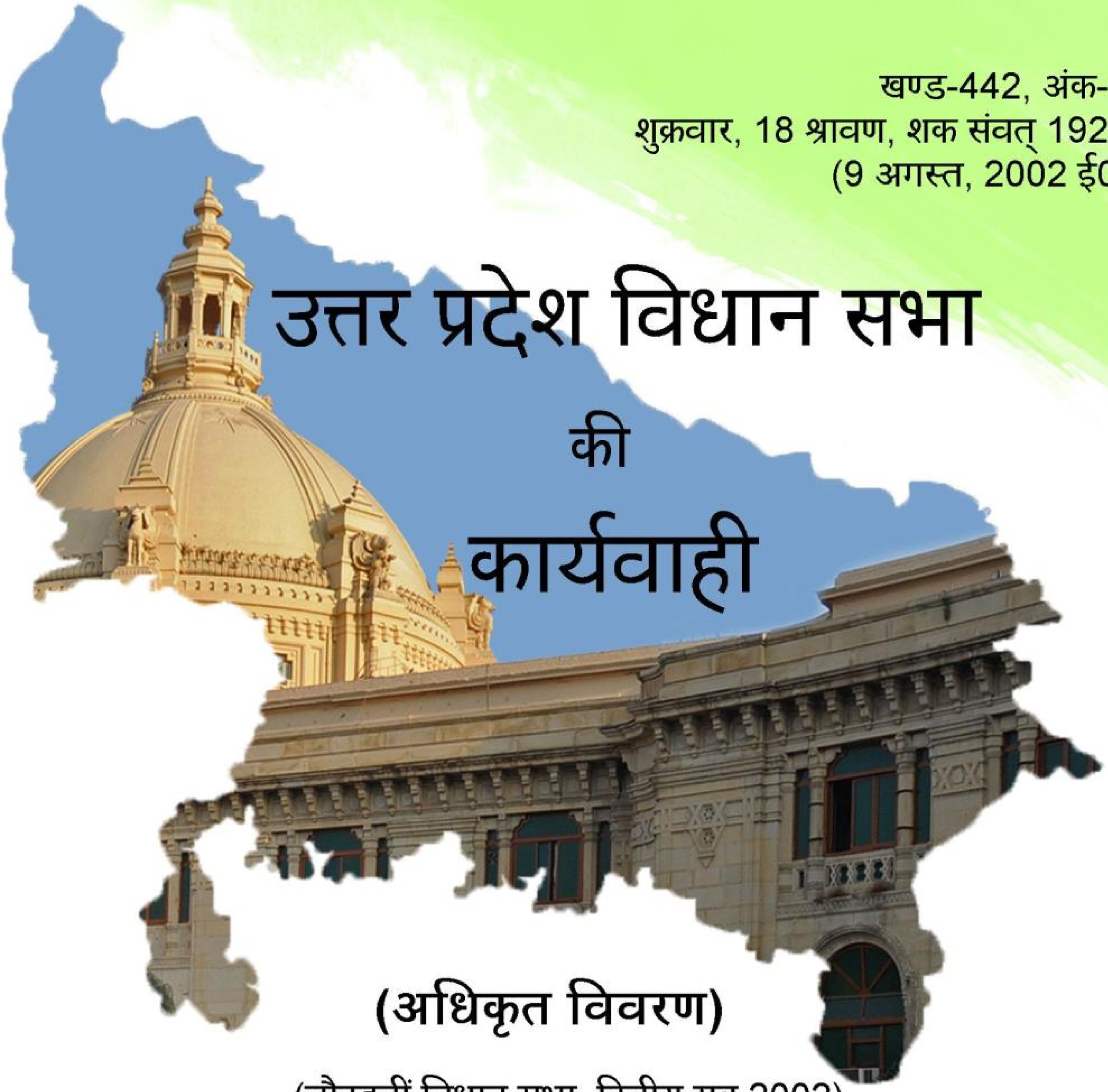

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2002)

खण्ड 442 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2002

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रदेश में सूखे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की मांग	1
प्रश्नोत्तर	1–51
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (सदन के पटल पर रखा गया ।)	51
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (सदन के पटल पर रखा गया ।)	52
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (सदन के पटल पर रखा गया ।)	52
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (सदन के पटल पर रखा गया ।)	52
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (सदन के पटल पर रखा गया ।)	52
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 (सदन के पटल पर रखा गया ।)	52
उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अध्यादेश, 2002 (सदन के पटल पर रखा गया ।) ...	52
उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (सदन के पटल पर रखा गया ।)	52
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (सदन के पटल पर रखा गया ।)	52
उत्तर प्रदेश ताज आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2002 (सदन के पटल पर रखा गया ।)	53
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 (सदन के पटल पर रखा गया ।)	53
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (सदन के पटल पर रखा गया ।)	53
भारतीय विद्युत उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (सदन के पटल पर रखा गया ।)	53
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 (सदन के पटल पर रखा गया ।)	53

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 (सदन के पटल पर रखा गया।) 53

श्री राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति सदन द्वारा स्वीकृत धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्यपाल का उत्तर 53–54

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं 54–55

महिला कल्याण विभाग में आवश्यकता से अधिक आशुलिपिकों एवं ड्राइवरों को सेवा से हटाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... 55

आगरा के मुख्य नालों की तलीझाड़ सफाई एवं अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 55–56

जनपद बांदा में तुलसी नगर के स्थायी-निर्माण हेतु अवैधानिक तरीके से भूमि अर्जन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... 56

जनपद बांदा के पैलानी थानान्तर्गत सांड़ी को सामन्तशाही अपराधियों द्वारा उजाड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... 56–57

बहराइच नगर पालिका परिषद द्वारा प्रतिबन्ध के बावजूद नियुक्तियां तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... 57

जनपद लखीमपुर के कस्बा ओटाल से खानपुर गुरेला मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 57

जनपद मेरठ में ए०आर०बी० (वैकसीन) की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 57–58

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं 58

नियम–311 के अन्तर्गत सूचनाएं 58

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव ...(स्वीकृत) 58–61

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2002 ... (पुरःस्थापित) 61

उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन विधेयक, 2002 ... (पुरःस्थापित) 61–62

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, 2002 ... (पुरःस्थापित) 62

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं 62–63

"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु नयी विद्युत उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए समयबद्ध योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में संकल्प पर चर्चा" ... ... (जारी) 63–64

विषय				पृष्ठ-संख्या
"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी दूर करने हेतु सरकारी विभागों में प्रचलित ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर ठेकेदारों से कराये जाने वाले कार्य बेरोजगारों को देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में संकल्प पर चर्चा"	...	...	(जारी)	64
प्रदेश को अकाल ग्रस्त घोषित किये जाने की मांग		...	(जारी)	64–65
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरण के सम्बन्ध में सूचना	...	...	...	65
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक	...	...	(प्रस्तुत) (जारी)	66
प्रदेश को अकाल ग्रस्त घोषित किये जाने की मांग		...	...	66–68
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक	...	...	...	68–98
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	...	...	98–99
नत्थी	...	...	...	100

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(चौदहवीं विधान सभा)

शुक्रवार, दिनांक 9 अगस्त, 2002

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

1–अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
2–अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
3–अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
4–अमरमणि, श्री	महराजगंज
5–अमिता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
6–अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
7–आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
8–आनन्द सेन, श्री	फैजाबाद
9–उदयभान सिंह, श्री	वाराणसी
10–ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
11–कमलेश कुमार पासवान, श्री	गोरखपुर
12–कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात
13–काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
14–चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
15–चन्द्र भद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
16–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
17–परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
18–फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
19–बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
20–भरतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
21–मदन भैया, श्री	बागपत
22–महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
23–मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
24–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	कुशीनगर/पडरौना
25–राज नाथ सिंह, श्री	बाराबंकी
26–रेवती रमण सिंह, कुं०	इलाहाबाद
27–विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदास-नगर भदोही
28–विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
29–संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
30–समर पाल सिंह, श्री	बागपत
31–सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
32–स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
33–हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 9 अगस्त, 2002

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

प्रदेश में सूखे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की मांग

(घोर व्यवधान)

(श्री दुर्गा प्रसाद यादव एवं श्री वसीम अहमद के हाथ में बैनर समेत तथा कई सदस्यगण अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे और यह मांग करने लगे कि प्रदेश को अकालग्रस्त घोषित किया जाए । इसके बाद सदस्य वेल में आ गये)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

वसीम साहब आप अपना बैनर मार्शल को दे दीजिए ।

(श्री अध्यक्ष के आदेश से डिप्टी मार्शल ने बैनर को अपने कब्जे में ले लिया ।)

(घोर व्यवधान)

(श्री शारदा नन्द अंचल, श्री राम विशुन आजाद, श्री उदयराज यादव, श्री राम करन आर्य, श्री अब्दुल कलाम (सन्त कबीर नगर), श्री विशम्भर प्रसाद निषाद तथा नारद राय आदि कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर जोर-जोर से बोलने लगे ।)

श्री अध्यक्ष–

सदन की कार्यवाही 11.30 बजे तक स्थगित की जाती है ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 03 मिनट पर सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 11 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि मा० अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक बढ़ा दिया है ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण हेतु सरकार की नीति

**1–श्री संजय गर्ग व श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार को यह जानकारी है कि क्या प्रदेश की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है ? यदि हां, तो क्या ग्रामीण अंचलों में रहने वाले अशिक्षित लोगों को सरकार द्वारा प्रचारित जनसंख्या नियंत्रण

नोट :–उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–41 के अनुसार सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है ? यदि हां, तो किन-किन माध्यमों से ? क्या सरकार इस हेतु कोई प्रभावी नीति बनाये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह)–

जी हां ।

जी हां ।

जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में आकाशवाणी एवं दूरदर्शन, रैलियों, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य शिविरों, प्रदर्शनियों, स्वास्थ्य मेलों, महिला स्वास्थ्य संघ आदि के माध्यम से ग्रामीण अंचलों के अशिक्षित लोगों में जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता एवं उसके उपायों का प्रचार-प्रसार किया जाता है ।

जी हां ।

प्रदेश की जनसंख्या नीति दिनांक 11 जुलाई, 2000 को घोषित की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में सूखे से निपटने/सूखा पीड़ितों को राहत प्रदान करने हेतु प्रभावी कार्य योजना

**2–श्री श्यामदेव राय चौधरी, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री कमाल यूसुफ मलिक, श्री जगदम्बिका पाल, श्री अवधेश प्रसाद, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री उदय राज, श्री आनन्द सेन, श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह राणा, श्री शारदा नंद अंचल व श्री राम नरेश यादव–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में सूखे से निपटने तथा सूखा पीड़ितों को राहत देने हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उक्त कार्य योजना क्या है ?

राजस्व मंत्री (श्री रवि गौतम)–

जी हां । राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01-08-2002 तक प्रदेश के 62 जनपदों में जहां सूखे के कारण फसलों में 50% या इससे अधिक की हानि हुई है, भू-राजस्व एवं सिंचाई देयों की वसूली 31 मार्च, 2003 तक स्थगित करने के आदेश दे दिये गये हैं । सभी जिलाधिकारियों को सूखे से निपटने के लिए जनपद स्तरीय कार्य योजना बनाने के निर्देश पूर्व में ही जारी कर दिये गये थे और इस क्रम में जिलाधिकारियों द्वारा कार्यवाही करने से अवगत कराया गया है । सभी जिलाधिकारियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं । ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था, पशु चारे की व्यवस्था, मनुष्यों एवं पशुओं के लिए दवाई की व्यवस्था आदि सुनिश्चित करने के भी निर्देश जारी किए गये हैं और संबंधित विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है । भारत सरकार को भी इस दिशा में आवश्यक धनराशि दिये जाने हेतु मेमोरेण्डम प्रस्तुत कर दिया गया है ।

कार्य-योजना के संक्षिप्त सार से संबंधित विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृ० 100 पर ।)

तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में वितरण परिव्यय/उत्पादन में सृजित निदेशक के पदों की जानकारी

*1–डा० अशोक बाजपेयी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पावर कारपोरेशन में वितरण परिव्यय एवं उत्पादन में कुल कितने पद निदेशक के सृजित हैं ? उक्त सृजित पदों में से कितने पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं तथा कितने

पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्तियां करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)–

उ० प्र० पावर कारपोरेशन में वितरण परिव्यय एवं उत्पादन में से मात्र निदेशक, वितरण का पद ही सृजित है, जो वर्तमान में रिक्त है।

जी हां।

नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में दसवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत तापीय विद्युत गृह लगाये जाने की मांग

*2–कुं० रेवती रमण सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में आठवीं और नवीं पंचवर्षीय योजना में कोई भी तापीय विद्युत गृह नहीं लगाये गये ? यदि हां, तो क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना में तापीय विद्युत गृह लगाये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 2×500 मे०वा० की अनपरा "ब" तापीय परियोजना स्थापित हुई है।

जी हां।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में 2×210 मे०वा० पारीछा विस्तार परियोजना, पारीछा एवं 2×500 मे०वा० अनपरा "सी" तापीय परियोजना, अनपरा लगाया जाना प्रस्तावित है।

उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु नीति का निर्धारण

*3–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु कोई नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, पंचायती राज, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

जी हां।

प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक जनपद में मत्स्य पालक विकास अभिकरण स्थापित किए गए हैं जिनके द्वारा गांव सभा के तालाबों के पट्टों में सहयोग, तालाब सुधार व निर्माण हेतु बैंक ऋण व शासकीय अनुदान, इन्टीग्रेटेड फिश फार्मिंग को प्रोत्साहन, अल्पकालिक प्रशिक्षण, मत्स्य बीज आपूर्ति आदि सुविधायें दिए जाने की व्यवस्था है। कृषि नीति, 1999 के अन्तर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक प्रदेश का मत्स्य उत्पादन दो गुना बढ़ाये जाने तथा तालाबों की औसत मत्स्य उत्पादकता 2300 कि०ग्रा०/है०/वर्ष से 3980 कि० ग्रा० है वर्ष तक बढ़ाने का लक्ष्य है। मत्स्य बीज की

निरन्तर बढ़ती मांग की पूर्ति हेतु निजी क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी । इस हेतु निजी क्षेत्र में मिनी हैचरियों की स्थापना नाम से योजना क्रियान्वित की जा रही है । उक्त के अतिरिक्त कैट फिश कल्चर एवं मीठे पानी के झींगा संवर्धन पर अध्ययन कार्य भी प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया नगर में स्थित धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग

*4–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में बलिया नगर स्थित महात्मा दर्दर मुनी आश्रम मन्दिर, सीयर क्षेत्र, ऐतिहासिक सोनाडीह मेला स्थित माता बागेश्वरी मन्दिर, स्वतन्त्रता संग्राम के अग्रणी ग्राम चरौंवां के ऐतिहासिक शिव मन्दिर, भगवान महात्मा गौतम बुद्ध के विश्राम स्थल, घाघरा नदी का बेल्थरा बाजार घाट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना क्या सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त स्थलों को कब तक विकसित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जिला योजनान्तर्गत संस्तुति प्राप्त होने पर ही स्वीकृति दिए जाने पर विचार किया जा सकता है ।

प्रदेश में की जा रही बिजली की कटौती सम्बन्धी जानकारी

*5–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिजली की बड़े पैमाने पर कटौती की जा रही है ? क्या ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कटौती में विषमता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

जी, हां ।

मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र को कटौती से मुक्त रखा गया है । समय-समय पर कुछ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उनके महत्व को देखते हुए, कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु, विशेष आयोजनों पर तथा जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर कटौती में कमी की गई है तथा कुछ को मुक्त भी किया गया है ।

उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा बनायी गयी कार्य योजना

*6–श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री पारसनाथ यादव तथा श्री अवधेश प्रसाद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या निजी क्षेत्रों को थर्मल पावर प्लान्ट स्थापित किये जाने हेतु अनुमति दी गयी है ? यदि हां, तो उनमें उत्पादन कब से प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

विकासकर्ता द्वारा फाइनेन्शियल क्लोजर प्राप्त कर लेने के 41 माह पश्चात् उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा ।

श्रीनगर जल विद्युत परियोजना द्वारा सी०ई०ए० को दी गयी प्रोजेक्ट कास्ट एवं सी०ई०ए० द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट कास्ट तथा विद्युत दरों की जानकारी

*7–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीनगर जल विद्युत परियोजना द्वारा सी०ई०ए० को जो प्रोजेक्ट कास्ट दी गयी थी उसमें विद्युत दर कितने पैसे प्रति यूनिट थी तथा सी०ई०ए० ने जो प्रोजेक्ट कास्ट स्वीकार किया है उसमें प्रति यूनिट विद्युत दर क्या है ? क्या यह सत्य है कि सी०ई०ए० ने 2400 करोड़ रुपये की कास्ट को अस्वीकार करके 1600 करोड़ रुपया प्रोजेक्ट कास्ट स्वीकृत करने के कारण प्रोजेक्ट नहीं लग पा रहा है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

विकासकर्ता द्वारा रु० 4.13 पैसे प्रति यूनिट की दर सूचित की गयी है तथा सी०ई०ए० द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट कास्ट के अनुसार ऊर्जा की रु० 2.98 यूनिट है ।

जी नहीं, परियोजना हेतु सभी आवश्यक क्लीयरेंसस प्रदान किये जा चुके हैं । विकासकर्ता द्वारा फाइनेन्शियल क्लोजर की तिथि 31-12-2002 तक बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में लगाये गये इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प की मरम्मत/रख-रखाव हेतु कार्य योजना

*8–श्री राम विशुन आजाद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में लगाये गये इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प की मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

ग्रामीण क्षेत्रों में इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्पों की मरम्मत तथा रख-रखाव का कार्य दिनांक 31-3-2002 तक उ० प्र० जल निगम द्वारा कराया जा रहा था । दिनांक 1-4-2002 से इनके अनुरक्षण का कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जा रहा है ।

नगरीय क्षेत्रों में स्थापित हैण्डपम्पों की मरम्मत/अनुरक्षण का कार्य शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपने संसाधनों से तथा राज्य वित्त आयोग/ग्यारहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से स्वनिर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य की तापीय विद्युत उत्पादन इकाइयों के ब्वायलर ट्यूब लीकेज व उस पर व्यय धन का विवरण

*9–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य की तापीय विद्युत उत्पादन इकाइयों के ब्वायलर ट्यूब में वर्ष 2001-2002 में लीकेज की कितनी घटनायें प्रकाश में आयीं ? उक्त लीकेज होने एवं विद्युत उत्पादन ठप्प होने के मुख्य कारण क्या है ? मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि राज्य के तापीय विद्युत गृहों के वार्षिक अनुरक्षण पर विगत 3 वर्षों में कितना धन व्यय किया गया ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

राज्य के तापीय विद्युत गृहों की 28 उत्पादन इकाइयों में वर्ष 2001-2002 में ब्वायलर ट्यूब में लीकेज की कुल 231 घटनाएं हुई हैं ।

ब्वायलर ट्यूब लीकेज एवं विद्युत उत्पादन ठप्प होने के मुख्य कारण निम्न हैं :–

(1) तापीय विद्युत गृहों की इकाइयों का औसत आयु से भी काफी पुरानी होना ।

(2) धन की कमी के कारण पुरानी ब्वायलर ट्यूब का अनुरक्षण/बृहद् अनुरक्षण अथवा बदलना संभव न हो पाना ।

(3) कोयले में राख की मात्रा अधिक होने से ब्वायलर ट्यूब का अधिक क्षरण होना ।

राज्य के तापीय विद्युत गृहों के वार्षिक अनुरक्षण पर वर्ष 1999-2000 में रु०–4144.44 लाख, वर्ष 2000-2001 में रु०–5544.56 लाख एवं वर्ष 2001-2002 में रु० –5813.49 लाख व्यय हुआ ।

लखनऊ महानगर की विद्युत व्यवस्था ठीक करने हेतु एक 220 के०वी० व दो 132 के०वी० उपकेन्द्र स्थापित करने की मांग

*10–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ महानगर की विद्युत व्यवस्था ठीक करने हेतु एक 220 के०वी० व दो 132 के०वी० उपकेन्द्र स्थापित किये जाने की स्वीकृति विश्व बैंक द्वारा सन् 2000-2001 में की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त केन्द्रों का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

संबंधित तीनों उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य निम्नानुसार प्रारम्भ हो चुका है :–

उपकेन्द्र का नाम	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि
1–220 के०वी० हरदोई रोड उपकेन्द्र, लखनऊ	3/1999
2–132 के०वी० उपकेन्द्र मुर्शिदनगर	2/2001
3–132 के०वी० उपकेन्द्र मार्टिनपुरवा	1/2002

प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु सरकार द्वारा विशेष कार्य योजना बनवाने की मांग

*11–श्री किरन पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या सरकार कोई विशेष कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में जानवरों की बीमारियों को देखते हुए उपचार हेतु शासन से धन की मांग

*12–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में औसतन एक जानवर के उपचार हेतु कितनी धनराशि का बजट में प्राविधान किया जाता है ? क्या जानवरों की संख्या तथा उनकी गम्भीर बीमारियों को देखते हुए जो धन शासन से दिया जाता है यदि हां, तो वह कम है ? क्या सरकार उक्त धनराशि बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

औषधि की व्यवस्था बजट की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है । औसतन प्रति पशुचिकित्सालय रु० 25,000-00 तथा प्रति औषधालय रु० 10,000-00 की धनराशि बजट से औषधि व्यवस्था हेतु उपलब्ध कराने की व्यवस्था का प्रयास किया जाता है । औषधि की व्यवस्था प्रति पशु के आधार पर नहीं की जाती है ।

जी हां ।

जी हां ।

उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत बजट में प्राविधान कराने का प्रयास है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक के पद की चयन प्रक्रिया संबंधी जानकारी

1–डा० अशोक बाजपेयी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के पद पर चयन की प्रक्रिया क्या है ? क्या अध्यक्ष का पद रिक्त है ? यदि हां, तो पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के आर्टिकल आफ एसोसियेशन के आर्टिकल 32 के अन्तर्गत शासन द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के पद पर चयन की प्रक्रिया निर्धारित है ।

जी नहीं ।

निगम के आर्टिकल आफ एसोसियेशन के अन्तर्गत शीघ्र नियुक्ति करने हेतु एक सर्च कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया है ।

ओबरा तापीय विद्युत घर के नवीनीकरण हेतु धन की व्यवस्था

2–डा० अशोक बाजपेयी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान में ओबरा तापीय विद्युत घर की कितनी अधिष्ठापित क्षमता है और प्लान्ट लोड फैक्टर कितना है ? क्या कम प्लान्ट लोड फैक्टर को देखते हुए ओबरा तापीय घर के नवीनीकरण की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस हेतु धन की क्या व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

वर्तमान में ओबरा ताप विद्युत गृह की अधिष्ठापित क्षमता 1550 मे०वा० तथा प्लान्ट लोड फैक्टर 55.98 प्रतिशत है ।

जी हां ।

5x50 मे०वा० ओबरा "अ" विद्युत गृह के रिफर्बिशमेन्ट के लिए रु० 335.60 करोड़ के ऋण के लिए पी०एफ०सी० से अनुरोध किया जा चुका है तथा 5x200 मे०वा० ओबरा ताप विद्युत गृह के रिफर्बिशमेन्ट के लिए पी०एफ०सी० से रु० 612 करोड़ का ऋण स्वीकृत है ।

3–कुं० रेवती रमण सिंह–

[3 सरे शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

4–मो० रिजवान–

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

हरदुआगंज पारीक्षा एवं पारीक्षा तापीय विद्युत गृह के विस्तार हेतु पावर फाइनेन्स कारपोरेशन से धन की मांग

5–कुं० रेवती रमण सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदुआगंज पारीक्षा एवं पारीक्षा तापीय विद्युत गृह के विस्तार हेतु पावर फाइनेन्स कारपोरेशन धन देने के लिए विचार कर रहा है ? यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ? उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

ऋण के आहरण की प्रमुख शर्तें शासन से गारन्टी तथा वचनबद्धता का प्राप्त होना निर्धारित है ।

उक्त कार्य का प्रारम्भ होना धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा संचालित इन्दिरा नगर विस्तार योजना

6–डा० कौशल किशोर–

क्या आवास मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा संचालित इन्दिरा नगर विस्तार योजना (द्वितीय) लखनऊ हेतु 19-5-1984 को 1760 एकड़ भूमि अर्जित करने हेतु अधिसूचना जारी की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वर्ष 1987 में योजना के आकार को घटाकर 950 एकड़ तथा वर्ष 2001 में उक्त योजना के आकार को पुनः घटाकर मात्र 447 एकड़ भूमि अधिग्रहीत करने हेतु शासन की अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही शासन के विचाराधीन है ? क्या

परिषद् के अधिकारियों की उदासीनता के कारण 1313 एकड़ भूमि सहकारी आवास समितियों के कब्जे में चली गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? 447 एकड़ भूमि के अधिग्रहण करने की कार्यवाही कब तक पूरी कर ली जायेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा इन्दिरा नगर विस्तार योजना (द्वितीय) लखनऊ के नाम से दिनांक 19-5-1984 को 1760 एकड़ भूमि अर्जित किए जाने हेतु उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा–28 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की गयी थी ।

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् के द्वारा वर्ष 1986 में भूमि अध्याप्ति अधिनियम, 1994 में अपेक्षित संशोधन हो जाने एवं परिषद् की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए तत्समय योजना के आकार को घटाने का निर्णय लिया गया था, जिसे बाद में संशोधित कर 546.767 एकड़ भूमि पर योजना चलाये जाने की अनुमति राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 25-9-2001 को दी गयी थी । इस स्वीकृति के अन्तर्गत यह भी व्यवस्था है कि वर्ष 1984 में प्रकाशित किए गए धारा–28 की विज्ञप्ति के अनुसार आवास एवं विकास परिषद् द्वारा प्रस्तावित योजना के क्षेत्र में सुनियोजित विकास किया जायेगा एवं इस हेतु सहकारी आवास समितियों/निजी व्यक्तियों की सहभागिता लेकर उनसे नियमानुसार असुधार शुल्क/विकास शुल्क लेकर पूरे क्षेत्र का सुनियोजित विकास करेगा ।

जहां तक उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् के अधिकारियों की उदासीनता के कारण 1313 एकड़ भूमि सहकारी आवास समितियों के कब्जे में चले जाने की जांच कराये जाने का प्रश्न है, तो इस विषय में तत्कालीन मुख्यवास्तुविद नियोजक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी । उक्त समिति की संस्तुतियों को दृष्टिगत रखते हुए 546.767 एकड़ भूमि पर योजना चलाये जाने की अनुमति शासनादेश दिनांक 25-9-2001 के द्वारा दी गई थी । उक्त समिति के द्वारा योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब के लिए परिषद के किसी अधिकारियों का उत्तरदायित्व नहीं पाया गया, क्योंकि उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम–1965 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत निश्चित समयसीमा नहीं दी गयी है । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की इन्दिरा नगर द्वितीय विस्तार योजना, लखनऊ के लिए 546.767 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए समस्या शासकीय औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए योजना के क्रियान्वयन की अनुमति आवास विकास परिषद को दी जा चुकी है ।

7–डा० कौशल किशोर–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ द्वारा संचालित इन्दिरानगर आवासीय योजना में आवंटित भूखण्डों पर भूस्वामियों द्वारा आवास निर्मित न करवाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

8–डा० कौशल किशोर–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ द्वारा संचालित इन्दिरा नगर आवासीय योजना में सैकड़ों ऐसे भूखण्ड खाली पड़े हुए हैं जिनके आवंटन के 20 वर्ष हो गये हैं और उनके भूस्वामियों द्वारा उन पर आवास निर्मित नहीं कराये गये हैं ? क्या यह सही है कि परिषद् के नियमानुसार 5 वर्ष में ऐसे भूखण्डों पर भूखण्ड स्वामियों द्वारा मकान बनाना अनिवार्य है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद भूखण्डों एवं भवनों के पंजीकरण एवं प्रदेशन सम्बन्धी विनियम 22 के अन्तर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

यू०पी० पावर कार्पोरेशन लि०, (सतर्कता अनुभाग–1) के पत्र पर कार्यवाही की मांग

9–श्री दिनेश सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत उप सचिव (सतर्कता अनुभाग–1) का अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 136/39-1-2002–1 एल (7)/2000, दिनांक 4-2-2002 जो प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

सतर्कता विभाग की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में उन अपचारी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश पावर कारपोरेशन लि० को दे दिए गए हैं, जिनके नियुक्त प्राधिकारी वे स्वयं हैं । प्रकरण के अन्तर्गत निदेशक स्तर के दो अधिकारियों के नियुक्ति अधिकारी शासन है और उनके सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । सतर्कता विभाग की संस्तुति के अनुरूप कतिपय तकनीकी बिन्दुओं पर अग्रेतर जांच हेतु उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को निर्देशित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यू०पी० पावर कार्पोरेशन लि० एवं अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक यू०पी०पी०सी०एल० को सम्बोधित एवं प्रेषित-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

10–श्री दिनेश सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत रुपये 1.85 करोड़ का रीवर क्रासिंग टावर एवं अन्य सामान बेचने विषयक श्री नन्द लाल जायसवाल, उप महामंत्री, उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ का पत्र दिनांक 6-5-2002 जो कि कार्यकारी निदेशक (कार्मिक एवं प्रबन्धन), यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० एवं अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक यू० पी० पी० सी० एल० को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

उक्त पत्र में इंगित श्री कृपा शंकर, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता की जांच आख्या में प्रथमं दृष्टया दोषी पाये गये कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पा०का० लि० की गठित जांच समिति की दि० 4-7-2002 को संदर्भित कर दिये गये हैं तथा उक्त पत्र में ही इंगित अन्य आरोपों की जांच निगम की सतर्कता इकाई को सौंप दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यू०पी० पावर कार्पोरेशन लि० को सम्बोधित प्रेषित मा० ब्रज भूषण सिंह कुशवाहा, एम०एल०सी० के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

11–श्री दिनेश सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि रुपये 220 करोड़ मूल्य विचलन का फर्जी भुगतान एवं 110 करोड़ की वसूली सम्बन्धी माननीय ब्रज भूषण सिंह कुशवाहा, एम० एल० सी० का पत्र दिनांक 16-3-2002 जो कि अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महाप्रबन्धक (सिविल पारेषण) यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

संदर्भित पत्र में उल्लिखित पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) की जांच आख्या के परिप्रेक्ष्य में 800 के०वी० आनपरा उन्नाव पारेषण लाइन से सम्बन्धित आरोपों की जांच राज्य सतर्कता अधिष्ठान से कराई गयी है । जांच आख्या में दोषी पाए गए कर्मियों के विरुद्ध उ० प्र० पावर कार्पोरेशन में विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि० के भण्डार केन्द्रों में हुए करोड़ों के घपलों की शिकायत पर कार्यवाही

12–श्री दिनेश सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्ववर्ती उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् वर्तमान में यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० के भण्डार केन्द्रों में हुए 3000 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले सम्बन्धी मा० जय प्रकाश, विधायक का पत्र दिनांक 12-8-2001 जो माननीय मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

मा० विधायक श्री जय प्रकाश के पत्र दिनांक 12-8-2001 में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के भण्डार केन्द्रों में हुए रु० 3000.00 करोड़ के घपलों की शिकायत पर कार्यवाही उ०प्र० पावर कार्पोरेशन में प्रक्रियाधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में पशुधन विकास विभाग से तृतीय श्रेणी के पद धारकों के स्थानान्तरण नीति सम्बन्धी जानकारी

13–श्री शिव प्रताप यादव–

क्या पशुधन विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पशुधन विकास विभाग में तृतीय श्रेणी के पद धारकों के स्थानान्तरण की कोई नीति है ? क्या राजकीय पशु चिकित्सालय हैवलक रोड लखनऊ में कम्पांउन्डर अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनको स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

पशुपालन विभाग के समूह "ग" के कर्मचारियों का स्थानान्तरण प्रतिवर्ष शासन स्तर से जारी स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत किया जाता है।

जी हां।

जी नहीं।

शासनादेश संख्या 1/3/96-का-4/2002, दिनांक 12 जून, 2002 के साथ पठित शासनादेश संख्या–1/3/96-का-4/2001 दिनांक 21 अप्रैल, 2001 के अनुसार यह सामान्य स्थानान्तरण वर्ष नहीं है तथा उक्त पशु औषधिक को प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित करने का कोई कारण दृष्टिगत नहीं हुआ है।

प्रदेश में श्रम कल्याण अधिकारियों के स्थानान्तरण की नीति के अन्तर्गत जनपद गोण्डा बलरामपुर चीनी मिल बभनान इकाई के लेबर आफिसर की तैनाती उक्त नीति के अनुरूप करने की मांग

14–श्री शिव प्रताप यादव तथा श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में श्रम कल्याण अधिकारियों के स्थानान्तरण की क्या नीति बनायी गयी है ? बलरामपुर चीनी मिल बभनान इकाई जनपद गोण्डा के लेबर आफिसर की तैनाती क्या उक्त नीति के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त श्रम कल्याण अधिकारी के स्थानान्तरण पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं। श्रम कल्याण अधिकारियों के लिए स्थानान्तरण की कोई नीति नहीं बनाई गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कारखानों में उ०प्र० कारखाना कल्याण अधिकारी नियमावली, 1955 के अन्तर्गत श्रम कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति कारखाने के अधिष्ठाता द्वारा की जाती है। इस नियमावली में एक इकाई से दूसरी इकाई में स्थानान्तरण का कोई नियम विद्यमान नहीं है।

प्रदेश/गोरखपुर मेडिकल कालेजों में वर्तमान में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

15–डा० पी० के राय–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के मेडिकल कालेजों में वर्तमान में शिक्षकों के अनेक पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो उन रिक्त पदों को भरने तथा मानक के अनुसार पैरा मेडिकल की तैनाती हेतु सरकार कोई कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि गोरखपुर मेडिकल कालेज में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं ? उन पर नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

मेडिकल कालेज गोरखपुर में शिक्षकों के 45 पद रिक्त हैं । इन पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रगति पर है ।

जनपद जौनपुर के ग्राम पंचायत अधिकारी के हार्ट की चिकित्सा प्रतिपूर्ति कराने की मांग

16–श्री मस्तराम–

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायतीराज विभाग में विगत 5 वर्षों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कितने मामले जनपद जौनपुर से सम्बन्धित निस्तारण हेतु लम्बित हैं ? क्या यह सत्य है कि जनपद जौनपुर के श्री गुलाब सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी के हार्ट की चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु शासन द्वारा 5 वर्ष पूर्व अनुमति प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो अभी तक उन्हें प्रतिपूर्ति किन कारणों से उपलब्ध नहीं करायी गयी है ? उसके लिए कौन दोषी है ? क्या सरकार दोषी को दण्डित करते हुए उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लालजी टण्डन–

मात्र एक मामला निस्तारण हेतु लम्बित है ।

शासनादेश दिनांक 16-11-1998 द्वारा चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु शासकीय स्वीकृति जारी की गई थी ।

चिकित्सीय मद में बजट आवंटन प्राप्त न होने के कारण प्रतिपूर्ति सम्भव नहीं हो पाई है ।

चिकित्सीय मद में बजट आवंटन प्राप्त न होने के कारण प्रतिपूर्ति सम्भव नहीं हो पाई है ।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मामलों हेतु बजट में धनराशि आवंटित कराने की कार्यवाही की जा रही है । बजट आवंटित होने पर भुगतान किया जायेगा ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हरदोई रोड योजना के अन्तर्गत छन्दोइया, पीर नगर, बरीकलो व बरावन खुर्द ग्रामों के किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

17–श्री कौशल किशोर–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हरदोई रोड योजना के अन्तर्गत छन्दोईया, पीर नगर, बरीकलो व बरावन खुर्द ग्रामों के किसानों की 1981 में अधिग्रहीत की गयी भूमि का मुआवजा मा० उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ द्वारा याचिका संख्या 12(एल/ए)/1991 पर दिये गये निर्णयानुसार भुगतान कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

मा० उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या–12-(एल/ए) 91 में पारित आदेश दिनांक 29-4-1997 के क्रम में धारा-18 के अन्तर्गत दायर संदर्भ वादों में मा० चतुर्थ अतिरिक्त जिला जज, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रथम अपील मा० उच्च न्यायालय में दायर की गयी है, जो मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली जयी है । मा० उच्च न्यायालय में वाद संख्या–12/एल० ए०/91 में दिनांक 29-4-1997 में यह निर्णय हुआ था कि अन्तिम रूप से निर्णय के बाद अपर जिलाधिकारी द्वारा याचीगणों के प्रत्यावेदन पर विचार किया जायेगा एवं विधि सम्मत प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा । धारा–18 के निर्णय के विरुद्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मा० उच्च

न्यायालय में अपील दायर की गयी है, जो लम्बित है । इसमें अभी तक अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हुआ है ।

प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में लम्बित होने के कारण भुगतान हेतु कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत दरों के निर्धारण की जानकारी

18–श्री कौशल किशोर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत दरें क्या निर्धारित की गयी हैं ? क्या यह सही है कि मलिहाबाद व सरोजनीनगर क्षेत्र में विद्युत दरें अन्य जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों से भिन्न हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

ग्रामीण क्षेत्रों में बिना मीटर के 2 किलोवाट भार तक के गांव/टाउन जिनकी जनसंख्या दस हजार से कम है, के बिल 75 रु० फिक्सड प्रति कनेक्शन प्रतिमाह है तथा मीटर युक्त कनेक्शन हेतु रु० 10 प्रति माह +100 पैसा प्रति यूनिट निर्धारित है ।

जी हां ।

मलिहाबाद एवं सरोजनीनगर की आबादी दस हजार से अधिक है । इन क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति शहरी क्षेत्र के शेड्यूल के अनुसार की जाती है ।

जनपद लखनऊ के मलिहाबाद नगर पंचायत द्वारा मलिहाबाद चौराहे पर आम की पेटी पर चुंगी के वसूली सम्बन्धी जानकारी

19–श्री कौशल किशोर–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जिले की मलिहाबाद नगर पंचायत द्वारा मलिहाबाद चौराहे पर आम की पेटी पर चुंगी की वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो चुंगी वसूलने के आदेश किस अधिकारी द्वारा दिये गये हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर चुंगी वसूली समाप्त करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा जनपद लखनऊ में वर्ष 1983 में तेलीबाग योजनान्तर्गत अधिग्रहीत की गयी भूमि विषयक जानकारी

20–श्री कौशल किशोर–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा लखनऊ में वर्ष 1983 में तेलीबाग योजना 1 व 2 के तहत भूमि अधिग्रहीत की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि का एवार्ड भूमि अर्जन/संशोधन अधिनियम, 1984 द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत घोषित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त भूमि नियमानुसार अर्जन मुक्त हो गयी है ?

श्री लालजी टण्डन–

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद के द्वारा लखनऊ में तेलीबाग योजना संख्या–1 व 2 के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु वर्ष 1983 में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम–1965 की धारा–28 के अन्तर्गत अधिसूचना प्रकाशित की गई थी ।

इस योजना के अन्तर्गत आने वाली भूमि आपसी समझौते एवं भूमि अध्याप्ति प्रक्रियाओं के अन्तर्गत ली गई थी । योजना संख्या–1 के अन्तर्गत आपसी समझौते के आधार पर 67.07 एकड़ भूमि का अभिनिर्णय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के द्वारा घोषित कर दिया गया है तथा अवशेष भूमि का अभिनिर्णय घोषित किया जाना है । इस हेतु प्रतिकर वितरण के लिए कुल 830.02 लाख रुपये जिलाधिकारी लखनऊ को उपलब्ध कराई जा चुकी है । विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के द्वारा योजना संख्या–2 की भूमि का अभिनिर्णय घोषित करते हुए भूमि का कब्जा आवास विकास परिषद् को उपलब्ध करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के लाहिलपार उर्फ रतनपुरा विकास खण्ड देवरिया सदर के तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा किये गये सरकारी धन के गबन का लम्बित प्रकरण

21–श्री दीनानाथ कुशवाहा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि ग्राम पंचायत लाहिलपार उर्फ रतनपुरा विकास खण्ड देवरिया सदर जनपद देवरिया के तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा वर्ष 1990 से 95 तक की अवधि में किये गये सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच वर्ष 1997 में की गयी थी ? यदि हां, तो तत्कालीन प्रधान के विरुद्ध गबन का आरोप सिद्ध होने के पश्चात् क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

तत्कालीन प्रधान श्री विद्यासागर गुप्ता के ऊपर गबन सिद्ध होने पर वसूली हेतु विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी । शासकीय धनराशि मु० 25000.00 रुपये पर 18 प्रतिशत दण्ड ब्याज सहित कुल हुए मु० 55000.00 रुपये दुरुपयोग पाया गया, जिस पर जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा पूर्व प्रधान को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है । तत्कालीन प्रधान द्वारा जिलाधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका दायर की गई । मा० उच्च न्यायालय के आदेश दि० 25-7-97 द्वारा उक्त प्रधान के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही 23-9-97 तक रोकी गई । इसी मामले में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 27-1-98 द्वारा यह आदेशित किया गया है कि जिलाधिकारी देवरिया तार्किक आदेश द्वारा याची का प्रत्यावेदन निस्तारित करें । जिलाधिकारी, देवरिया के न्यायालय में यह प्रकरण निस्तारण हेतु लम्बित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया/ग्राम पंचायत लाहिलापार के पूर्व प्रधान के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

22–श्री दीनानाथ कुशवाहा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि ग्राम पंचायत लाहिलापार उर्फ रतनपुरा विकास खण्ड देवरिया सदर, जनपद देवरिया के उप प्रधान द्वारा प्रधान के विरुद्ध शिकायती-पत्र मुख्य विकास अधिकारी, देवरिया को दिनांक 25-1-01 को दिया गया ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

ग्राम पंचायत लाहिलापार के पूर्व प्रधान के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्र की जांच श्री जयशंकर दूबे, सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) देवरिया से कराई गयी है । जांचोपरान्त रु० 22186.18 का दुरुपयोग प्रकाश में आया है, जिसकी वसूली हेतु जिलाधिकारी देवरिया के पत्रांक–792 दिनांक 23-7-02 द्वारा पूर्व प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है ?

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला लखीमपुर के गल्ला मण्डी में जल निकासी की योजना

23–डा० कौशल किशोर–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखीमपुर शहर की गल्ला मण्डी में वर्षा ऋतु में गन्दा पानी भर जाता है ? यदि हां, तो क्या जल निकासी हेतु नगर पालिका द्वारा कोई योजना बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

नगर पालिका परिषद द्वारा जल निकासी हेतु नाली बनाये जाने की योजना बनाई गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पीलीभीत की नगर पालिका परिषद् द्वारा पीलीभीत कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में जानकारी

24–श्री रियाज अहमद–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि पीलीभीत की नगर पालिका परिषद् द्वारा पीलीभीत के कर्मचारियों का गत 13 माह से वेतन भुगतान न किये जाने के कारण कर्मचारी आन्दोलन (हड़ताल) पर हैं ? उसके कारण नगर परिषद् के समस्त कार्य बाधित हैं तथा गन्दगी फैल रही है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर पालिका परिषद्, पीलीभीत के कर्मचारियों को 13 माह का वेतन भुगतान न होने के कारण नगर पालिका कर्मचारीगण दिनांक 27-4-2002 से हड़ताल पर चले गये थे ।

नगर पालिका परिषद् के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के मध्य दिनांक 11-6-2002 को समझौता होने के उपरान्त कर्मचारियों को 4 माह का वेतन का भुगतान कर दिया गया था और हड़ताल समाप्त हो

गई । हड़ताल समाप्त होने के उपरान्त सफाई व्यवस्था की स्थिति सामान्य है तथा पालिका के समस्त कार्य सामान्य रूप से हो रहे हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

25–श्री दिनेश सिंह–

[3सरे शुक्रवार के लिए स्थगित ।

यू०पी० पावर कार्पोरेशन लि० के अन्तर्गत निदेशक (पारेषण) की सी०बी०आई० से जांच कराने सम्बन्धी पत्र पर प्रक्रियाधीन कार्यवाही

26–श्री दिनेश सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत निदेशक (पारेषण) की सी०बी०आई० जांच कराये जाने सम्बन्धी माननीय ब्रज भूषण सिंह कुशवाहा, एम०एल०सी० का पत्र दिनांक 15-4-2002 एवं 22-4-2002 जो कि क्रमशः प्रमुख सचिव (ऊर्जा) उ० प्र० एवं मुख्य सचिव, उ० प्र० अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक एम०पी०पी०सी०एल० को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

मा० सदस्य द्वारा अपने पत्र दिनांक 15-4-2002 एवं 22-4-2002 में उठाए गये बिन्दु मूलतः पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) की जांच आख्या सं०–वीसी-41/99 दिनांक 30-11-99 से सम्बन्धित है, जिस पर विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० पावर कार्पोरेशन लि० के अन्तर्गत 2.40 करोड़ का फर्जी भुगतान की सी०बी०आई० से जांच कराने की मांग

27–श्री दिनेश सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत 2.40 करोड़ का फर्जी भुगतान किये जाने की सी०बी०आई० जांच कराये जाने सम्बन्धी माननीय कुंवर मानवेन्द्र सिंह एवं माननीय ब्रज भूषण सिंह कुशवाहा, एम०एल०सी० का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 1-5-2002 जो कि प्रमुख सचिव (ऊर्जा) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक एवं महाप्रबन्धक (सिविल पारेषण) यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० को सम्बोधित है उन्हें प्राप्त हुआ हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित 800 के०वी० आनपारा उन्नाव पारेषण लाइन के सम्बन्ध में यह सूचित है कि प्रकरण की जांच सम्प्रति उ०प्र० राज्य सतर्कता अधिष्ठान (वि०को) द्वारा की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों की जानकारी तथा उन्हें रोजगार देने हेतु योजना

28–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री पारस नाथ यादव, श्री अजीम भाई तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या क्या है ? बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरकार कौन सी योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों के सक्रिय पंजिका पर 31 मई, 2002 को 17,25,911 बेरोजगार अभ्यर्थी पंजीकृत थे ।

बेरोजगारों को रोजगार देने की प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग की अपनी कोई योजना नहीं है । प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अन्तर्गत स्थापित सेवायोजन कार्यालयों द्वारा बेरोजगारों को नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों जिनमें सम्प्रेषण की अपेक्षा की जाती है, में सम्प्रेषित कर उन्हें सवेतन रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं । प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अधीन संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से विभिन्न व्यवसायों में रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जाता है तथा सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति के बेरोजगारों को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जाता है । बेरोजगारों को स्वतः रोजगार देने को कई योजनाएं विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

29–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[3सरे शुक्रवार के लिए स्थगित]

यू०पी० पावर कार्पोरेशन लि० के अन्तर्गत 800 के०वी० अनपारा उन्नाव ट्रान्समीशन लाइन के निर्माण में हुई अनियमितताओं की सी०बी०आई० से जांच की मांग

30–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत 800 के०वी० अनपरा उन्नाव ट्रान्समीशन लाइन के निर्माण में अनपरा से झूंसी एवं झूंसी से उन्नाव सेक्शन में टैक बेल्डिंग एवं ट्री कटिंग के अलग-अलग कार्यों के लिए कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इसकी सी०बी०आई० जांच कराये जाने हेतु श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, पूर्व सांसद का पत्र दिनांक 25-11-99 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में सहकारी आवास समितियों पर बकाया स्टाम्प शुल्क

31–डा० कौशल किशोर–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में सहकारी आवास समितियों पर 31-3-02 तक कुल कितना स्टाम्प शुल्क बकाया है ? बकाया स्टाम्प शुल्क को वसूल करने के सम्बन्ध में सरकार क्या कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ अमीनाबाद पावर हाउस के सभी मोहल्लों में इलेक्ट्रानिक मीटर लगवाने तथा खराब मीटरों को बदलने की योजना

32–कुंवर भरतेन्द्र सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित अमीनाबाद पावर हाउस के अन्तर्गत आने वाले सभी मोहल्लों में इलेक्ट्रानिक मीटर लगाने, खराब मीटरों को बदलने तथा विद्युत भार बढ़ाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं ।

विद्युत भार बढ़ाये जाने का कार्य एक सतत् प्रक्रिया है । उपभोक्ता द्वारा विद्युत भार बढ़ाये जाने हेतु आवेदन करने पर आवश्यक कार्यवाही सम्पादित कर दी जाती है तथा वर्तमान में विद्युत भार बढ़ाये जाने से संबंधित कोई प्रकरण लम्बित नहीं है ।

अमीनाबाद पावर हाउस के अन्तर्गत आने वाले सभी मोहल्लों में इलेक्ट्रानिक मीटर लगाने का कार्य शीघ्र शुरू कराकर यथाशीघ्र पूर्ण कराने की कार्य योजना बना ली गई है । उक्त कार्य विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत वाह्य एजेन्सी के द्वारा सम्पन्न किया जाना है ।

जनपद हरदोई/कस्बा बिलग्राम/सांडी व हरपालपुर में प्रतिदिन की जा रही विद्युत कटौती में कमी करने की मांग

33–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद के कस्बा बिलग्राम, सांडी व हरपालपुर में विद्युत कटौती प्रतिदिन कितने घण्टे की जा रही है तथा यह कब तक जारी रहेगी ? क्या सरकार उक्त कटौती समाप्त करने अथवा कटौती के घण्टों में कमी करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

प्रतिदिन 16 घण्टे जोकि विद्युत की मांग एवं उपलब्धता में अन्तर होने तक जारी रहेगी ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर पालिका परिषद् दादरी–गौतमबुद्ध नगर द्वारा नगर पालिका परिषद् दादरी को पहुंचायी गयी वित्तीय क्षति की वसूली की कार्यवाही

34–श्री नवाब सिंह नागर–

प्रथम सत्र 2001 के दूसरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 35 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या खलीलुर्रहमान, अध्यक्ष नगर पालिका, परिषद् दादरी द्वारा नगर पालिका परिषद् दादरी को पहुंचायी गयी वित्तीय क्षति की वसूली हेतु निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्या वसूली की कार्यवाही सम्पन्न हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

वसूली हेतु जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर को निर्देशित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देश में आनपारा सी थर्मल पावर प्लान्ट लगवाये जाने की मांग

35–कुं० रेवती रमण सिंह तथा डा० अशोक बाजपेयी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आनपारा "सी" थर्मल पावर प्लान्ट लगाये जाने हेतु किसी संस्था से अनुबन्ध हुआ है ? यदि हां, तो आनपारा सी कब तक चालू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं ।

अनपरा "सी" परियोजना के वित्त पोषण के लिए जापान बैंक फार इन्टरनेशनल कोआपरेशन (जे०बीआईसी) के फैक्ट का फाइण्डिग मिशन के भारत आये हुए विशेषज्ञ दल से चर्चा हुई है । वित्त पोषण की सहमति मिल पाने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही संभव होगी ।

उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० अनपरा एवं ओबरा में विद्युत उत्पादन का विवरण तथा अनपरा एवं पारीक्षा की परियोजनाओं के विस्तार की योजना

36–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अनपरा, ओवरा और शक्तिनगर विद्युत उत्पादन इकाइयों के कई खण्ड फेल होने एवं विद्युत उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ? क्या सरकार तापीय विद्युत उत्पादन इकाई बिल्थरा रोड जिला बलिया को चालू करने हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करेगी ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कराकर विद्युत उत्पादन प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के अनपरा ताप विद्युत गृह में स्थित एवं विश्वसनीय उत्पादन हो रहा है, फिर भी विद्युत उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए 5x50 मे०वा० ओबरा "अ" व 5x200 मे०वा० ओबरा "ब" ताप विद्युत गृहों के रिफर्बिशमेन्ट की योजना है तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना में 2x500 मे०वा० अनपरा "सी" ताप विद्युत परियोजना व 2x210 मे०वा० पारीक्षा विस्तार परियोजना के निर्माण की योजना है । शक्ति नगर की इकाईयां राज्य सरकार के अधीन नहीं हैं ।

जी नहीं । बिल्थरा रोड तापीय परियोजना के संबंध में नियुक्त सलाहकार की अन्तिम रिपोर्ट के अनुसार 2x250 मे०वा० व 1x250 मे०वा० का निर्माण क्रमशः 2010 तथा 2011 में प्रस्तावित किया गया था परन्तु अभी इस परियोजना के संबंध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

जनपद सहारनपुर में मेडिकल कालेज खुलवाने की मांग

37–श्री संजय गर्ग–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में मेडिकल कालेज खोले जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में वर्तमान में वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण मेडिकल/डेन्टल कालेजों की स्थापना हेतु पूंजी विनियोग उपलब्ध न करा पाने के कारण तथा प्रदेश की जनता को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु निजी क्षेत्र की संस्थाओं को इस दिशा में पूंजी विनियोग करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1994 में प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में निजी क्षेत्र में मेडिकल/डेन्टल कालेज स्थापित किए जाने हेतु नीति की घोषणा की गयी थी जिसके अन्तर्गत निजी क्षेत्र की एक संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट आफ कम्प्यूटर एजूकेशन, मेरठ द्वारा वर्ष 1998 में सहारनपुर–गंगोह में एक मेडिकल व डेन्टल कालेज स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था । परन्तु संस्था के स्तर पर मेडिकल/डेन्टल काउन्सिल आफ इण्डिया के मानकों के अनुरूप प्रारम्भिक आवश्यकताएं पूर्ण न होने एवं शासन को वांछित सूचना उपलब्ध न कराने के कारण अभी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जा सका है ।

38 व 39–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[1 ले सोम० के अता० प्र० सं०–112 व 113 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला लखीमपुर/विद्युत वितरण खण्ड प्रथम कार्यालय में अधिक समय से एक ही पद/स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण

40–डा० कौशल किशोर–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विद्युत वितरण खण्ड प्रथम कार्यालय, लखीमपुर में कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो 3 वर्ष से अधिक समय से एक ही पद तथा स्थान पर कार्यरत हैं ? क्या सरकार ऐसे कर्मियों का स्थानान्तरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

विद्युत वितरण खण्ड, लखीमपुर कार्यालय में कुल छः कर्मचारी तीन वर्ष से अधिक समय से एक पद तथा स्थान पर कार्यरत हैं ।

जी हां । कारपोरेशन के विद्यमान स्थानान्तरण के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार स्थानान्तरण आदेश निगम स्तर से जारी किये जाते हैं ।

निगम को उचित कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० को 100 करोड़ की क्षति पहुंचाने की सी०बी०आई० से जांच विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

41–श्री दिनेश सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० द्वारा अलग से किराये पर भवन लेने एवं 1.00 करोड़ की क्षति पहुँचाने की सी०बी०आई० जाँच कराये जाने सम्बन्धी माननीय जय प्रकाश

एम०एल०ए० का पत्र दिनांक 7–12–2001 जो कि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

दिनांक 14-1-2000 को पूर्ववर्ती उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के विघटन के उपरान्त पूर्ववर्ती उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् से उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० में स्थानान्तरित अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उ० प्र० शासन द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशकों के लिए निगम का विकास दीप स्थित कार्यालय अपर्याप्त था । तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के अथक प्रयास पर भी उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा शक्ति भवन में उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० के अधिकारियों/कर्मचारियों के बैठने हेतु स्थाई व्यवस्था न किये जाने के कारण बदली हुई परिस्थितियों में निगम के निदेशक मण्डल की दिनांक 17-5-2000 को सम्पन्न हुई 57वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार निगम के कारपोरेट कार्यालय हेतु शालीमार स्क्वायर स्थित नया भवन किराये पर लिया गया, जिससे निगम को कोई क्षति नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यू०पी० पावर कार्पोरेशन लि० के अन्तर्गत प्रचलित जांच रिपोर्ट के संबंध में जानकारी

42–श्री दिनेश सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० पावर कार्पोरेशन लि० के अन्तर्गत प्रचलित जांच संख्या वीसी 19/2000 एवं वीसी 55/2000 की जाँच पूरी कर ली गई है ? यदि हां, तो जाँच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं ।

जांच प्रचलित हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जल विद्युत निगम लि० के अन्तर्गत विद्युत गृहों में पानी भरने एवं अनुरक्षण कार्य में हुए फर्जी भुगतान किये जाने के संबंध में कृत कार्यवाही

43–श्री दिनेश सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० के अन्तर्गत विद्युत गृहों में पानी भरने एवं अनुरक्षण कार्य में हुए फर्जी भुगतान किये जाने सम्बन्धी माननीय जय प्रकाश, एम०एल०ए० का पत्र दिनांक 5–8–2001 जो मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

प्रश्नगत मामले में उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० से आख्या मांगी गयी । मुख्य महाप्रबन्धक जल विद्युत परियोजनाएं, देहरादून से प्राप्त आख्या का निगम के मुख्यालय पर परीक्षण किया गया । परीक्षणोपरान्त संदर्भित पत्र में लगाये गये तथाकथित आरोप निराधार पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के मोहल्ला माया नगर, पो० निराला नगर में अवैध निर्माण को हटाने की मांग

44–श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2000 के पहले शुक्र को उत्तरित अता० प्र० सं० 47 के संबंध में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मोहल्ला माया नगर, पो० निराला नगर, लखनऊ में अवैध निर्माण को हटाने के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिये गये निर्देश का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या सरकार निर्देश का अनुपालन न करने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के सिकन्दरपुर तथा बांसडीह मनियर तथा सिकन्दरपुर के विद्युत उपकेन्द्रों को अन्यत्र स्थापित करने की मांग

45–श्री जियाउद्दीन रिजवी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के सिकन्दरपुर तथा बांसडीह तहसील में स्थित नगर पंचायत मनियार तथा सिकन्दरपुर के विद्युत उप केन्द्र जो बरसात के पानी में डूब जाता है तथा बरसात के समय विद्युत प्रभावित रहती है ? यदि हां, तो क्या विद्युत उपकेन्द्र मनियर तथा सिकन्दरपुर को अन्यत्र स्थापित कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं । अधिक जलवृष्टि की स्थिति में उपकेन्द्र के चारों ओर पानी जमा हो जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कुछ दिनों में ही जल स्तर घट जाता हैं एवं विद्युत आपूर्ति अप्रभावित रहती है । अतः मनियर तथा सिकन्दरपुर के विद्युत उपकेन्द्रों को अन्यत्र स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद बलिया के तहसील सिकन्दरपुर के बस स्टेशन चौराहे पर सुलभ शौचालय के निर्माण की मांग

46–श्री जियाउद्दीन रिजवी–

क्या मा० नगर विकास मंत्री जी बतायेंगे कि बलिया जनपद के तहसील सिकन्दरपुर नगर पंचायत सिकन्दरपुर के बस स्टेशन चौराहे पर सुलभ शौचालय का अभाव होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार सुलभ शौचालय का निर्माण करायेगी ? अगर नहीं तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

सार्वजनिक सुलभ शौचालय के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिये जाने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है, अतः प्रस्तावित कार्य स्थानीय निकाय को स्वयं के संसाधनों अथवा राज्य वित्त आयोग/11वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के संक्रमित की जाने वाली धनराशि से कराना होगा ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद बलिया के सिकन्दरपुर और बांसडीह नगर, पंचायत मनियर तथा सिकन्दरपुर में जर्जर नालियों तथा सड़कों की मरम्मत कराने की मांग

47–श्री जियाउद्दीन रिजवी–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद के सिकन्दरपुर और बाँसडीह तहसील के अन्दर नगर पंचायत मनियर तथा नगर पंचायत सिकन्दरपुर में नालियों तथा सड़कों की स्थिति जर्जर है ? यदि हां, तो उक्त नाली तथा सड़क की मरम्मत कब तक करायी जायेगी ? कि यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

प्रश्नगत कार्य नगर पंचायत द्वारा ही कराया जाना है और निकाय के वित्तीय संसाधनों को उपलब्धता के आधार पर मरम्मत का कार्य कराये जाने का निर्णय नगर पंचायत द्वारा ही लिया जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

48–श्री राम करन आर्य–

[पहले गुरूवार के अता०प्र०सं०–111 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के विकेन्द्रित विकास के लिये वर्ष 1982 से जिला योजना के गठन के सम्बन्ध में जानकारी

49–कुं० रेवतीरमण सिंह तथा डा० अशोक बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के विकेन्द्रित विकास के लिये वर्ष 1982 से जिला योजना का गठन हुआ था ? यदि हां, तो क्या पिछली सरकार द्वारा जिला योजना की संस्तुतियों को निरस्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या वर्तमान सरकार जिला योजना को पुनः लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रदेश में वर्ष 1982-83 से जिला योजना संरचना का कार्य हो रहा है । जिला योजना के कार्य को निरस्त नहीं किया गया है । अतः जिला योजना को पुनः लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

यू०पी० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत 800 के० वी० अनपरा उन्नाव पारेषण लाइन में रुपये 73 लाख के फर्जी भुगतान की जानकारी

50–श्री दिनेश सिंह तथा नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि यू०पी० पावर कार्पोरेशन लि० के अन्तर्गत 800 के०वी० अनपरा उन्नाव पारेषण लाइन में रुपये 73 लाख के फर्जी भुगतान के सम्बन्ध में माननीय जय प्रकाश, एम०एल०ए० का पत्र दिनांक 2–9–2001 जो कि माननीय मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

प्रश्नगत मामले में जांच कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु महाप्रबन्धक (जनपद वितरण) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया गया है, जिसकी आख्या प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद शहर में चौक सब्जी मण्डी को पुनः स्थापित किये जाने हेतु प्राप्त शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

51–श्री आनन्द सेन–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 20–5–2002 को प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र फैजाबाद शहर में चौक सब्जी मण्डी को पुनः स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

फैजाबाद शहर में चौक सब्जी मण्डी से संबंधित भूमि नजूल स्वामित्व की भूमि है, जिस वर्ष 1908 में नजूल विभाग द्वारा जिला पंचायत फैजाबाद को 90 वर्ष के लिये आवासीय पट्टे पर दी गयी थी । जिला पंचायत फैजाबाद द्वारा उक्त पट्टे की भूमि को नगर पालिका परिषद्, फैजाबाद को किराये पर दी गयी थी, जहां से सब्जी के फड़ लगाने वालों से नगर पालिका द्वारा तहबाजारी शुल्क वसूला जाता रहा । वर्ष 1998 में उक्त भूमि का पट्टा अवधि समाप्त होने पर उक्त स्थान का समस्त व्यापार/व्यवसाय रायबरेली रोड पर बनी नवीन मण्डी में हस्तान्तरित हो गया । उक्त स्थिति में प्रश्नगत पत्र दिनांक 20-5-2002 पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद में विद्युतीकरण कराये जाने में हुए सरकारी धन के दुरुपयोग के संबंध में प्राप्त शिकायती पत्र पर जांच की मांग

52–श्री आनन्द सेन–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र दिनांक 17–5–2002 जो ग्राम–जखवा, पो **अमानीगंज** जनपद फैजाबाद में विद्युतीकरण कराये जाने में सरकारी धन का

दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है,? यदि हां, तो इसकी जाँच करायी गयी है ? जाँच के परिणाम क्या है ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

जी हां ।

जांच चल रही है ।

जांच पूर्ण होने के बाद कार्यवाही की जायेगी ।

53–श्री आलोक कुमार शाक्य–

[3सरे मंगल के अता० प्र० सं०–93 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नगर पंचायत खीरी में शुद्ध जल आपूर्ति एवं जल समस्या को दूर करने की योजना

54–डा० कौशल किशोर–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पंचायत, खीरी में शुद्ध जल आपूर्ति हेतु मात्र एक ही टंकी होने के कारण जलापूर्ति सुचारु रूप से नहीं हो पाती ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कस्बे की जल समस्या दूर करने हेतु कोई योजना बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

सामान्य पेयजल कार्यक्रमों हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिये जाने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है, अतः प्रस्तावित कार्य स्थानीय निकायों को स्वयं के संसाधनों अथवा राज्य वित्त आयोग/11 वां वित्त आयोग संस्तुतियों के संक्रमित की जाने वाली धनराशि से कराना होगा ।

उपरोक्तानुसार ।

सरकार द्वारा ग्रामों व मजरों का विद्युतीकरण

55–डा० कौशल किशोर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने ग्रामों के मजरों का विद्युतीकरण कराने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संसाधनों की कमी के कारण वर्तमान में मजरों के विद्युतीकरण की कोई योजना नहीं बनाई गई है ।

शहर लखीमपुर जनपद खीरी मोहल्ला हिदायत नगर के उत्तरी भाग में विद्युत तारों के लटकने के फलस्वरूप घटित घटनाओं की जानकारी

56–डा० कौशल किशोर–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि शहर लखीमपुर जनपद खीरी के मोहल्ला हिदायतनगर के उत्तरी भाग में विद्युत सप्लाई हेतु विद्युत खम्भे अत्यधिक दूरी पर लगाये गये हैं, जिससे केबिल तथा विद्युत तार जमीन में लटक जाते हैं और दुर्घटनाएं हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या को दूर करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं । केबिल के माध्यम से उपभोक्ताओं द्वारा लिये गये अवैध कनेक्शनों को नियमित किया गया है । केबिल की बाहरी सतह पर विद्युत न रहने के कारण केबिल से विद्युत दुर्घटना होने का प्रश्न नहीं है । अवैध कटिया कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं द्वारा खम्भे लगाने की धनराशि जमा करने के उपरान्त खम्भे लगा दिये जायेंगे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखमीपुर की नगर पंचायत ओयल की विद्युत समस्या के निराकरण व 33 के०वी० ए० सब स्टेशन बनाने की मांग

57–डा० कौशल किशोर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र लखीमपुर की नगर पंचायत ओयल की विद्युत समस्या के निराकरण हेतु 32 के०वी०ए० सब स्टेशन बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

प्रस्तावित स्थल पर नये 33/11 के० वी० उपकेन्द्र के निर्माण की उपयोगिता का तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है । तकनीकी दृष्टि से आवश्यक, वित्तीय दृष्टि से लाभकारी, संसाधन की उपलब्धता, तथा कार्यों की वरीयता को दृष्टिगत रखते हुए उसके निर्माण पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कार्य योजना

58–कुँ० रेवती रमण सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कार्य योजना तैयार की गई है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है तथा वित्तीय वर्ष 2002–2003 में कितने धन की व्यवस्था की गयी है ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन नीति, 1998 घोषित की गई है। इस नीति के अनुसार पर्यटन स्थलों का चिन्हीकरण एवं विकास, अवस्थापना सुविधाओं का विकास, पर्यटकों हेतु पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था एवं पर्यटन क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन दिये जाने से संबंधित कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

पर्यटन के विकास हेतु वर्ष 2002-2003 के बजट में रुपये 10.30 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

उत्तर प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या व बेरोजगारी भत्ता देने के सम्बन्ध में जानकारी

59–कुं० रेवती रमण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून 2002 तक उत्तर प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में कितने शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत हैं ? क्या सरकार द्वारा उन्हें रोजगार देने अथवा बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

30 जून, 2002 तक उत्तर प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में कुल पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों की संख्या–1337641 थी।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग की बेरोजगारों को रोजगार देने की अपनी कोई योजना नहीं है। सेवायोजन कार्यालयों द्वारा शिक्षित बेरोजगारों की नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों जिनमें सम्प्रेषण की अपेक्षा की जाती है, में सम्प्रेषित कर उन्हें सवेतन रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के प्रयास किये जाते हैं। निदेशालय के अधीन संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से विभिन्न व्यवसायों में रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जाता है तथा सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ी जाति के बेरोजगारों को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जाता है।

शिक्षित बेरोजगारों को स्वतः रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा अन्य योजनाएं संचालित हैं।

प्रदेश की वित्तीय स्थिति एवं सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

60–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[3सरे शुक्रवार के लिये स्थगित]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में संविदा के आधार पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारी की सी० बी० आई० से जांच कराने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

61–श्री दिनेश सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के विघटन के बाद अलग–अलग तीनों निगमों में कौन कौन सेवानिवृत्त अधिकारी संविदा पर कार्यरत हैं ? क्या इस सम्बन्ध

में कुँवर मानवेन्द्र सिंह एम०एल०सी० का पत्र दिनांक 9–12-2001 जो मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव, उ० प्र० को सम्बन्धित है जो संविदा पर रख कर करोड़ो की क्षति की सी०बी०आई जाँच सम्बन्धी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० तथा उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० में कोई सेवानिवृत्त अधिकारी संविदा पर कार्यरत नहीं है । उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० में निम्नलिखित 02 अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद संविदा पर कार्यरत हैं :–

1–ई० एम० एस० रिजवी, अधिशासी निदेशक

2–श्री साबिर हुसैन, विशेष कार्याधिकारी

जी हां ।

उक्त पत्र पर प्रबन्ध निदेशक उ० प्र० पावर कारपोरेशन से दिनांक 23-1-2002 को आख्या मांगी गयी थी, जो अभी तक प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

62–श्री दिनेश सिंह–

[3सरे शुक्रवार के लिये स्थगित]

जनपद संत कबीर नगर (खलीलाबाद) में आदर्श टाउन एरिया व नगर पालिका हरिहरपुर के खड़न्जा मार्गों को लेपन स्तर तक बनवाने की मांग

63–श्री शंखलाल माझी–

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद संत कबीर नगर (खलीलाबाद) में आदर्श टाउन एरिया व नगर पालिका हरिहरपुर के सवापार वार्ड में खड़न्जा मार्गों की स्थिति बहुत खराब हो गयी है । जिससे आवागमन में बहुत कठिनाई होती है ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त खड़न्जा मार्गों को लेपन स्तर तक बनवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

नगर पंचायत, हरिहरपुर से सवापार वार्ड में जल निगम द्वारा पाईप लाइन डालने के कारण सड़क कहीं-कहीं उबड़-खाबड़ हो गयी है । आवागमन में विशेष कठिनाई नहीं है ।

प्रश्नगत कार्य नगर पंचायत द्वारा कराया जाना है निकाय के आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर उक्त खड़न्जा मार्गों को लेपन स्तर तक बनवाने पर निर्णय नगर पंचायत द्वारा ही लिया जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

65 वर्ष से अधिक आयु के कैदियों को छोड़ने की कार्य योजना

64–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 65 वर्ष से अधिक आयु के कैदियों को छोड़ने हेतु सरकार कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

कानूनी दृष्टिकोण से फिलहाल ऐसी योजना बनाना सम्भव नहीं है ।

जनपद गोण्डा की कर्नेलगंज तहसील में उप निबन्धक कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान की जानकारी

65–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की कर्नेलगंज तहसील में उप निबन्धक, कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को फरवरी, 2001 से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? वेतन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

उप महानिरीक्षक निबन्धन, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा की आख्या दि० 3-8-2000 के अनुसार जनपद गोण्डा के उपनिबन्धक कार्यालय कर्नेलगंज के सभी नियमित कर्मचारियों को निरन्तर समय से अब तक वेतन का भुगतान किया जा रहा है ।

जनपद गोण्डा के कर्नेलगंज उप निबंधक कार्यालय में नियमित कर्मचारियों के अतिरिक्त सर्वश्री केशव कुमार, अबुल हसन एवं अनिल कुमार मा० उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन से जिला-निबन्धक, सिद्धार्थनगर के आदेशानुसार गोण्डा में गठित प्रतिलिपिकरण सेल में दिनांक 23-1-98 से कार्यरत हैं । ये व्यक्ति नियमित कर्मचारी नहीं है । इन व्यक्तियों को इनके कार्य के अनुरूप उप निबन्धक के प्रमाण-पत्र के आधार पर इनके पारिश्रमिक का भुगतान उप महानिरीक्षक निबन्धन, गोण्डा द्वारा किया जाता है ।

उक्त व्यक्ति दैनिक वेतनभोगी निबन्धन-लिपिक के रूप में कार्यरत हैं, जिनके नियुक्ति प्राधिकारी महानिरीक्षक निबन्धन है । इन कार्मिकों की नियुक्ति के संबंध में की गयी कार्यवाही का परीक्षण एवं मा० उच्च न्यायालय के समय-समय पर दिये गये आदेशों के क्रम में की गयी समस्त कार्यवाहियों का परीक्षण कराकर शीघ्रातिशीघ्र उप महानिरीक्षक निबन्धन, गोण्डा को इनके बकाया-पारिश्रमिक के भुगतान के निर्देश दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

वर्ष 1990 से अब तक प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकार को बौद्ध पर्यटक स्थलों को विकसित करने के लिये प्राप्त विदेशी सहायता की जानकारी

66–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990 से अब तक प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकार को बौद्ध पर्यटक स्थलों को विकसित करने हेतु कितनी कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई है ?

श्री लालजी टण्डन–

बौद्ध परिपथ के अन्तर्गत पर्यटन अवस्थापना संबंधी सुविधाओं के सृजन हेतु ओ० ई० सी० एफ० (जापान) से वर्षवार निम्नलिखित सहायता प्राप्त हुई है :–

वर्ष	धनराशि (करोड़ में)
1–1993-94 तक	5.00227
2–1994-95	6.69095
3–1995-96	22.07978
4–1996-97	24.93338
5–1997-98	0.35869
कुल योग–	59.06507

67–68–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[3सरे शुक्रवार के लिये स्थगित]

आवास-विकास परिषद् बस्ती में कार्यरत सैयद जलाल हैदर रिजवी पुत्र श्री अजादार हुसैन आदि को मा० उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में जानकारी

69–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास विकास परिषद् बस्ती में कार्यरत सैयद जलाल हैदर रिजवी पुत्र श्री अजादार हुसेन बनाम उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् आदि वाद सं० –3185/1991 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेन्च द्वारा दिनांक 18–3–97 को आदेश पारित किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों का अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां, मा० उच्च न्यायालय ने अन्तरिम आदेश पारित किया है ।

मा० उच्च न्यायालय के अन्तरिम निर्णय के विरुद्ध "रिकाल अप्लीकेशन" उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा मा० उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है इसलिये मा० न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं हो सका है ।

डुमरियागंज को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने पर विचार

70–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या आवास एवम् नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार डुमरियागंज को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो तद्विषयक अधिसूचना कब तक जारी कर दी जायेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

प्रस्तावित नगर पंचायत हेतु आवश्यक पदों के सृजन का निर्णय होने के पश्चात् ही अधिसूचना जारी की जा सकेगी ।

गोण्डा विधान सभा क्षेत्र मनिकापुर व मसकनवा के 33/11 के० वी० विद्युत उपकेनद्र की जर्जर स्थिति के जांच की मांग

71–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर स्थित 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र मनकापुर एवं मसकनवा में वर्ष अप्रैल, 1999 से मार्च, 2002 तक उपकेन्द्र तथा विद्युत लाइनों के रख रखाव पर कितनी धनराशि कम की गयी है ? क्या यह सही है कि रख रखाव न होने के कारण उपकेन्द्र के उपकरण तथा विद्युत लाइने अत्यन्त जर्जर हो गयीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी जाँच करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत जांच सं० वी० सी० 02/2001 एवं 55/2000 की जांच व कार्यवाही की मांग

72–श्री दिनेश सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू०पी० पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत जाँच संख्या वीसी 02/2001 एवं वीसी 55/2000 की जाँच रिपोर्ट कार्पोरेशन/शासन को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० लखनऊ से प्राप्त जांच आख्या वी०सी० 02/2001 के परीक्षणोपरान्त प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त पाये गये श्री अशोक अग्निहोत्री, तत्कालीन औद्योगिक सम्पर्क अधिकारी के विरुद्ध नियमित अनुशासनिक कार्यवाही हेतु जांच अधिकारी की नियुक्ति की गयी । जांच अधिकारी की आख्या प्राप्त होने पर निगम स्तर पर परीक्षण किया गया, जिसमें श्री अग्निहोत्री को दोषी नहीं पाया गया । श्री अग्निहोत्री को प्रकरण में दोषमुक्त करते हुए निगम स्तर पर समाप्त कर दिया गया है । जांच आख्या वीसी–55/2000 के प्रकरण में उ० प्र० पावर कारपोरेशन स्तर पर विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

73–कुं० रेवती रमण सिंह तथा डा० अशोक बाजपेयी–

[कई विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

74–श्री शंख लाल माझी–

[1 ले गुरुवार के अता० प्र० सं०–113 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद संत कबीर नगर (खलीलाबाद) में नगर पालिका हरिहरपुर में विद्युत पावर हाउस का निर्माण

75–श्री शंख लाल माझी–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद संत कबीर नगर (खलीलाबाद) में नगर पालिका हरिहरपुर में विद्युत पावर हाउस बनना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त पावर हाउस कब तक बनवा दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

प्रस्तावित स्थल पर नये 33/11 के० वी० उपकेन्द्र का निर्माण वर्ष 2002-03 के द्वितीय प्रणाली के अनुमोदित कार्यों की सूची में सम्मिलित है ।

नये 33 के०वी० उपकेन्द्र का निर्माण प्रारम्भ कराया जा रहा है किन्तु कार्य पूरा होने की अवधि निर्धारित करना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद संत कबीर नगर (खलीलाबाद) की नगर पालिका हरिहरपुर में टैक्सी स्टैण्ड से बजार तक के क्षतिग्रस्त मार्ग का पुनर्निर्माण

76–श्री शंख लाल माझी–

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद संत कबीर नगर (खलीलाबाद) की नगर पालिका हरिहरपुर में टैक्सी स्टैण्ड से बाजार तक का मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

यह सड़क नगर पंचायत हरिहरपुर के अधिकार क्षेत्र की सड़क है, जिसके रख-रखाव का दायित्व नगर पंचायत हरिहरपुर का है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

77–श्री जगदम्बिका पाल–

[1ले सोम० के अता० प्र० सं०–114 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हरदोई/कस्बा बिलग्राम सांडी व हरपालपुर में की जा रही विद्युत कटौती

78–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद के कस्बा बिलग्राम सांडी व हरपालपुर में कितने घण्टे विद्युत कटौती के आदेश हैं ? क्या सरकार द्वारा निर्धारित विद्युत कटौती के घण्टों के

अतिरिक्त भी विद्युत कटौती की जा रही है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन से अधिकारी कर्मचारी दोषी है ? क्या दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

प्रतिदिन 16 घंटे ।

जी हां, कभी-कभी ।

कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निर्धारित कटौती करने के यथा संभव प्रयास किये जाते हैं परन्तु प्रणाली की अत्यन्त विषम परिस्थितियों में कभी-कभी अतिरिक्त कटौती भी करानी पड़ जाती है इसके अतिरिक्त कभी-कभी स्थानीय व्यवधानों के कारणों से भी अतिरिक्त कटौती हो जाती है ।

यू०पी० पावर कार्पोरेशन लि० के निदेशक व उप महाप्रबन्धक द्वारा भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की सी० बी० आई० से जांच कराने की मांग

79–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री दिनेश सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू०पी० पावर कार्पोरेशन लि० के निदेशक (कार्मिक एवं प्रबन्धन) एवं उप महा प्रबन्धक (संसदीय कार्य) द्वारा भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की सी०बी०आई० जाँच सम्बन्धी श्री जय प्रकाश, विधायक का पत्र दिनांक 27–6–2001 जो मुख्य मंत्री उ०प्र० को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

मा० सदस्य श्री जय प्रकाश विधायक के संदर्भित पत्र दिनांक 27-6-2001 में उठाये गये बिन्दु मूलतः पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) की जांच आख्या सं० 41/99 दिनांक 30-11-99 से संबंधित है, जिस पर विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० के कर्मचारियों के वेतन सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही की मांग

80–श्री दिनेश सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० के सम्बन्ध में श्री ब्रज भूषण सिंह कुशवाहा एम०एल०सी० का पत्र दिनांक 1–6–2002, 9–6–2002 एवं 13–6–2002 जो कर्मचारियों के वेतन न देने सम्बन्धी है जो मा० मुख्य मंत्री को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

मा० श्री ब्रजभूषण सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान परिषद् के संदर्भित पत्र में कर्मचारी को वेतन न देने के संबंध में श्री नन्दलाल जायसवाल, लिपिक, उ० प्र० जल विद्युत निगम को मई, 2002 का पूर्ण वेतन भुगतान किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

81–श्री किरन पाल सिंह–

[3सरे शुक्रवार के लिये स्थगित]

लखनऊ के मो० मायानगर पो० निराला नगर में शंकर नगर चौराहे से मुंशीगंज नाले तक सीवर लाइन डाले जाने के सम्बन्ध में जानकारी

82–श्री प्रभु नारायण–

विधान सभा के प्रथम सत्र 2001 के तीसरे शुक्रवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–90 के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार तत्काल जनहित में सीवर लाइन डाले जाने के आदेश देने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

डूडा द्वारा क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं की प्राथमिकता निर्धारण कर उपलब्ध संसाधनों के दृष्टिगत निर्णय लिया जाता है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर, डुमरियागंज थाना भवानीगंज के आस-पास विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ करने हेतु 33/11 के० वी० ए० का सब स्टेशन

83–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधान सभा क्षेत्र के थाना भवानीगंज के आस पास विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए 33/11 के०वी०ए० का एक सब स्टेशन का निर्माण करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत थाना भवानीगंज के आस-पास 33/11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

थाना भवानीगंज को विद्युत आपूर्ति थाना से 12 कि०मी० दूर 33/11 के० वी० उपकेन्द्र डुमरियागंज से निर्गत 11 के० वी० बथारा फीडर से ग्रामीण शिड्यूल के अनुसार की जा रही है । वर्तमान विद्युत मार्ग के अनुसार भवानीगंज में 33 के० वी० उपकेन्द्र के निर्माण की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद सिद्धार्थनगर में विद्युत आपूर्ति व 33 के० वी० ढ़ेबरवा सब स्टेशन पर कर्मचारियों की तैनाती की मांग

84–श्री दिनेश सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सिद्धार्थ नगर में विद्युत आपूर्ति कितने समय तक की जा रही है ? क्या यह सत्य है कि 33 के०वी० ढेबरवा सब स्टेशन, सिद्धार्थ नगर पर कर्मचारियों के अभाव में विद्युत आपूर्ति सही समय से नहीं हो रही है ? यदि हां, तो सब स्टेशन पर स्वीकृत पदों के अनुसार कर्मचारियों की तैनाती की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों में औसत 7.45 घंटे एवं जिला मुख्यालय में औसत 14.00 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कारपोरेशन के द्वारा अनुमन्य विद्युत आपूर्ति के अनुसार ही यथासम्भव विद्युत आपूर्ति की जा रही है ।

प्रदेश में तहसील मुख्यालयों पर विद्युत आपूर्ति कराये जाने की मांग

85–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत की आपूर्ति तहसील मुख्यालयों पर कितने घण्टे की जा रही है ? क्या सरकार तहसील मुख्यालयों पर 20 घण्टे विद्युत की आपूर्ति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

प्रतिदिन 08 घंटे ।

जी हां ।

विद्युत की उपलब्धता में बढ़ोत्तरी के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं और बढ़ोत्तरी होने के उपरान्त ही संभव हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

86–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री दिनेश सिंह–

[उसरे शुक्रवार के लिये स्थगित]

जनपद बुलन्दशहर में लाइन लास को रोकने के उपाय

87–श्री किरनपाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में लाइन लास अपेक्षाकृत अधिक है ? यदि हां, तो क्यों ? इन्हें रोकने के लिये सरकार क्यो उपाय कर रही है ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

पारेषण एवं वितरण प्राणाली में लाइन हानियों तकनीकी व वाणिज्यिक कारणों से होती है ।

काम्बिंग अभियान चलाकर विद्युत चोरी के मामले पकड़े जा रहे हैं एवं अनियमित विद्युत संयोजनों का नियमितीकरण किया जा रहा है ।

88–श्री किरन पाल सिंह–

[3सरे शुक्रवार के लिये स्थगित]

प्रदेश में विद्युतीकृत गांवों की संख्या

89–कुं० रेवती रमण सिंह तथा डा० अशोक बाजपेयी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण 30 जून, 2002 तक कराया जा चुका है ? शेष गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? वित्तीय वर्ष 2002-2003 में कितने गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

प्रदेश के कुल 55,035 गांवों का विद्युतीकरण 30 जून, 2002 तक कराया जा चुका है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार 31-3-2002 तक चयनित अम्बेडकर ग्रामों में से अविद्युतीकृत अवशेष ग्रामों के विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी सं०–5752 है ।

इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत रु० 101.87 करोड़ एवं अन्य मद में रु० 151.00 करोड़ तथा बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत 22.00 लाख रुपये का प्राविधान है ।

जनपद फैजाबाद तहसील–मिल्कीपुर के कुमारगंज में विद्युत सब स्टेशन

90–श्री महबूब अली–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद तहसील–मिल्कीपुर के कुमारगंज में 132 के०वी० विद्युत सब स्टेशन के निर्माण हेतु पावर फाइनेन्स कारपोरेशन द्वारा रु० 7.38 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है ? यदि हां, तो उक्त सब स्टेशन कब तक कार्य करने लगेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

उक्त सब स्टेशन के चालू होने का संशोधित लक्ष्य 12/2003 निर्धारित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

91-श्री महबूब अली-

[1ले सोम के अता० प्र० सं०-116 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फिरोजाबाद की नगर पालिका परिषद् को नगर निगम में परिवर्तित किये जाने की मांग

92-श्री अजीम भाई-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद की नगर पालिका परिषद् को नगर निगम में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त नगर पालिका परिषद् को नगर निगम में कब तक परिवर्तित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

93-श्री अजीम भाई-

[3 सरे शुक्रवार के लिये स्थगित]

जनपद फिरोजाबाद के कारखानों के श्रमिकों से निर्धारित समयावधि से अधिक कार्य लिये जाने की जांच एवं कार्यवाही

94-श्री अजीम भाई-

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद में कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों से आठ घंटे के स्थान पर दस से बारह घंटे तक कार्य लिया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त की जांच कराकर दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में वर्ष 2002-2003 में ऊर्जा निवेश के लक्ष्य निर्धारण एवं प्रस्ताव की जानकारी

95-कुं० रेवती रमण सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2002-2003 में ऊर्जा निवेश का कुल लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष में ऊर्जा निवेश के कुल कितने प्रस्ताव किन-किन जिलों में प्राप्त हुए हैं ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

वर्ष 2002-2003 में उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० में ऊर्जा निवेश का कुल लक्ष्य रु० 1,258.02 करोड़ निर्धारित किया गया है । वित्तीय वर्ष 2002-2003 में किसी भी जिले से ऊर्जा निवेश हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

96–श्री अंसार अहमद–

[3 सरे शुक्रवार के लिये स्थगित]

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ''हरदोई रोड योजना'' में पंजीकृत व्यक्तियों को आवास आवंटित करने सम्बन्धी जानकारी

97–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ''हरदोई रोड योजना'' में विभिन्न प्रकार के आवासों हेतु कितने पंजीकरण किये गये हैं और कितने पंजीकृत व्यक्तियों को आवास आवंटित किये जा चुके हैं ? सरकार उक्त पंजीकरण के लाभार्थियों को कब तक आवास आवंटित करा देगी ?

श्री लालजी टण्डन–

हरदोई रोड योजना में केवल आश्रयहीन आवासों हेतु पंजीकरण किये गये हैं । योजनान्तर्गत 2,250 व्यक्तियों द्वारा पंजीकरण कराया गया है । इन आवेदकों में से 500 को भवन लाटरी के माध्यम से आवंटित किये जा चुके हैं ।

हरदोई रोड योजना में 500 और आश्रयहीन आवास निर्माणाधीन हैं, इनके पूर्ण हो जाने पर इन्हें लाटरी द्वारा पंजीकृत आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा । लाटरी में असफल अवशेष आवेदकों की जमा धनराशि वापस कर दी जायेगी ।

98–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[1 ले गुरुवार के अता० प्र० सं०–114 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जेल अधीक्षक गोण्डा द्वारा 20 वर्ष की सेवा पर बन्दीरक्षकों के स्वीकृत समयमान वेतनमान

99–श्री अरुणवीर सिंह–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जेल अधीक्षक गोण्डा द्वारा 20 वर्ष की सेवा पर बन्दीरक्षकों को समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

नियमानुसार अनुमन्य दो बंदीरक्षकों को व्यक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि स्वीकृत की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ व सहारनपुर में स्व० कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा लगाने के सम्बन्ध में जानकारी

100–श्री संजय गर्ग–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद लखनऊ व सहारनपुर में स्व० कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा लगाये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां । (लखनऊ में) जनपद–सहारनपुर में प्रतिमा लगाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

लखनऊ नगर सीमान्तर्गत ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित ग्राम प्रधान रामपुर चौरंगाबाद ब्लाक जामों जनपद सुल्तानपुर के विरुद्ध अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र एवं कृत कार्यवाही

101–श्री श्याम सिंह अहेरिया–

क्या पंचायत राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित ग्राम प्रधान रामपुर चौरंगाबाद ब्लाक जामों जनपद सुल्तानपुर के विरुद्ध गम्भीर अनियमितताओं विषयक लाल बहादुर-सूबेदार, कुंवर बहादुर आदि ग्राम नौरंगाबाद का पत्र दिनांक 8-4-02 को जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

शिकायत की जांच जिला स्तरीय अधिकारी, सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) से कराई गई । जांच में रु० 5,596.00 अधिक व्यय का दोषी प्रधान को पाया गया, जिसके लिए संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा–27 के अन्तर्गत वसूली एवं धारा–95(1) के खण्ड (छः) के अन्तर्गत वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार से वंचित करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी कर दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ, नगर निगम के जोन–3 में कार्यरत लिपिक द्वारा क्षेत्र में फर्जी निरीक्षक बन कर पैसा वसूले जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की मांग

102–श्री प्रभु नारायण–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, लखनऊ के जोन–3 में कार्यरत लिपिक द्वारा क्षेत्र में फर्जी निरीक्षक बन कर पैसा वसूले जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया, पूर्व सदस्य विधान सभा का पत्र जो मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

शिकायत की जांच करायी गयी थी । कथित लिपिक श्री आर० के० सिंह, उक्त वार्ड में केवल लिपिकीय कार्य देखते हैं । निरीक्षक का कार्य वार्ड में तैनात निरीक्षक द्वारा देखा जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव की नगर पंचायतों में कार्यरत अधिशासी अधिकारियों के स्थानान्तरण की मांग

103–श्री प्रभु नारायण–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायतों में कार्यरत अधिशासी अधिकारियों के स्थानान्तरण की कोई नीति बनायी गयी है ? जनपद उन्नाव की नगर पंचायतों में ऐसे कितने अधिशासी अधिकारी हैं, जो एक ही जगह 5 वर्षों से लगातार कार्यरत हैं ? क्या उन्हें स्थानान्तरित किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जनपद उन्नाव की नगर पंचायतों में ऐसे चार अधिशासी अधिकारी हैं जो एक ही जगह (नगर पंचायतों में) 5 वर्षों से कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष 2002 में सामान्यतः कोई स्थानान्तरण न करने के प्राविधान हैं ।

उक्त के अतिरिक्त स्थानान्तरण नीति सम्बन्धी आदेश दि० 21-6-2002 में वेतनमान रु० 8,000–13,500/- से कम वेतनमान पा रहे ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें एक ही स्थान पर 7 वर्ष या उससे अधिक हो गये हैं, को ही कतिपय अन्य शर्तों के अन्तर्गत जनहित में स्थानान्तरित किये जाने का प्राविधान है ।

श्रीमती हुस्ना फिरोज व तसनीम रिज़वी, सभासद नगर पंचायत मौरावां के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

104–श्री प्रभु नारायण–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती हुस्ना फिरोज व तसनीम रिज़वी, सभासद, नगर पंचायत, मौरावां का पत्र दिनांक 5-4-2002, प्रमुख सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन व निदेशक स्थानीय निकाय, लखनऊ को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लखनऊ के रामाधीन सिंह रोड, डालीगंज के निवासियों द्वारा अपनी सीमा से आगे बढ़कर सड़क पर किये गये अवैध निर्माण को हटवाने की मांग

105–श्री प्रभु नारायण–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामाधीन सिंह रोड, डालीगंज लखनऊ के निवासियों द्वारा अपनी सीमा से आगे बढ़कर सड़क पर अवैध निर्माण करा लिया गया है जिससे आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध निर्माण को हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

रामाधीन सिंह रोड, डालीगंज, लखनऊ पुरानी आबादी की सड़क है, जिसपर नाली तक भवन बने हैं । आवागमन में कोई असुविधा नहीं हो रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

–तदैव–

उत्तर प्रदेश जल निगम में विगत दो वर्षों से रिक्त प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति की मांग

106–श्री संजय गर्ग–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम में विगत दो वर्षों से प्रबन्ध निदेशक का पद रिक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर विकास अनुभाग–3 की अधिसूचना सं०-1909/नौ–3–2002–18सी/91, दिनांक 11 जुलाई, 2002 द्वारा प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति की जा चुकी है ।

फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ग्रामीण अंचलों में 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति की मांग

107–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय नलकूपों को विद्युत आपूर्ति की कमी के कारण फसलों के उत्पादन में गिरावट आयी है ? यदि हां, तो क्या फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ग्रामीण अंचलों में 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री रामवीर उपाध्याय–

राजकीय नलकूपों को ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युत आपूर्ति कार्यक्रम के अनुसार विद्युत उपलब्ध कराई जाती है। यह औसतन 8 घण्टे है।

स्पष्ट रूप से विद्युत की कमी के कारण फसलों में गिरावट की कमी का आकलन उपलब्ध नहीं है।

प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता के सापेक्ष मांग अधिक होने के कारण ग्रामीण अंचलों में वर्तमान में प्रतिदिन 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति करना सम्भव नहीं है।

मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण में दैनिक वेतन पर कार्यरत सहायक अभियन्ताओं की भांति मेरठ, गाजियाबाद के दैनिक सहायक अभियन्ताओं को वेतन वृद्धि का लाभ दिये जाने की मांग

108–श्री राम किशुन–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में दैनिक वेतन पर कार्यरत सहायक अभियन्ताओं द्वारा मा० उच्च न्यायालय में दाखिल वाद संख्या–222/92 पर हुए निर्णय दिनांक 19-8-92 के विरुद्ध उक्त प्राधिकरण द्वारा स्पेशल अपील संख्या–35/93 दाखिल की गयी है ? क्या मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 23-11-95 को स्थगन आदेश पारित किया गया है तथा उक्त स्थगन आदेश के उपरान्त परिवादियों को वेतन का भुगतान दिनांक 19-8-92 के निर्णय के अनुसार किया जा रहा है ? यदि हां तो सरकार क्या मेरठ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में दैनिक वेतन पर कार्यरत सहायक अभियन्ताओं को भी वेतन व वेतन वृद्धि का लाभ दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

रिट याचिका संख्या–222एस०एस०/1992 एस० के० त्रिपाठी व अन्य बनाम लखनऊ विकास प्राधिकरण में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-8-92 का सम्बन्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण में तैनात दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा में अभियन्ताओं से है। उक्त आदेश से मेरठ व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के दैनिक वेतन पर कार्यरत सहायक अभियन्ता आच्छादित नहीं हैं।

अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में वर्ष 2001-2002 में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को धन भुगतान सम्बन्धी जानकारी

109–श्री राजेन्द्र सिंह राणा तथा श्री पूर्णमासी देहाती–

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 में प्रदेश की जो टीमें अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में भाग लेने प्रदेश के बाहर गयी थीं, उनका

भुगतान खिलाड़ियों को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान न करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 में धन उपलब्ध न होने के कारण ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 2002-2003 में होने वाली अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज में सरकार द्वारा मिले धन की जानकारी

110–श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2002-2003 में होने वाली अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज, उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं के लिए क्या धनराशि आवंटित कर दी गयी है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में रु० एक लाख का प्राविधान है । इसके सापेक्ष लेखानुदान के माध्यम से स्वीकृत रु० 50,000/- की धनराशि को अवमुक्त कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के आयुर्वेद यूनानी विभाग में दैनिक लिपिकों के समायोजन सम्बन्धी जानकारी

111–श्री महेन्द्र कुमार सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के आयुर्वेद यूनानी विभाग में कितने दैनिक लिपिक कर्मचारी कार्यरत हैं उनमें से कितने समायोजित हो चुके हैं, कितने शेष हैं ? शेष दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कब तक समायोजित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

वर्तमान में 41 दैनिक वेतन भोगी लिपिक कार्यरत है । उनमें से कुल 12 दैनिक वेतन भोगी लिपिकों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर समायोजित किया जा चुका है । 29 शेष हैं ।

शेष दैनिक वेतन भोगी लिपिकों में से पात्र कर्मचारियों को पदों की उपलब्धता होने पर यथासमय नियमानुसार समायोजित किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ में कानपुर रोड योजना एल०डी०ए० कालोनी के जी० ब्लाक में भैस पालकों द्वारा पार्कों में कब्जा करने सम्बन्धी जानकारी

112–श्री महेन्द्र कुमार सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ में कानपुर रोड योजना एल०डी०ए० कालोनी के जी० ब्लाक में कई भैंस पालकों द्वारा पार्कों में कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पार्कों को खाली कराने एवं उसकी चाहर दीवारी बनवाने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ/कानपुर रोड योजना के जी–ब्लाक में बरसाती पानी के निकासी हेतु योजना

113–श्री महेन्द्र कुमार सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ के कानपुर रोड योजना के जी-ब्लाक में बरसात का पानी भर जाता है, जल निकासी का कोई प्रबन्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार पानी निकासी हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां, कानपुर रोड योजना के जी–ब्लाक में जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण कार्य पूर्व में ही कराया गया था किन्तु अत्यधिक वर्षा होने पर जी–ब्लाक में पानी भर जाता है, जो कुछ समय बाद धीरे-धीरे निकल जाता है ।

जी हां, समस्त योजना की जल निकासी रेलवे कलवर्ट चौड़ा न होने के कारण बाधित होती है । इस समस्या के निदान हेतु प्राधिकरण ने अपने श्रोतों से रेल विभाग को धन उपलब्ध कराया है । रेल विभाग द्वारा कलवर्ट के चौड़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है, इसके पूर्ण हो जाने के पश्चात समस्त योजना की जल निकासी समुचित ढंग से सुनिश्चित हो सकेगी । इसके अतिरिक्त सड़कों के किनारे के० सी० ड्रेन व डीप ड्रेन का निर्माण भी कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

114–श्री जगदम्बिका पाल–

[2सरे बुध० के अता० प्र० सं०–31 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ स्थित दुबग्गा मछली–मण्डी से मौरा जाने वाले मार्ग के सामने के अतिक्रमण को हटवाने की मांग

115–श्री नरेन्द्र सिंह शिसौदिया–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद लखनऊ स्थित दुबग्गा मछली-मण्डी से मौरा जाने वाले मार्ग पर मण्डी के सामने कतिपय लोगों ने अतिक्रमण कर सड़क को गन्दगी युक्त बना दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अतिक्रमण को हटवाकर सड़क को गन्दगी मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

तदैव–

जनपद उन्नाव की पुरवा, मौरांवा नगर पंचायत को नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत 2000 से जून 2002 तक आवंटित धनराशि की जानकारी

116–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव की पुरवा, मौरांवा नगर पंचायत को नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत 2000 से जून 2002 तक कितनी धनराशि आवंटित की गई ? आवंटित धनराशि से अलग-अलग कौन-कौन से कार्य कराये गये ? क्या कराए गए कार्य का प्रस्ताव कमेटी की बैठक में पारित कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जिला नगरीय विकास अभिकरण, जनपद–उन्नाव में वर्ष 2000 से 2002 तक नेहरू रोजगार योजना लागू नहीं थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर के बिन्दवालिया, विकास खण्ड नेबुआ, नौरगियां में विद्युतीकरण कराने की मांग

117–श्री पूर्णमासी देहाती–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मदार विन्दवालिया, विकास खण्ड नेबुआ नौरंगिया, जनपद–कुशीनगर के विद्युतीकरण हेतु डिवीजनल इंजीनियर विद्युत वितरण खण्ड, कसया के पत्र दिनांक 18 जनवरी, 2002 द्वारा वांछित आगणन प्राप्त करके विद्युतीकरण कार्य करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं ।

संसाधनों की कमी के कारण संदर्भित ग्राम का विद्युतीकरण अभी सम्भव नहीं है ।

118–श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

[3सरे शुक्रवार के लिये स्थगित]

लखनऊ के कानपुर रोड योजना, जी–ब्लाक, के आवास संख्या–एस०एस०–800 से एस०एस०–850 तक सड़क/सीवर नाली के निर्माण की जानकारी

119–श्री महेन्द्र कुमार सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि कानपुर रोड योजना जी-ब्लाक, लखनऊ के आवास संख्या–एस०एस० 800 से एस०एस० 850 तक सड़क निर्माण में कितना धन एल०डी०ए० द्वारा वर्ष 1995 से अब तक व्यय किया गया है ? क्या यह सही है कि सीवर-नाली निर्माण का कर एल०डी०ए० द्वारा लिया गया है, जबकि सीवर, नाली का निर्माण नहीं कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर सीवर, नाली का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

कानपुर रोड योजना, जी–ब्लाक, लखनऊ के आवास संख्या–एस०एस०–800 से एस०-एस०–850 तक सड़क निर्माण में वर्ष 1995 से अब तक लखनऊ विकस प्राधिकरण द्वारा कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी है । नहीं लिया गया है । इसलिए उक्त आवासों के सीवर, नाली निर्माण कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता है । प्राधिकरण द्वारा सीवर के स्थान पर सुलभ शौचालयों तथा जलापूर्ति हेतु हैण्डपम्प लगाये गये थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद हरदोई की नगर पालिका परिषद् बिलग्राम की पेयजल समस्या के निदान सम्बन्धी जानकारी

120–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई जनपद की नगरपालिका परिषद् बिलग्राम के एक ट्यूबवेल ने वर्ष 1996 से कार्य करना बन्द कर दिया था जिससे जलापूर्ति बन्द है ? यदि हां, तो क्या उक्त ट्यूबवेल ठीक कराकर नगर की पेयजल समस्या का निदान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

सामान्य पेयजल कार्यक्रमों हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिये जाने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है, अतः प्रस्तावित कार्य स्थानीय निकाय को स्वयं के संसाधनों अथवा राज्य वित्त आयोग/11वां वित्त आयोग की संस्तुतियां से संक्रमित की जाने वाली धनराशि से कराना होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में कार्यरत प्राध्यापकों को सेलेक्शन ग्रेड का लाभ देने की मांग

121–श्री राम किशुन–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में कुल कितने प्राध्यापक कार्यरत हैं ? कितने प्राध्यापक 30-6-97 तक सेलेक्शन ग्रेड पाने के पात्र थे, उनमें से कितने को सेलेक्शन ग्रेड का लाभ दिया गया ? शेष को उक्त लाभ से वंचित करने का कारण क्या है ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

प्रदेश के राजकीय होम्यो० मेडिकल कालेजों में वर्तमान में 69 प्राध्यापक कार्यरत/तैनात है । दिनांक 30-6-97 तक 88 प्राध्यापक सेलेक्शन ग्रेड पाने के पात्र थे जिनमें से 67 प्राध्यापकों को उक्त सेलेक्शन ग्रेड का लाभ दिया जा चुका है ।

राजकीय होम्यो० मेडिकल कालेजों में कार्यरत/तैनात शेष प्राध्यापकों के अभिलेख पूर्ण न होने के कारण तथा वांछित अभिलेख, संबंधित प्राचार्यों द्वारा उपलब्ध न कराये जाने के कारण 30-6-1997 तक सेलेक्शन ग्रेड का लाभ नहीं दिया जा सका । ऐसे प्राध्यापकों के अभिलेख निदेशक होम्यो० उ० प्र० व सम्बन्धित प्राचार्यों से प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

राम नगर नगर पालिका जनपद वाराणसी में बलुआघाट को पक्का करने की योजना

122–श्री राम किशुन–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि राम नगर नगरपालिका जनपद वाराणसी में बलुआघाट को पक्का करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर पालिका परिषद, रामनगर वाराणसी द्वारा बलुआघाट को पक्का करने की कोई योजना नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नही उठता ।

जनपद लखनऊ के मो० कृष्णानगर, आलमबाग, आजादनगर, मुस्लिमनगर में गंदे पेयजल आपूर्ति से हुई मृत्यु व संक्रामक रोगों की जानकारी

123–श्री संजय गर्ग–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद लखनऊ के मोहल्ला कृष्णानगर, आलमबाग, आजादनगर, मुस्लिमनगर में गंदे पेयजल की आपूर्ति होने के कारण माह जून, 2002 में कई व्यक्तियों की

मृत्यु हो गयी तथा कई लोग संक्रामक रोग से ग्रस्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद फैजाबाद के विद्युत विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की विद्युत स्पर्श से हुई मृत्यु के पश्चात उनके आश्रितों को अनुमन्य सहायता की जानकारी

124–श्री आनन्द सेन–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के विद्युत विभाग में कार्यरत कितने कर्मचारियों की मृत्यु वर्ष 2000 से माह जून, 2002 तक विद्युत स्पर्श से हुई ? क्या मृतक कर्मचारी के आश्रितों को कोई अनुमन्य सहायता प्रदान की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

तीन कर्मचारियों की ।

दो मृतक आश्रितों को सेवायोजन प्रदान कर दिया गया है । एक कर्मचारी के आश्रित ने कोई आवेदन नहीं दिया है ।

अन्य देयों का भुगतान तकनीकी कारणों से नहीं किया जा सका है ।

(1) स्व० श्री भुनई प्रसाद के आश्रितों को पेंशन तथा अन्य उपादान मामला न्यायालय में विवादित होने के कारण भुगतान नहीं ।

(2) स्व० श्री शिव प्रसाद, पेट्रोलमैन के पेंशन लिंक इंश्योरेन्स प्लान निर्धारित प्रारूप पर जमा नहीं किया गया है । इसलिए निस्तारित नहीं किया गया है ।

(3) श्री रामफेर कुली के आश्रितों को न तो सेवायोजना दिया जा सका है न ही और कोई देयों का भुगतान किया जा सका है क्योंकि आवेदन नहीं किया है ।

जनपद हरदोई में नगरपालिका परिषद् बिलग्राम की पेयजल समस्या

125–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं०–5583/वि०–12-2002, दिनांक 19-11-01 के अनुपालन में नगरपालिका परिषद्, बिलग्राम जनपद हरदोई की बोर्ड की बैठक में दिनांक 28-2-02 में नगर की पेयजल समस्या के निदान हेतु ट्यूबवेल प्रस्तावित किये गये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

सामान्य पेयजल कार्यक्रमों हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिये जाने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है, अतः प्रस्तावित कार्य स्थानीय निकाय को स्वयं के संसाधनों अथवा राज्य वित्त आयोग/11वां वित्त आयोग की संस्तुतियों से संक्रमित की जाने वाली धनराशि से कराना होगा ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील डुमरियागंज के ग्राम सिरसिया में 132 के०वी०ए० सब-स्टेशन का भवन एवं टावर बनाने की मांग

126–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील डुमरियागंज के ग्राम सिरसिया में 132 के०वी०ए० सब-स्टेशन का भवन एवं टावर बनकर तैयार है ? यदि हां, तो इसे कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

132 के०वी० उपकेन्द्र डुमरियागंज का कन्ट्रोल रूम (भवन) बन चुका है तथा इससे संबंधित 132 के०वी० बस्ती–डुमरियागंज लाइन के कुल 151 अदद लोकेशन में से 140 अदद लोकेशन पर टावर खड़े हो चुके हैं । तार खींचने का कार्य आरम्भ किया जाना है ।

132 के०वी० उपकेन्द्र डुमरियागंज पर 61.5 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य 6/2003 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है । 132 के०वी० बस्ती–डुमरियागंज लाइन का कार्य प्रगति पर है तथा 71.54 प्रतिशत प्रगति हो चुकी है । इस लाइन के पूर्ण होने की प्रस्तावित तिथि 6/2003 है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

127–श्री राम विशुन आजाद–

[कई विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

128–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

[ले सोम के अता० प्र० सं०–84 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

किसानों को उपलब्ध कराये गये क्रेडिट कार्ड के स्टाम्प शुल्क की जबरन वसूली किये जाने के संबंध में प्राप्त पत्र एवं कृत कार्यवाही

129–डा० विनोद तिवारी–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसानों को उपलब्ध कराये गये क्रेडिट कार्ड के स्टाम्प शुल्क 100/–रुपये के स्थान पर 70/–रुपये प्रति हजार एक रुपया की दर से आर०सी० काट कर कृषकों से जबरन वसूली किये जाने संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्रांक–231/पी०ए०/दिनांक 16 मई, 2002 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

प्रकरण में जांच करायी जा रही है ।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः प्रारम्भ हुई)

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, प्रदेश का किसान भूखों मर रहा है ।

(विपक्ष के अधिकांश सदस्य एक साथ अपनी बात कहने का प्रयास करते हुए सदन के वेल में आ गये एवं नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(श्री अध्यक्ष के अनुरोध को अनसुनी करते हुए विपक्ष के सदस्यों द्वारा अपनी-अपनी बात एक साथ कहने का प्रयास करते रहने एवं नारे लगाते रहने से सदन में घोर व्यवधान बना रहा।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

12.45 से लेकर 3.55 बजे तक आपको अपनी बात कहने का अवसर है लेकिन फिर भी आप इस अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं और सदन को स्थगित कराना चाहते हैं। विपक्ष तो अपनी स्वयं की हानि कर रहा है। मैं एक बजे तक सदन को स्थगित कर रहा हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 12 बजकर 22 मिनट पर सदन की कार्यवाही 1.00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 1.00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

(श्री अध्यक्ष के पुनः आसन ग्रहण करते ही विपक्ष के अधिकांश सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे तथा नारेबाजी करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग शांत हो जाइये तथा अपना आसन ग्रहण करें और कार्यवाही को कुछ देर चलने दें।

(मद संख्या–3 पुकारे जाने पर विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के वेल में आ गये और अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे)

(व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2002

* संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2002 को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2002

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2002 को, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2002

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2002 को, सदन के पटल पर रखता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2002

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2002 को, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अध्यादेश, 2002

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अध्यादेश, 2002 को, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2002

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2002 को, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2002

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2002 को, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश ताज आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2002

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश ताज आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2002 को, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 को, सदन के पटल पर रखता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2002

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2002 को, सदन के पटल पर रखता हूं।

भारतीय विद्युत उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2002

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारतीय विद्युत उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2002 को, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 को, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2002

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 को, सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति सदन द्वारा स्वीकृत धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में राज्यपाल का उत्तर

श्री अध्यक्ष–

मैं दिनांक 15 मई, 2002 को विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुये, उत्तर प्रदेश विधान

सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के संबंध में श्री राज्यपाल महोदय के उत्तर को, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–19(8) के अन्तर्गत पढ़कर सुना रहा हूं।

सम्मान्य त्रिपाठी जी,

सादर नमस्कार।

आपके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–505/वि०स०/सं०/6(सं)/2002 दिनांक 06 जून, 2002 के लिये मैं अत्यन्त आभारी हूं।

इस हेतु मैं आपको तथा आपके माध्यम से विधान सभा के माननीय सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

भवनिष्ठ,

विष्णुकान्त शास्त्री

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–19 तथा 20 में कुछ नहीं है।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन के वेल से नारेबाजी करते रहने तथा अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करते रहने पर)

मैं सदन को 2.30 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं।

(व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 1 बजकर 05 मिनट पर सदन की कार्यवाही 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

(श्री अध्यक्ष द्वारा कार्य सूची की अगली मद लिये जाने पर समाजवादी पार्टी के श्री राम करन आर्य, श्री उदय राज, श्री वसीम अहमद, श्री अरविन्द गिरि, श्री शारदानन्द अंचल तथा श्री दीनानाथ भाष्कर के साथ विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(विपक्ष के सदस्य नारे लगाते हुए वेल में आ गये)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शांत हो जायें, आप अपना स्थान ग्रहण करें।'

उत्तर प्रदेश विधान सभा

आज दिनांक 9 अगस्त, 2002 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 15 सूचनाएं प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं :–

पहली सूचना श्री संजय गर्ग की हैं महिला कल्याण विभाग, उ० प्र० में आवश्यकता से अधिक आशुलिपिकों एवं ड्राइवरों को सेवा से हटाने के संबंध में है । दूसरी सूचना डा० रामबाबू हरित की है–जनपद आगरा के मुख्य नालों की तली झाड़ सफाई एवं अतिक्रमण हटाने के संबंध में है । तीसरी सूचना श्री सिद्ध गोपाल साहू की जनपद बांदा में तुलसीनगर के स्थायी निर्माण हेतु अवैधानिक तरीके से भूमि अर्जन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । चौथी सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की है जनपद–बांदा के पैलानी थानान्तर्गत ग्राम सांडी (उपरोस का डेरा) को सामन्तशाही अपराधियों द्वारा उजाड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । पांचवीं सूचना डा० वकार अहमद शाह की है–जनपद बहराइच की नगरपालिका परिषद् द्वारा प्रतिबन्ध के बावजूद नियुक्तियां कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के संबंध में है । छठवीं सूचना डा० कौशल किशोर की है–जनपद लखीमपुर के कस्बा ओयल से खानपुर गुरेला मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के संबंध में और सातवीं सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है–जनपद मेरठ में ए०आर०वी० (वैक्सीन) की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

प्रतीक्षा सूची में श्री श्याम देव राय चौधरी और श्री वंशीधर राज की सूचना है । जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गई उनके नाम इस प्रकार हैं :–श्री प्रागी लाल अहिरवार, श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री विश्राम सिंह यादव, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, डा० राधामोहन दास अग्रवाल और श्री सुरेश कुमार खन्ना ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं ।)

महिला कल्याण विभाग उ० प्र० में आवश्यकता से अधिक आशुलिपिकों एवं ड्राइवरों को सेवा से हटाये जाने की मांग के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय गर्ग–

[महोदय, मैं आपका ध्यान इस सदन के माध्यम से महिला कल्याण विभाग उ० प्र० की तरफ दिलाना चाहता हूं । इस विभाग में अनेकों ड्राईवर एवं आशुलिपिक पदों पर तैनात कर्मचारी/कर्मचारियों को बगैर काम के वेतन दिया जा रहा है, जबकि विभाग को उनकी कोई भी आवश्यकता नहीं है । शासन द्वारा अनेक पद भी समाप्त कर दिये हैं, लेकिन विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । जब उक्त आशुलिपिक एवं ड्राइवरों की आवश्यकता नहीं है तो बगैर कार्य के वेतन देने का कारण समझ से परे है । अतः मैं इस सदन के माध्यम से आपसे अनुरोध करता हूं कि आप संबंधित को निर्देश देने की कृपा करें ।]

आगरा के मुख्य नालों की तलीझाड़ सफाई एवं अतिक्रमण हटाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा० रामबाबू हरित–

[महोदय, आगरा जनपद एक ऐतिहासिक, पर्यटन दृष्टि से प्रदेश का प्रमुख शहर है । यहां ताजमहल व अन्य ऐतिहासिक, धार्मिक स्थलों के अवलोकनार्थ विदेशी व देशी पर्यटक हजारों की संख्या

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

में प्रतिदिन आते हैं । दुर्भाग्य से यहां की सफाई व्यवस्था विशेष रूप से मुख्य नालों पर ऊपरी स्तर पर सिल्ट जमा होने से जगह-जगह दुर्गन्ध युक्त जल भराव होने से सम्पूर्ण शहर का वातावरण गन्दा दिखायी देता है । नालों पर जगह-जगह सरकारी प्रमुख शक्तिशाली राजनीतिक पहुंच वालों, द्वारा अतिक्रमण करने से विगत कई दशकों से नालों की तलीझाड़ सफाई नहीं हुई है । प्रतिवर्ष कागजों पर नालों की सफाई का लाखों रुपया खर्च कर दिया जाता है । नालबन्द क्रासिंग पर पूर्व बनी ईंटों की पुरानी पुलिया को न तोड़े जाने के नालों का बहाव नहीं हो पा रहा है। अतः जनहित में आगरा की छवि जो देश की छवि के रूप में विदेशी पर्यटक बाहर लेकर जाते हैं, को ठीक करने हेतु निरन्तर नालों की तली झाड़ सफाई, अतिक्रमण हटाने की सख्त व्यवस्था तथा नालों के किनारे पत्थरों टोलों में मार्ग निर्माण जिससे सफाई व्यवस्था सुचारु रूप से हो सकें, की व्यवस्था करायें ।]

जनपद बांदा में तुलसी नगर के स्थायी निर्माण हेतु अवैधानिक तरीके से भूमि अर्जन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सिद्ध गोपाल साहू–

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि जनपद–बांदा में तुलसी नगर के स्थायी निर्माण हेतु विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी बांदा द्वारा गाटा सं० 795/5 राजस्व ग्राम लड़ाका पुरवा तहसील व जिला–बांदा की भूमि अवैधानिक तरीके से अर्जन किये जाने का प्रयास किया जा रहा है इसके संबंध में शिकायत-पत्र के आधार पर दि० 30-3-2002 को तहसीलदार बांदा द्वारा जांच आख्या मूल रूप से प्रस्तुत की गयी थी, जिसे गलत ढंग से जांच पत्रावली से तहसीलदार की आख्या को हटाकर गलत ढंग से उक्त गाटा सं० का अधिग्रहण किया जा रहा है । जिसके संबंध में लक्ष्मी कान्त शुक्ल, अपर आयुक्त प्रशासन चित्रकूट धाम मण्डल बांदा के पत्र सं० 5-59//आशु० अ०आ० प्र०/2001 दिनांक 6-5-2002 ने विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकार (संयुक्त से गठन) नाम से बांदा में अभिलेख पत्रावलियों का विधिवत परीक्षण करके चार बिन्दुओं की आख्या दि० 7-5-2002 तक मांगी थी, जिसको अभी तक नहीं दिया गया है, जिससे श्री मोतीलाल पुत्र हीरालाल नि० मु० अलीगंज शहर व जिला बांदा की 775/3 की भूमि अवैध रूप से अधिग्रहण की जा रही है इसके संबंध में अनियमितताओं की शिकायतें प्रशासनिक अधिकारियों को दी गयी हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही ही नहीं हुई है । अतः आप से आग्रह है कि इस लोक महत्व के विषय को स्वीकृत करके चर्चा कराने की कृपा करें ।]

जनपद बांदा के, पैलानी थानान्तर्गत सांडी को सामन्तशाही अपराधियों द्वारा उजाड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[मान्यवर, जैसा कि उपरोक्त विषय में विदित है कि जनपद बांदा के ग्राम सांडी थाना पैलानी के टिर्रा व बाबूलाल पहली रामफल सुखनन्दी व चुन्नू व चुनवदिया व पुसुवा आदि समस्त उपरौस डेरा, निवासी मजरा–सांडी को अलोना ग्राम के सामन्तों द्वारा दहसत पैदा करके गांव खाली करा दिया गया है जिससे सैकड़ों लोग दहसत के कारण जुलाई 2002 से घर-द्वार छोड़ कर अपनी जान बचाकर नाते-रिश्तेदारों में चले गये हैं उनकी जमीन-मकानों पर ग्राम अलोना, थाना पैलानी जनपद बांदा के सामन्तों ने कब्जा कर लिया है । डर व भय के कारण गांव का कोई भी व्यक्ति सामन्तों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाने को तैयार नहीं है क्योंकि कई हत्यायें और डकैतियां व अन्य जघन्य अपराध कर चुके हैं ऐसी स्थिति में

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

गांव में पी० ए० सी० कैम्प डालकर सुरक्षा कराये जाने की आवश्यकता है तथा विस्थापित परिवारों को पुनः बसाने की जरूरत है। अतः आपसे आग्रह है कि अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को स्वीकृत कराकर चर्चा कराने का कष्ट करें।]

बहराइच नगर पालिका परिषद द्वारा प्रतिबन्ध के बावजूद नियुक्तियां तथा भ्रष्टाचार को बढावा देने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा० वकार अहमद शाह–

[मान्यवर, जनपद बहराइच के नगर पालिका परिषद् में घोर अनियमितता चरम सीमा पर है। इसकी लिखित शिकायत मैंने दिनांक 30-7-02 को मुख्य सचिव उ० प्र० शासन से किया जिसमें शासनादेश संख्या 462/एन०वी०एम०/11-6-90 एवं शासनादेश सं० 6/958/23 सामान्य/ 90 दिनांक 24 सितम्बर, 1991 के अन्तर्गत नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध के बावजूद नियुक्तियां करने की शिकायतें की थीं तमाम नियुक्तियां हुई हैं बिना योग्यता के नियुक्तियां हुई हैं और भ्रष्टाचार को बढावा दिया जा रहा है इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। स्थानीय जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है ये लोक महत्व का अविलम्बनीय विषय है। अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए लोक महत्व के विषय पर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर के कस्बा ओयल से खानपुर गुरेला मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा० कौशल किशोर (लखीमपुर)–

[महोदय, हमारी विधान सभा क्षेत्र 54 लखीमपुर में कस्बा ओयल से खानपुर गुरेला मार्ग जो कि गन्ना विभाग द्वारा कई वर्ष पूर्व पक्का पेन्टेड बना था अब टूटकर बिल्कुल ध्वस्त हो गया है। चलने फिरने लायक नहीं रहा है इससे बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं कभी भी कोई भीषण दुर्घटना हो सकती है। आवागमन बाधित रहता है जनता में आक्रोश व्याप्त है। इस लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त मार्ग के निर्माण की मांग करता हूं।]

जनपद मेरठ में ए० आर० बी० (वैक्सीन) की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

[मेरठ व सहारनपुर मंडल ए०आर०वी० कोटा 15000 एम०एल० (ब्यालस) का है। यह कोटा प्रतिमाह का है।

माह	कोटा प्राप्त	प्राप्त में मेकप	कमी दिनों में
4–2002	15000 एम० एल०	18086 एम० एल०	2 दिन
5–2002	17000 एम० एल०	15688 एम० एल०	3 दिन
6–2002	3500 एम० एल०	6091 एम० एल०	14 दिन
7–2002	4500 एम० एल०	3765 एम० एल०	10 दिन
19–7–2002 तक	40000 एम० एल०	43630 एम० एल०	

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि आपूर्ति से खपत अधिक है (43630–40000=3630 एम० एल०) की तथा 14 दिन 10 दिन की अनुपलब्धता ही दर्शा रही है कि ए० आर० वी० की कमी जनपद मेरठ में है । अपने पत्र सं० सी०एम०एस०/ए०आर०वी०/2002 दिनांक 21-7-02 द्वारा सी०एम०एस० मेरठ ने आवश्यकता के अनुरूप कोटा करने का आग्रह जनहित में निदेशक सी०एम०एस०डी० से किया, परिणाम ढाक के तीन पात । मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल ए०आर०वी० आपूर्ति आवश्यकता के अनुरूप करने की मांग करता हूं ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 09-8-2002 को नियम 300 के अन्तर्गत कुल 3 सुचनाएं प्राप्त हुईं । पहली सूचना श्री उदय राज, श्री राम लाल अकेला, सुश्री आशा किशोर, श्री आलोक कुमार शाक्य और श्री मोहन देव शंखवार की है मा० विधायकों द्वारा संस्तुत इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प के लगाने में प्रतिबन्धात्मक प्राविधानों को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में है । दूसरी सूचना डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी की है– उ० प्र० माननीय मंत्रियों तथा विधायकों (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) अधिनियम 1975 के अन्तर्गत प्रपत्रों के सरलीकरण के सम्बन्ध में और तीसरी सूचना श्री शारदानन्द अंचल की है जो प्रदेश में कानून-व्यवस्था की गिरावट के सम्बन्ध में है ।

ये सूचनाएं नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं । अतः निरस्त की जाती हैं ।

नियम–311 के अन्तर्गत सूचनाएं

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 09-8-2002 को नियम–311 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से श्री दुर्गा प्रसाद यादव व श्री आलोक कुमार शाक्य अदि की सूचना को अस्वीकार करते हुए शेष 9 सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित किया गया ।

नियम–311 की सूचनाएं निरस्त की जाती हैं ।

(घोर व्यवधान जारी)

(व्यवधान के मध्य)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 07 अगस्त, 2002 की बैठक में सदन के दिनांक 08 अगस्त, 2002 से दिनांक 07 सितम्बर, 2002 तक के उपवेशनों के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1–दिनांक 08 अगस्त, 2002 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना ली जायें और प्रश्नकाल न हो ।

2–दिनांक 17 तथा 24 अगस्त एवं 07 सितम्बर, 2002 को पड़ने वाले शनिवारों को सदन की बैठकें हों ।

3–सदन के दिनांक 08 अगस्त से 07 सितम्बर, 2002 तक के तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखत संशोधित रूप में निर्धारित किया जाये :–

अगस्त, 2002

8 गुरुवार	निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना (प्रश्नकाल नहीं होगा)
9 शुक्रवार	1—औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों ।
	2—असरकारी दिवस (आधा दिन)
	3—4.00 बजे अपराह्न
	वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक का प्रस्तुतिकरण ।

अगस्त, 2002

10 शनिवार	बैठक नहीं होगी ।
11 रविवार	
12 सोमवार	1—वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।
	2—नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा "प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में" दो घण्टे की चर्चा ।
13 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।
14 बुधवार	1—वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।
	2—5.00 बजे अपराह्न
	विधायी कार्य ।
15 गुरुवार	(स्वतंत्रता दिवस का अवकाश) बैठक नहीं होगी ।
16 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।
17 शनिवार	
18 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
19 सोमवार	वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

20 मंगलवार — 1—वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2—5.00 बजे अपराह्न

विधायी कार्य ।

21 बुधवार
22 गुरुवार
23 शुक्रवार
24 शनिवार — वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

अगस्त, 2002

25 रविवार — बैठक नहीं होगी ।

26 सोमवार
27 मंगलवार — वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

28 बुधवार — वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2—5.00 बजे अपराह्न

विधायी कार्य ।

29 गुरुवार — वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

30 शुक्रवार — (जन्माष्टमी का अवकाश) बैठक नहीं होगी ।

31 शनिवार

सितम्बर, 2002

1 रविवार — बैठक नहीं होगी

2 सोमवार
3 मंगलवार
4 बुधवार
5 गुरुवार
6 शुक्रवार — वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

7 शनिवार — वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2–4.00 बजे अपराह्न से

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2002 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मा० मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

"यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

इसमें कुछ नहीं है।

(व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2002 †

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन विधेयक, 2002 †

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

नोट :–† दिनांक 21-8-2002 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

नोट :–† दिनांक 9-9-2002 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(घोर व्यवधान/शोर के मध्य)

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, 2002 †

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न प्रस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 9 अगस्त, 2002 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनाएं प्राप्त हुईं। जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गईं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :–

पहली सूचना श्री मोहम्मद आजम खां, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, डा० अशोक बाजपेयी, डा० वकार अहमद शाह, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री अम्बिका चौधरी, श्री बलराम यादव, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री शारदानन्द अंचल, डा० कौशल किशोर, श्री पारसनाथ यादव एवं श्री कमाल यूसुफ मलिक जी की प्रदेश में सूखे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

दूसरी सूचना श्री राधेश्याम सिंह तथा डा० पूर्णमासी देहाती की उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की मिलों में कार्यरत श्रमिकों को वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

तीसरी सूचना श्री ओंकार सिंह, श्री भगवत सरन गंगवार, श्री विश्राम सिंह यादव, श्री पारसनाथ यादव, श्री वसीम अहमद, श्री महेन्द्र कुमार सिंह, श्री आलोक कुमार शाक्य, सुश्री आशा किशोर एवं सुश्री अम्बेश कुमारी की है जो बार एसोसियेशन के पूर्व अध्यक्ष तथा लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट श्री इन्द्रदेव सिंह की हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

नोट :–† दिनांक 9-9-2002 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

चौथी सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी एवं श्री अरविन्द गिरि की है, जो पूर्वांचल समेत पूरे प्रदेश में "मुहनोचवा" के आक्रमण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

पांचवीं सूचना डा० पी०के० राय की है जो जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुही रोड़ में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

पहली सूचना की ग्राह्यता पर माननीय सदस्य अपने विचार रखें।

कोई माननीय सदस्य सूचना की ग्राह्यता पर विचार रखने के लिये खड़ा नहीं हुआ।)

(घोर व्यवधान जारी रहा)

श्री अध्यक्ष–

नियम–56 की सभी सूचनाएं निरस्त की जाती हैं। अब मैं सदन को 3 बजकर 55 मिनट तक के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 2 बजकर 40 मिनट पर सदन की कार्यवाही 3 बजकर 55 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजकर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

(नारे लगाये गये)

श्री अध्यक्ष–

शांत रहिये।

(मद संख्या–30 पुकारे जाने पर।)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, सबेरे से सूखा जैसे गंभीर विषय पर ....

"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु नयी विद्युत उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए समयबद्ध योजना बनाए जाने के संबंध में संकल्प पर चर्चा"

श्री अध्यक्ष–

माननीय बाजपेयी जी अपना संकल्प पढ़िये।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये विद्युत उत्पादन की नयी इकाइयों को स्थापित करने के लिये समयबद्ध योजना बनायी जाय।"

मान्यवर, ...

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सुन लूंगा ।

''इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी दूर करने हेतु सरकारी विभागों में प्रचलित ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर ठेकेदारों से कराये जाने वाले कार्य बेरोजगारों को देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में संकल्प पर चर्चा''

* श्री कौशल किशोर–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि ''इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में बढ़ती हुयी बेरोजगारी को दूर करने के लिये सरकारी विभागों में प्रचलित ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर ठेकेदारों से कराये जाने वाले कार्य बेरोजगारों को देकर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायं ।''

श्री अध्यक्ष–

इस संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी ।

प्रदेश को अकालग्रस्त घोषित किये जाने की मांग

*नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, हम यह चाहते हैं कि भाषण सुना भी जाय । पढ़ा भी जाय और यह परम्परा कायम रहे । इसके बावजूद कि सारा दिन प्रदेश को अकालग्रस्त करने की मांग को लेकर सभी सदस्यों ने आपसे निवेदन किया है और दिन भर सदन नहीं चल सका और इसलिये नहीं चल सका क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर है । सूखा अकाल है और लोग भूख से मर रहे हैं । जानवर मर रहे हैं और मवेशियों के खाने का चारा नहीं है । आपके कक्ष में मैंने निवेदन किया था कि अगर यह आश्वासन मिल जाय, मुख्य मंत्री अपने भाषण से पहले उत्तर प्रदेश को अकाल ग्रस्त घोषित करें । अगर अभी तक मानक तैयार नहीं है तो जरूरत नहीं है क्योंकि आजादी के बाद पहली बार ऐसा भयानक सूखा पड़ा है जिसके बारे में लोगों को कोई कल्पना नहीं थी । पूरा देश अकालग्रस्त है और यह मान भी लिया गया है, संसद में 74.6 प्रतिशत धान बोया जाना तो कहा गया है लेकिन कितनी फसल बाकी है उसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया गया है । इसलिये मैंने आपसे यह निवेदन किया था कि बजट भाषण लाजिमी है और जरूरत भी है । बजट भाषण होना चाहिये और होगा और उसको सुना जायगा लेकिन ऐसे हालात हैं, इस बार प्रदेश की जनता इस सदन की तरफ खास तौर से देख रही है कि प्रदेश के अकाल ग्रस्त होने की घोषणा होगी । अगर मानक तैयार नहीं है तो मानकों की जरूरत नहीं है, यह कोई आसमानी किताब नहीं है, मानक आज तैयार हो सकते हैं । आज हालात ऐसे हैं कि हजरतगंज में लूट हो रही है, डकैतियां हो रही हैं और हाईकोर्ट में विधायकों पर कातिलाना हमले हो रहे हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

एक मिनट चार बजे के पहले सचिव महोदय को सूचना देने के लिए छोड़ दें । 3.59 पर सचिव महोदय एक सूचना देंगे ।

* श्री प्रमोद कुमार–

जब उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय ले लिया है सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश सूखाग्रस्त घोषित हो गया है क्योंकि किसानों की फसल पूरी तरह से तबाह और बरबाद हो गई है । चाहे इधर के बैठने वाले लोग हों या उधर के सभी इस बात को मानते हैं कि प्रदेश बरबाद और तबाह हो चुका है । तो सूखाग्रस्त घोषित करने से किसानों को कुछ मिलने वाला नहीं है न उनको तबाही और बरबादी से बचाया जा सकेगा । मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश को इस दैवी आपदा से बचाने के लिए, राष्ट्रीय आपदा का मुकबला करने के लिए तत्काल इस प्रदेश को अकालग्रस्त घोषित किया जाए व किसानों को राहत दिलाई जाए अकालग्रस्त घोषित करने से केन्द्र सरकार से भी सहायता मिलने लगेगी ।

श्री अध्यक्ष–

मुख्य मंत्री जी सुन रही हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

आप सभी राजनीति दलों का प्रस्ताव ले लीजिए । सारे सदन का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को जाए कि कम से कम 20 हजार करोड़ रुपये का पैकेज वह दे ।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक संबंधी साहित्य वितरण के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष–

मैं ही सूचना दिए दे रहा हूं ।

आय-व्ययक वितरण के संबंध में सूचना, 9 अगस्त, 2002

अब कुछ क्षणों बाद अपराह्न 4.00 बजे वित्तीय वर्ष 2002-2003 का आय-व्ययक प्रस्तुत होगा । माननीय सदस्यों को वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक संबंधी साहित्य वितरित किये जाने हेतु की गई व्यवस्था इस प्रकार है :–

''हां'' सभाकक्ष में समस्त महिला सदस्य तथा बिजनौर, ज्योतिबा फूले नगर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, बलरामपुर, बस्ती, सन्तकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महराजगंज, पडरौना, देवरिया, मऊ, छत्रपति शाहूजी महराज नगर, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चन्दौली तथा भदोही जिलों के समस्त सदस्यगण,

और

''नहीं'' सभाकक्ष में नाम-निर्देशित सदस्य तथा शेष अन्य जिलों के समस्त माननीय सदस्यगण अपना साहित्य प्राप्त करने का कष्ट करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 का आय-व्ययक

श्री अध्यक्ष–

मा० मुख्य मंत्री जी बजट प्रस्तुत करें ।

* मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं, वित्तीय वर्ष 2002-2003 का बजट, इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आय-व्ययक की प्रतियां बांट दी जाएं ।

(बजट भाषण की प्रतियां वितरित की गईं ।)

सुश्री मायावती–

यह भी एक सुखद संयोग है कि आज जब मैं चालू वित्तीय वर्ष की दिशा निर्धारण का यह दस्तावेज ...

(घोर व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष–

जिन माननीय सदस्यों ने प्रतियां प्राप्त नहीं की हैं, वह पटल कार्यालय से प्रतियां प्राप्त कर लें ।

सुश्री मायावती–

पेश कर रही हूं मेरी सरकार ने अभूतपूर्व सफलता के तीन महीने पूरे कर लिये हैं जो भविष्य के लिए सुदृढ़ बुनियाद का काम करेंगे, लेकिन बजट की रूपरेखा का विस्तृत ब्यौरा रखने से पहले आज 09 अगस्त के दिन स्वतंत्रता संग्राम के लाखों योद्धाओं के प्रति श्रृद्धांजलि अर्पित करना मैं अपना पुनीत कर्तव्य समझती हूं ।

हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजाद भारत में .....

(बजट भाषण के मध्य)

प्रदेश को अकालग्रस्त घोषित किये जाने की मांग (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

माननीया मुख्य मंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि वे एक बात पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं ताकि आप अपने बजट भाषण में उसका भी समावेश कर लें । बजट आपने प्रस्तुत कर दिया है । इसके लिये 4.00 बजे का समय निर्धारित था । एक दो मिनट में माननीय नेता विरोधी दल की बात सुन लेते हैं । उसके बाद आपका भाषण जारी रहेगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नेता विरोधी दल (श्री मो० आजम खां)–

मैं आभारी हूं अध्यक्ष जी आपका और चाहूंगा कि इस तरह की परम्परा आगे भी चलती रहे क्योंकि आपके निर्देश पर मैं बैठ गया था । हो सकता था मेरा खड़ा होना जरूरी नहीं होता लेकिन मैंने आपके निर्देश का पालन किया और आपने अपने किये हुए वायदे का । आपकी सूखे में जो राहत मिलती है वक्ती तौर पर किसानों की वसूली की रोक की राहत मिलती है । इसको रुकवाकर कोई राहत नहीं होती है । ज्यादातर जिलाधिकारी अभी तक किसानों को पकड़कर ला रहे हैं और 10×10 के कमरे में 32-32 लोगों को बन्द कर रहे हैं । विपक्ष के और खास तौर से समाजवादी पार्टी के नेताओं और विधायकों के साथ जुल्म की और ज्यादती की इन्तेहा है । ऐसी हालत में सूखा घोषित करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है । कोई राहत नहीं है किसानों के साथ । मैंने कहा था आपके सामने कि सरकार ने अगर कोई एक कदम उठाया हो कि ऐसा कर देंगे, ऐसा किया गया है । केन्द्र सरकार से इतना पैसा देंगे । सरकार ने सूखे से निपटने के लिये यदि कोई काम किया हो तो बतायें । सरकार ने सूखे से निपटने के लिये कोई काम नही किया है । किसानों की गिरफ्तारी हो रही है । किसानों की गिरफ्तारी जरूरी है । मैं इसको इसलिये कहना चाहता हूं कि इसमें कोई पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है । सत्ता पक्ष के विधायकों को भी अपने वोटर्स को जवाब देना है । इसलिये अकालग्रस्त घोषित होने के बाद माफी नहीं बल्कि किसानों और गरीबों ने जो कर्जा लिया है उस कर्जे की माफी की बात हम नहीं कर रहे हैं बल्कि उस पर जो ब्याज है उसको खत्म कर दिया जाय । हमारे पास करोड़ों टन अनाज है जो बर्बाद हो रहा है, सड़ रहा है वह किसानों को मुफ्तकसीम कर दिया जाय ।

(श्री जगदम्बिका पाल के कुछ कहने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

पाल जी कृपया बैठ जायं । पूरा बजट भाषण सुन तो लीजिये ।

श्री मो० आजम खां–

मान्यवर, बच्चों को किताबें मुफ्त दी जायं, दवाई मुफ्त दी जाय । मान्यवर, एक वाक्य में मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं । बहुत अच्छी परम्परा होगी, शुरूआत होगी आगे के लिये बहुत अच्छा होगा कि नेता सदन अपने भाषण से पहले उत्तर प्रदेश को अकालग्रस्त घोषित करने का काम करें और उसके बाद अपना भाषण जारी करें ।

श्री अध्यक्ष–

इतना तो उनके विवेक पर छोड़ दें । मुझे विश्वास है कि जिस शांतिपूर्ण वातावरण में आपने अपनी बात कही है वैसे ही मुख्य मंत्री जी का भाषण हो जाय ।

(श्री कल्याण सिंह के कुछ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

पहले मुख्य मंत्री जी का भाषण हो जाय उसके बाद आप अपनी बात कह सकते हैं ।

(व्यवधान)

(श्री कल्याण सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

समाप्त होने दीजिए ।

* श्री कल्याण सिंह–

अध्यक्ष जी, आज जिन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश का बजट प्रस्तुत हो रहा है वह उत्तर प्रदेश आज केवल सूखाग्रस्त नहीं अकालग्रस्त घोषित हो गया है । भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है, लोग मर रहे हैं मैं चाहता हूं आज मुख्य मंत्री जी अपने बजट भाषण में, यदि न कहा हो तो अब कह सकती है कमिटमेंट कर सकती है उत्तर प्रदेश को अकालग्रस्त घोषित करायें, सारे देय जो हैं उनको स्थगित करने से काम नहीं चलेगा वह माफ किए जाएं जो कर्जे किसान ने लिए हैं अगर वह माफ न कर सकें तो ब्याज माफी की घोषित करें । केन्द्र से सहायता मांगी है पूरा सदन चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो हम सभी सहयोग करने को तैयार हैं प्रधानमंत्री जी से जिक्र करने को तैयार हैं जो पैसा मांगा गया है इस प्रदेश को अकालग्रस्त घोषित करने के लिए वह मिले यह घोषणा मुख्य मंत्री जी को सदन में करनी चाहिए जबकि पूरे प्रदेश की जनता हाहाकार कर रही है ।

श्री अध्यक्ष–

अनुरोध इतना है कि इसी तरह शान्ति बनाए रखें ।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक (क्रमागत)

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

(बजट भाषण पुनः पढ़ना प्रारम्भ किया)

शोषण मुक्त और समता युक्त समाज का जो सपना देखा था वह आज भी अधूरा है । इस प्रसंग में मैं बाबा साहेब डा० भीम राव अम्बेडकर के विचारों को उद्धृत करना चाहती हूं । उन्होंने 25 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा में कहा था : "यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से हमने समानता प्राप्त की है, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में अभी भी गैर बराबरी और असमानता विद्यमान है । जब तक हम राजनीतिक स्वतंत्रता के 'एक व्यक्ति एक वोट' के सिद्धान्त को 'प्रत्येक व्यक्ति समान महत्व' के सिद्धान्तों में तब्दुल नहीं करेंगे तब तक हमारा राजनीतिक प्रजातंत्र भी सुदृढ़ नहीं होगा । यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस विरोधाभास को जितनी जल्दी हो सके समाप्त करें ।"

बाबा साहेब के यह विचार ही हमारे इस बजट में मार्गदर्शक सिद्धान्त हैं । हमारा यह बजट दलितों, पिछड़ों, महिलाओं तथा समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान एवं सशक्तीकरण को समर्पित है । साथ ही साथ मैं दोहराना चाहती हूं कि हमारी सरकार कमजोर वर्गों के लोगों को प्राथमिकता देते हुए सर्वसमाज की भलाई और संरक्षण के लिए भी कृत संकल्प है ।

माननीय सदन के सम्मानित सदस्यों के समक्ष मैंने वर्ष 1997-98 का बजट प्रस्तुत किया था जो नवम् पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष था । आज मैं पांच वर्ष बाद पुनः दशम् पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 2002-2003 का बजट इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं । इस पांच वर्ष के अन्तराल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में उत्तर प्रदेश में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति चिन्ताजनक स्वरूप में हमारे सामने उभरी है, जिसकी चर्चा मैं यथा स्थान करूंगी ।

सरकार के गठन के पूर्व राज्य में दिनांक 08 मार्च, 2002 से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था । इस कारण उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये वार्षिक वित्तीय विवरण तथा संबंधित अनुदानों की मांगें संसद के दोनों सदनों में मार्च, 2002 में प्रस्तुत की गयी थीं । इसी के साथ वित्तीय वर्ष 2002-2003 के प्रथम छः माह की अवधि के लिये लेखानुदान भी संसद में प्रस्तुत किया गया था । संसद द्वारा विस्तृत मांगों पर विचार लम्बित रखते हुए लेखानुदान स्वीकृत कर दिया गया था ।

मान्यवर, राज्य की वित्तीय स्थिति का राज्य के आर्थिक विकास से सीधा संबध है । यदि वित्तीय स्थिति संतुलित होगी तो राज्य सरकार को अपने विकास कार्यों को पूरा करने के लिये समुचित मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे और राज्य की आर्थिक स्थिति विकासोन्मुख होगी । मैं इसी परिप्रेक्ष्य में विगत वर्ष में प्रदेश की आर्थिक स्थिति की समीक्षा संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहूंगी ।

आर्थिक स्थिति

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य की आर्थिक स्थिति से आप सब भलीभांति परिचित हैं । कृषि हमारी अर्थ-व्यवस्था का आधार है । उसमें प्रमुख खाद्यान्नों तथा फसलों के उत्पादन का महत्वपूर्ण योगदान है । इस क्रम में यह उल्लेखनीय है कि प्रचलित भावों पर प्रदेश की कुल आय में 1998 तथा 2000 के मध्य वृद्धि हुई है । इसी प्रकार प्रतिव्यक्ति आय में भी हमारे प्रयासों के फलस्वरूप उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, यद्यपि राष्ट्रीय औसत की तुलना में यह कम है । आप अवगत हैं कि खाद्यान्न तथा वाणिज्यिक फसलों तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास के विभिन्न मानदण्डों जैसे–प्रतिव्यक्ति आय, ग्रामीण विद्युतीकरण, साक्षरता, गरीबी, शिशु मृत्यु दर, बेसिक स्कूलों की उपलब्धता तथा जन्मदर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है । इस स्थिति को बदलने तथा प्रदेश को भारत के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए अथक परिश्रम, सूझबूझ और जहां जरूरत हो, लीक से हटकर प्रयोग की आवश्यकता है । इस दिशा में मैं सभी सम्मानित सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा करती हूं ।

मैं सम्मानित सदस्यों को सूचित करना चाहूंगी कि अभी हाल ही में जो दशम् पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना (2002-2003) का अनुमोदन केन्द्रीय योजना आयोग से कराया गया है उसमें इस बात का प्रयास किया गया है कि हमारा प्रदेश विकास के मानदण्डों में आगे बढ़े ताकि हम राष्ट्र की विकास की मुख्य धारा में बराबरी के भागीदार रहें । योजना की प्राथमिकताओं तथा प्रदेश के करोड़ों लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए ही यह आय-व्ययक तैयार किया गया है ।

वित्तीय स्थिति

आप अवगत हैं कि प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था जर्जर अवस्था में हमें मिली है । आय एवं व्यय के मध्य असन्तुलन के कारण बढ़ता हुआ घाटा, राज्य द्वारा लम्बे समय तक ओवरड्राफ्ट लिया जाना इसके स्पष्ट लक्षण हैं । सरकार के अनुत्पादक खर्च बढ़े हैं जबकि उत्पादक और आर्थिक गतिविधियों के लिये उपलब्ध राशि में कमी आयी है ।

वर्ष 2000-2001 की तुलना में 2001-2002 में कुल राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि 12 प्रतिशत की हुई जबकि इसी अवधि में राजस्व व्यय 14.3 प्रतिशत बढ़ा । राजस्व आय के सापेक्ष राजस्व व्यय में वृद्धि के कारण राजस्व घाटा 2000-2001 में छः हजार दो सौ नवासी करोड़ इक्तीस लाख रुपये (6289.31 करोड़

रुपये) से बढ़कर 2001-2002 में सात हजार सात सौ छप्पन करोड़ पचहत्तर लाख रुपये (7756.75 करोड़ रुपये) होने का अनुमान है। राज्य का राजकोषीय घाटा भी इसी अवधि में लगभग 22.1 प्रतिशत बढ़ गया है। राज्य पर कर्जे का बोझ भी निरन्तर बढ़ रहा है। 31 मार्च, 2001 को जो कर्ज बहत्तर हजार सात सौ पैंसठ करोड़ चौंसठ लाख रुपये (72765.64 करोड़ रुपये) था वह 31 मार्च, 2002 तक बढ़कर तिरासी हजार चार सौ एक करोड़ पैंतीस लाख रुपये (83401.35 करोड़ रुपये) होने का अनुमान है।

स्पष्ट है कि राज्य की वित्तीय स्थिति गंभीर रूप से असन्तुलित है। ऐसी गंभीर असन्तुलित वित्तीय स्थिति का बने रहना राज्य के व्यापक हित में ठीक नहीं है क्योंकि इससे विकास के कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं जनता की सामाजिक, आर्थिक विकास की आकांक्षायें अब कुंठाओं की गिरफ्त में आ चुकी हैं। हमारा यह विश्वास है कि जब तक इस असन्तुलन को दूर नहीं किया जायेगा तब तक राज्य की प्रगति एवं विकास हेतु हम सबकी प्रतिबद्धता पर संदेह का प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा।

सूखे का अप्रत्याशित संकट--

(बजट भाषण में "सूखे का अप्रत्याशित संकट" हैडिंग पढ़ने पर)

* श्री राम करन आर्य--

मान्यवर, इसमें कोई राहत नहीं दी गयी है। प्रदेश को अकालग्रस्त घोषित किया जाय। यह बजट केवल झूठ का पुलिन्दा है। जनता को इससे कोई लेना-देना नहीं है।

*डा० वकार अहमद शेह--

मान्यवर, कोई राहत सूखे से नहीं दी जा रही है। यह केवल झूठ का पुलिन्दा है। इससे कोई फायदा नहीं है। किसानों को राहत दिलायी जाय। प्रदेश को अकालग्रस्त घोषित किया जाय।

(व्यवधान के मध्य)

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)--

एक ऐसे समय में जबकि हमारा प्रदेश पहले से ही वित्तीय संसाधनों के संकट और विकास की अन्य समस्याओं से जूझ रहा था, भयंकर सूखे की विकराल समस्या भी आ खड़ी हुई है।

(बजट भाषण पढ़ने के मध्य बजट भाषण की किताब के पन्ने फाड़कर सदस्यों द्वारा सदन में फेंके गये)

सूखे की विभीषिका से जहां खरीफ की फसल क्षतिग्रस्त हुई, वहीं खेतिहर मजदूरों के लिये रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। पेयजल की समस्या गम्भीर होती जा रही है। साथ ही साथ जानवरों को चारा, पानी का इंतजाम भी करना है।

राज्य सरकार सूखे की समस्या से युद्ध स्तर पर निपट रही है। रोजगार सृजन से संबंधित कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्न एवं नकद धनराशि के वितरण की भी कार्यवाही की जा रही है। मंत्रि-परिषद् तथा शीर्षस्थ प्रशासनिक स्तर पर सतत् मानीटरिंग की व्यवस्था करके यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बेरोजगार हुए लोगों को इनका पूरा लाभ मिले, परन्तु इस विकराल समस्या का निदान राज्य के स्वयं के संसाधनों से सम्भव नहीं है। अतः भारत सरकार से इस हेतु राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से पांच हजार छः सौ एक करोड़ रुपये (5601करोड़ रुपये) की धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय सदस्यों के सहयोग, केन्द्रीय सरकार की सहायता व मार्गदर्शन तथा सम्बद्ध व्यक्तियों के अथक प्रयासों से हम भयंकर सूखे की इस चुनौती का सामना सफलतापूर्वक कर सकेंगे।

सरकार की प्राथमिकताएं–

दिनांक 03 मई, 2002 को कार्यभार ग्रहण करने के तुरन्त बाद ही मैंने अपनी सरकार की प्राथमिकताएं निर्धारित की थीं, उन्हें मैं पुनः माननीय सदन के समक्ष दोहराना चाहती हूं क्योंकि न केवल यह हमारे वर्तमान शासन की नीतियों तथा कार्यक्रमों का आधार है बल्कि आज जो बजट मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं उसे भी इन प्राथमिकताओं को कार्य रूप देने का सार्थक साधन बनाया गया है। मैंने प्रदेश की बागडोर हाथ में लेते ही निम्न प्राथमिकताएं तय की थीं :–

- प्रदेश में अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त, भयमुक्त तथा विकासयुक्त वातावरण बनाना।
- बेहतरीन कानून व्यवस्था और सर्वांगीण विकास।
- सर्वजन के हितों का पूरा ख्याल, परन्तु दलितों, पिछड़ों, गरीब तबकों, धार्मिक अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता प्रदान करना और उनके उत्थान की दिशा में कार्य एवं सार्थक प्रयत्न।
- विकास के कार्यक्रमों तथा सरकारी योजनाओं का लाभ उन लोगों को वास्तव में दिलाना जो इन योजनाओं के लाभार्थी एवं केन्द्र बिन्दु हैं।
- सरकारी मशीनरी की जवाबदेही सुनिश्चित करना तथा संचालित कार्यक्रमों का निर्धारित अवधि में पूरा कराना।
- अनुत्पादक व्यय एवं फिजूलखर्ची में कमी तथा उत्पादक कार्यों के लिये पर्याप्त धनराशि का जुटाना। राजस्व की वसूली, जिनमें कर राजस्व तथा गैर कर राजस्व शामिल है, की ओर पूरा ध्यान दिया जाना।
- कठोर वित्तीय अनुशासन की स्थापना ताकि विकास एवं जन कल्याण के कार्यक्रम कुप्रभावित न हों।
- अपने विशाल प्रदेश की जनसंख्या को उत्पादक रोजगार के साधन उपलब्ध कराना एवं प्रदेश के उद्योगीकरण को विशेष महत्व देना।
- अप्रवासी भारतीय तथा निजी पूंजी निवेश को उत्तर प्रदेश में निवेशपरक वातावरण बनाकर उद्योग लगाने हेतु आमंत्रित करना।
- सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण एवं आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं के सृजन की ओर विशेष ध्यान दिया जाना।
- किसानों को उनके उत्पाद का उचित दाम दिलाने तथा अवशेष बकायों के भुगतान के लिये ठोस कार्यवाही।
- खेतिहर मजदूरों तथा बुनकरों के कल्याण के लिये संचालित कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू कराना।

- ऊर्जा की स्थिति में युद्ध स्तर पर कार्यवाही करके सुधार सुनिश्चित करना, विद्युत चोरी को रोकना, विद्युत उत्पादन एवं वितरण को बेहतरीन बनाना ।
- प्रशासन तंत्रा में संवेदनशीलता, समयशीलता तथा पारदर्शिता विकसित करना ताकि भ्रष्टाचार को सभी स्तरों से समाप्त किया जा सके ।

माननीय सदस्यगण स्वयं देखेंगे कि हमारी इन प्राथमिकताओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है । मैं माननीय सदन को विश्वास दिलाती हूं कि इस दिशा में चलते हुए कम से कम समय में सभी क्षेत्रों में अधिक से अधिक लक्ष्य प्राप्त करेंगे ताकि प्रदेश की जनता को हम और अधिक खुशहाल बना सकें ।

राज्य सरकार, प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये नये कदम उठायेगी, राजस्व की वृद्धि करने के लिये प्रक्रियाओं का सुदृढ़ीकरण करेगी, कर-व्यवस्था को तर्क संगत बनायेगी, करों की चोरी रौकेगी और राजस्व अभिवृद्धि के उपाय करेगी जिससे जनता पर अधिक दबाव न हो परन्तु संसाधनों की अधिक से अधिक उपलब्धि सुनिश्चित हो सके ।

वर्ष 2002–2003 के बजट अनुमानों, को देखने से यह स्पष्ट होगा कि राज्य सरकार इन प्राथमिकतायुक्त कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिये कृत संकल्प है ।

शान्ति व्यवस्था–

प्रदेश सरकार की प्राथमिकता अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त व भय मुक्त वातावरण उत्पन्न कराने की है । इसके लिये प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखने व अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं ।

प्रदेश में सर्वसमाज के हितों को ध्यान में रखते हुये साम्प्रदायिक सद्भाव कायम रखने तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति व महिलाओं के प्रति अपराधों व अन्याय को रोकने के लिये राज्य सरकार कृत संकल्प है । माफिया गिरोहों व संगठित अपराधी गिरोहों तथा गुण्डगर्दी व समाज में अशान्ति फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध समयबद्ध कार्यवाही कराई जा रही है ।

प्रदेश के पड़ोसी राज्यों तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से अवांछनीय तत्वों जैसे नक्सलवादी, उग्रवादी व आई०एस०आई० संचालित गिरोहों के प्रदेश में प्रवेश को रोकने के लिये सुदृढ़ व्यवस्था की जा रही है । साथ ही प्रदेश की आम जनता, विशेषकर गरीब जनता, की दिन प्रतिदिन की समस्याओं के लिये स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान के लिये थानों की कार्य प्रणाली सुधारने तथा थाने में पूरे दिन के लिये एक दिवस अधिकारी तैनात करने के निर्देश दिये गये हैं । यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार के दिन तहसील स्तर पर परगनाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, व अधीनस्थ अधिकारी उपस्थित रहें । सभी स्तर के अधिकारियों द्वारा मंगलवार एवं रविवार को छोड़कर प्रतिदिन 10 बजे से 12 बजे तक जनता की शिकायतें सुनने के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है । एक तरफ जहां इन निर्देशों में शिथिलता बरतने के लिये अधिकारियों के प्रति तत्काल कठोर कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं, वहीं दूसरी तरफ अच्छे कार्य करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जायगा । जनता के सभी वर्गों का विश्वास प्राप्त करने के लिये जनपदों में थानाध्यक्षों की तैनाती में समस्त वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के निर्देश का अनुपालन कराया जा रहा है ।

पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत दंगा निरोधक उपकरण, अस्त्र-शस्त्र एवं सुरक्षा व संचार उपकरणों का क्रय किये जाने की व्यवस्था की गई है । आधुनिकतम संचार उपकरण, अस्त्र-शस्त्र व अन्य आधुनिकतम संयंत्र उपलब्ध कराकर पुलिस/पी०ए०सी०/संचार/प्रशिक्षण, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, यातायात आदि सभी शाखाओं को वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिये सक्षम बनाया जायेगा । पुलिस विभाग के लिये थानों में प्रशासनिक भवनों, पुलिस चौकियों/पुलिस लाइनों व पुलिस कर्मियों के आवास का निर्माण भी आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत कराया जा रहा है ।

राजकोषीय सेवायें–

राज्य के स्वयं के राजस्व प्राप्ति में राजकोषीय सेवाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है । उनके माध्यम से व्यापार कर, आबकारी शुल्क, स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क, परिवहन से संबंधित कर, मनोरंजन कर, भू-राजस्व आदि की वसूली होती है ।

व्यापार कर–

आप सभी सम्मानित सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि राज्य के स्वयं के राजस्व में व्यापार कर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और केवल कर राजस्व में व्यापार कर के माध्यम से लगभग 60 प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति होती है ।

राज्य सरकार करापवंचन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने की दिशा में प्रयासरत है । शासन ने करापवंचन रोकने हेतु टास्क फोर्स का गठन किया है जो करापवंचन की गम्भीर शिकायतों पर टेस्ट रूप में आकस्मिक जांच कर शासन को रिपोर्ट देगी । जांच चौकियों को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में सक्रिय कार्यवाही की जा रही है तथा इस बात की व्यवस्था भी की जा रही है कि सभी संबंधित विभागों की जांच एक ही चौकी पर संयुक्त रूप से की जा सके ताकि समय की बचत हो सके तथा राजस्व में वृद्धि भी हो सके ।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2003 से "वैट" प्रणाली लागू करने के लिये आवश्यक व्यवस्था की जा रही है । इसी परिप्रेक्ष्य में प्रक्रियाओं का सरलीकरण तथा सभी प्रक्रियाओं का कम्प्यूटरीकरण आदि की कार्यवाही की जा रही है ।

आबकारी शुल्क–

व्यापार कर के बाद कर राजस्व में दूसरा स्थान आबकारी शुल्क का है । अवैध शराब बनाने एवं मादक वस्तुओं की तस्करी की रोकथाम के लिये राज्य सरकार दृढ़ संकल्प है । प्रवर्तन कार्य को प्रभावी बनाने हेतु प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में 14 नये चेक पोस्ट एवं 10 सचल दलों की व्यवस्था की गई है ।

स्टाम्प एवं निबन्धन–

दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी राज्य सरकार को काफी राजस्व प्राप्त होता है । इस मद के अन्तर्गत राजस्व में वृद्धि, कार्यकलापों में पारदर्शिता तथा जन साधारण को हो रही कठिनाइयों के निवारण हेतु कदम उठाये गये हैं । इनके अन्तर्गत विलेख पत्रों को उसी दिन जारी करने, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिये सिटीजन चार्टर सभी स्थानों पर सुलभ कराने तथा सभी कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण

करने आदि की कार्यवाही की जा रही है । इस वित्तीय वर्ष में निबन्धन राजस्व में चोरी को समाप्त करने के लिये प्रदेश में सर्किल रेट का व्यापक नवीनीकरण किया जा रहा है ।

परिवहन–

परिवहन के अन्तर्गत राज्य सरकार को मोटर वाहन कर, यात्री कर एवं माल कर के माध्यम से राजस्व प्राप्त होता है । राज्य सरकार द्वारा बिना परमिट के वाहनों का संचालन रोकने आदि के सम्बन्ध में व्यापक कार्यवाही की जा रही है । इससे जहां एक ओर अवैध वाहनों के संचालन में कमी आयेगी वहीं दूसरी ओर परिवहन निगम की बसों की उपयोगिता में वृद्धि होगी और राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी ।

मनोरंजन कर–

मनोरंजन कर के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सिनेमा व्यवसाय को मजबूती देने के लिये फिल्म विकास निधि का गठन किया गया है जिसके माध्यम से क्षेत्रीय फिल्मों को सहायता दी जायेगी । इसके अतिरिक्त राज्य में फिल्म निर्माण को भी प्रोत्साहित किया जायेगा जिसके अन्तर्गत मनोरंजन कर से छूट दी जायेगी ।

केबिल प्रसारण के कारण राज्य के मनोरंजन कर राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । राज्य में केबिल टी०वी० विनियमन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है । इस प्रकार जहां एक ओर छबि गृह विकसित होंगे वहीं दूसरी ओर केबिल टी०वी० के प्रसारण से राज्य को अधिक राजस्व की भी प्राप्ति होगी ।

उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य के स्वयं के कर राजस्व हेतु तेरह हजार चार सौ सत्ताइस करोड़ बाइस लाख रुपये (13427.22 करोड़ रुपये) की प्राप्ति के अनुमान लिये गये हैं, जो वर्ष 2001–2002 की पुनरीक्षित अनुमानों के सापेक्ष लगभग 17 प्रतिशत अधिक है ।

विभिन्न करों के संबंध में उपर्युक्त व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा वसूली बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद एवं मण्डल स्तर पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसकी नियमित बैठकें प्रत्येक माह आयोजित की जाने लगी है । राज्य स्तर पर इन बैठकों में लिये गये निर्णयों की विस्तृत समीक्षा भी की जाती है ।

जिला एवं मण्डल स्तर पर राजस्व देयों की वसूली को गति देने के लिये पूरे प्रदेश को तीन जोन में बांटा गया है । कर एवं करेत्तर राजस्व के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति की गहन समीक्षा की जा रही है और उसके उत्साहबर्धक परिणाम भी आने प्रारम्भ हो गये हैं ।

वित्तीय सुधार कार्यक्रम–

राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिये राज्य सरकार कृत संकल्प है । इसी संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा **माध्यकालिक वित्तीय पुनर्संरचना नीति** तैयार की गई है, जिसमें एक रणनीति के तहत

राजस्व आय में वृद्धि एवं व्यय में कमी कर प्रतिवर्ष राजस्व घाटे को कम करने का उद्देश्य रखा गया है। इसी प्रकार राज्य के कर्जे में भी कमी करने की रणनीति निर्धारित की गई है।

राज्य में वित्तीय सुधार कार्यक्रम भी लागू करना एक अनिवार्यता है, क्योंकि गम्भीर वित्तीय स्थिति अधिक समय तक नहीं चल सकती; अतः इन सुधार कार्यक्रमों को एक दीर्घ कालीन परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिये। इन सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से जहां एक ओर हमारा संस्थागत ढांचा और परिणाममूलक बनेगा, वहीं इससे बेहतर वित्तीय प्रबन्धन सुनिश्चित होने से प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रमों हेतु वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध होगे।

यहां पर भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा सफलतापूर्वक इन सुधार कार्यक्रमों को लागू करने की दशा में 5 वर्ष की अवधि में भारत सरकार से प्रोत्साहन निधि से लगभग 972 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हो सकेगी। यह आर्थिक सहायता केवल उन्हीं राज्यों को प्राप्त हो सकेगी जो आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से प्रतिवर्ष राजस्व घाटे में कमी करेंगे। इसी मध्यकालिक वित्तीय पुनर्संरचना नीति को दृष्टिगत रखते हुये इस वर्ष का बजट तैयार किया गया है।

वित्तीय प्रबन्धन–

राज्य सरकार द्वारा सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय प्रबन्धन को प्राथमिकता दी गई है। वित्तीय प्रबन्धन को प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से राज्य स्तर पर एक लेखा-नियंत्रक की नियुक्ति की गई है। कोषागारों में राज्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान संबंधी एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली लागू करने की कार्यवाही की जा रही है। राजकीय प्राप्तियों के लेखों को भी कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। कोषागारों के माध्यम से हुए प्रति माह के भुगतान एवं प्राप्तियों का ब्यौरा/आरम्भिक लेखा माह नवम्बर 2001 से प्रदेश सरकार की इन्टरनेट बेबसाइट पर प्रस्तुत किया जा रहे हैं। प्रदेश के कोषागारों को कोषागार निदेशालय तथा वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय से निकनेट के माध्यम से जोड़ा गया है। इससे सूचनाओं के आदान प्रदान में गति आई है।

वित्तीय प्रबन्धन के आधुनिकीकरण एवं आडिट व्यवस्था को मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से कराये गये अध्ययन की संस्तुतियों के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। इसके लिये आन्तरिक आडिट की तैनाती की गई है। विभागीय लेखा निदेशालय का नाम एवं कार्य परिवर्तित कर इसे आन्तरिक आडिट निदेशालय बनाया जायेगा। आडिट संस्थाओं द्वारा सिस्टम आडिट, मैनेजमेंट आडिट, परफार्मेंस आडिट इत्यादि पर बल दिया जायेगा। आन्तरिक आडिट में मात्र आपत्तियां इंगित करने के बजाए सुधारवादी दृष्टिकोण, प्रक्रियाओं के सरलीकरण एवं गुणात्मक आडिट पर बल दिया जायेगा। इस हेतु आडिटरों को आधुनिक तकनीक से प्रशिक्षित किया जायेगा। उच्च प्राथमिकता प्राप्त विकास कार्यक्रमों की आडिट पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

राज्य सरकार के पेंशनरों को उनकी मासिक पेंशन का भुगतान उनके निकटतम् बैंकों द्वारा किये जाने की व्यवस्था की गई है तथा पेंशन वितरण संबंधी सूचना प्रतिमाह कोषागारों की इन्टरनेट वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

दशम् पंचवर्षीय योजना (2002–2003)

प्रदेश की नवम् पंचवर्षीय योजना के लिये निर्धारित लक्ष्य 7 प्रतिशत के सापेक्ष 3.1 प्रतिशत विकास दर की प्राप्ति अनुमानित है । राज्य अर्थव्यवस्था की अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश की दशम् पंचवर्षीय योजना में विकास दर 8 प्रतिशत रखी गई है, जिनमें कृषि एवं सम्वर्गीय सेवाओं के लिये 5.17 प्रतिशत, उद्योग के लिये 12.36 प्रतिशत एवं शेष सेक्टर के लिये 8.06 प्रतिशत रखी गई है । उपाध्यक्ष, केन्द्रीय योजना आयोग के साथ हुए मेरे विचार विमर्श के बाद दशम् पंचवर्षीय योजना का आकार उनसठ हजार सात सौ आठ करोड़ रुपये (59708 करोड़ रुपये) निर्धारित हुआ है ।

दशम् योजना में कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है । आर्थिक अवस्थापना सुविधाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा, लाभकारी एवं उत्पादक रोजगार का सृजन किया जायेगा, जनसंख्या को नियंत्रित किया जायेगा, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के साथ ही समाज के अलाभान्वित वर्ग की सामाजिक एवं आर्थिक दशा में सुधार के उपाय प्रमुख उद्देश्य एवं प्राथमिकता होगी । दशम् योजना में गरीबी आपात में कमी, सभी बच्चों को प्राइमरी स्कूल जाने की व्यवस्था, महिला साक्षरता पर विशेष बल, महिला सशक्तीकरण, 500 से अधिक जनसंख्या वाली सभी बस्तियों को पक्की सड़क से जोड़ना सभी ग्रामों का विद्युतीकरण एवं सीमित संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग हेतु संसाधनों का अभिसरण (कन्वरजेन्स) तथा डवटेलिंग सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जायेगी ।

वार्षिक योजना (2002–2003)–

प्रदेश की पूर्व वर्षों की योजनाओं की प्रगति को दृष्टिगत रखते हुये, वार्षिक योजना, 2002-2003 के लिये योजना आयोग की सहमति से को प्लान के रूप में सात हजार दो सौ पचास करोड़ रुपये (7250 करोड़ रुपये) का परिव्यय रखा गया है । इस योजना के अन्तर्गत स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा ट्राइबल सब प्लान हेतु एक हजार पांच सौ चवालीस करोड़ रुपये (1544 करोड़ रुपये) का परिव्यय रखा गया है ।

वार्षिक योजना (2002–2003) की प्राथमिकतायें–

विकास कार्यों हेतु अधिकाधिक बाह्य सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से और नई-नई परियोजनाओं को भारत सरकार एवं डोनर एजेन्सियों के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने का लक्ष्य है । इस क्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सड़क, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत क्षेत्रों के प्रस्तावों को प्रस्तुत किये जाने के प्रयास किये जायेंगे ।

अम्बेडकर ग्राम विकास योजना–

देश की मूल आत्मा गांवों में बसती है और जब तक गांवों को मूलभूत सुविधाओं से नहीं जोड़ा जायेगा तब तक इस देश का वास्तविक विकास नहीं हो सकता । इसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने डॉ० अम्बेडकर ग्राम विकास योजना को विशेष प्राथमिकता दी है । यह अति पिछड़ों के विकास की एक अभिनव योजना है । इस कार्यक्रम से प्रदेश में उपलब्ध सीमित आर्थिक साधनों के उपयोग की

प्राथमिकताओं का निर्धारण हुआ है और सघन प्रयत्नों के आधार पर विकास के ठोस कार्य सम्पादित करने की नीति प्रतिपादित हुई है । यह योजना किसी वर्ग विशेष के विकास की नहीं, बल्कि समग्र ग्राम्य विकास की योजना है । हमारी यह परिकल्पना है कि सबसे पहले उन ग्रामों का विकास किया जाये जहां प्रदेश के सबसे गरीब एवं पिछड़े लोग रहते हैं । अगले चरण में हम इसका विस्तार करके प्रदेश के अन्य सभी बड़े गांवों का क्रमिक विकास करेंगे ।

इस योजनान्तर्गत वर्ष 1997 तक चयनित ग्रामों में अवशेष कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर इसी वर्ष पूरा किया जायेगा । इस वर्ष के लिये दस हजार नये ग्रामों का चयन करके उन्हें समयबद्ध रूप से सभी कारकों से संतृप्त किया जायेगा । मुझे माननीय सदन को यह अवगत कराते हुये सन्तोष होता है कि हमने भारत सरकार से औपचारिक अनुरोध किया है कि वे इस अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना को विश्व बैंक द्वारा पोषित करायें । इस संदर्भ में विश्व बैंक के साथ अधिकारी स्तर पर विचार विमर्श भी हुआ है, जिसके संकेत सकारात्मक है ।

स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत मात्राकरण एवं आय-व्ययक में नये अनुदान के अन्तर्गत व्यवस्था–

प्रदेश के समन्वित एवं समतामूलक विकास के उद्देश्य से स्पेशल कम्पोनेंट प्लान एवं ट्राइबल सब-प्लान के सुव्यवस्थित संचालन एवं प्रभावी अनुश्रवण तथा व्यवहारिक रूप दिये जाने हेतु योजनाओं के लिये परिव्यय आवंटन हेतु मानकों का निर्धारण किया गया है । समाज कल्याण विभाग को स्पेशल कम्पोनेंट प्लान एवं ट्राइबल सब की संरचना एवं अनुश्रवण करने हेतु नोडल विभाग घोषित किया गया है तथा समाज कल्याण आयुक्त को विभिन्न विभागों को परिव्यय आवंटित करने हेतु अधिकृत किया गया है । स्पेशल कम्पोनेंट प्लान से संबंधित जो योजनायें/कार्यक्रम व्यय की नई मदों के माध्यम से इस बजट में सम्मिलित किये गये हैं, उन्हें प्रथम बार एक अलग अनुदान के अन्तर्गत रखा गया है । चालू मदों/सेवाओं के लिये प्रस्तावित अनुदान के अन्तर्गत बजट व्यवस्था आगामी वित्तीय वर्ष 2003–2004 से की जायेगी ।

नई कार्य संस्कृति–

- जनतांत्रिक व्यवस्था में आम जनता की समस्याओं एवं शिकायतों की सुनवाई एवं निराकरण त्वरित गति से किया जाना शासन का महत्वपूर्ण दायित्व है इसके लिये तहसील और थाना स्तर पर जन शिकायतों की सुनवाई के लिए बेहतर व्यवस्था की गयी है ।
- यह भी निर्देश दिये गये हैं कि जिलाधिकारी क्रमवार अपने जनपद की तहसीलों में आयोजित तहसील दिवस में भाग लेंगे ।
- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संचालित तहसील दिवस में तहसील स्तरीय अधिकारियों के अलावा जनपद स्तरीय सभी अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे ।
- जिलाधिकारी अपने जनपद से लोक शिकायतों के निस्तारण के लिए उत्तरदायी होंगे । यदि जिलाधिकारी स्तर पर किसी समस्या का निराकरण हो सकता है और नहीं होता है तो उसे शासन द्वारा अत्यन्त गंभीरता से लिया जायेगा ।

- जिला पंचायतों एवं अन्य सभी स्थानीय निकायों व विकास प्राधिकरणों में भी अधिकारियों को प्रातः 10 बजे से 12 बजे के मध्य कार्यालय में उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया है ।
- जन सामान्य को बेहतर सुविधायें प्रदान करने, उनकी शिकायतों के त्वरित निस्तारण एवं विभागों में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जन-सामान्य द्वारा विभागों से सम्पर्क किये जाने वाले बिन्दुओं पर कार्य निस्तारण के संबंध में समय सीमा निर्धारित की गयी है ।
- सभी फील्ड स्तरीय अधिकारी अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर अपने कार्य-क्षेत्र में विनिर्दिष्ट मुख्यालय पर निवास करके ड्यूटी का निर्वहन करेंगे । विभागाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी समय-समय पर आकस्मिक चेकिंग कराकर यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके कार्य-क्षेत्र में अधिकारी/कर्मचारी अनधिकृत रूप से मुख्यालय नहीं छोड़ रहे हैं ।
- प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा अपने विभागाध्यक्ष एवं मण्डलीय अधिकारियों के साथ प्रत्येक माह की तीन तारीख को प्रातः 10 बजे से पूरे प्रदेश की अपने विभाग की कार्यक्रमवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षात्मक बैठक तथा कार्यों का स्थलीय सत्यापन किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं ।
- प्रशासनिक कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता लाने तथा जन सामान्य में प्रशासन के प्रति विश्वास स्थापित करने के उद्देश्य से प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत हित से संबंधित तथा प्रत्येक जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र की जनहित से संबंधित शासकीय पत्रावलियों (गृह, गोपन, सतर्कता तथा विधायी विभाग को छोड़कर) के निरीक्षण करने की सुविधा प्रदान की गयी है ।अब मैं माननीय सदस्यों को कुछ मुख्य विभागीय कार्यक्रमों से संक्षेप में अवगत कराना चाहूंगी ।

कृषि–

वर्ष 2002-2003 में कृषि उत्पादन में विकास दर 5.1 प्रतिशत प्रति वर्ष बनाये रखते हुए 468 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन तथा 13.30 लाख मीट्रिक टन तिलहन उत्पादन के लक्ष्य रखे गये हैं । इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कृषि निवेशों की गुणवत्ता के साथ समय से उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी ।

प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन के अन्तर्गत कृषि योग्य बेकार पड़ी भूमि को उत्पादन के अन्तर्गत लाने के लिये भूमि जल संरक्षण तथा जलागम विकास योजना तथा भूमि सुधार कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जायेगा । वर्ष 2002-2003 में ऊसर भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत इक्तीस हजार सात सौ हेक्टेयर (31700 हेक्टेयर) ऊसर भूमि के उपचार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम्, मेरठ को अतिशीघ्र कार्यशील करने हेतु हम प्रयत्नशील है ।

(घोर व्यवधान)

कार्यक्रमों के नियोजन एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2002-2003 से कृषि विविधीकरण परियोजना से आच्छादित समस्त 32 जनपदों में एक महत्वपूर्ण संस्थागत पहल ''कृषि तकनीकी प्रबन्ध अभिकरण'' का गठन कर, की गयी है । अब जनपद स्तर पर ही स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर कार्यक्रमों का चयन कर उनको लागू करने की रणनीति निर्धारित

की जा सकेगी । इसके अतिरिक्त परियोजना के अन्तर्गत एकीकृत जीवनाशी कीट प्रबन्धन (इन्टीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेन्ट) तथा एकीकृत पौध पोषकतत्व प्रबन्धन (इन्टीग्रेटेड प्लान्ट न्यूट्रियन्ट मैनेजमेन्ट) द्वारा पर्यावरण संरक्षण जैसे संवेदनशील व सामयिक मुद्दों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

भूमि विकास एवं जल संसाधन–

सूखा बाहुल क्षेत्र कार्यक्रम के माध्यम से भूमि एवं जल वनस्पति आदि प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम् उपयोग कर मृद्रा तथा नमी संरक्षण हेतु दस करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित है । वर्ष 2002-2003 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के नौ हजार परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है ।

वर्ष 2002-2003 में एक लाख नब्बे हजार हेक्टेयर में प्रक्षेत्र विकास कार्य कराये जाने का लक्ष्य है । प्रत्येक किसान को समान रूप से नहर का पानी दिये जाने हेतु दो लाख पचास हजार हेक्टेयर में ओसराबन्दी कराने का लक्ष्य है । वर्ष 2002-2003 के लिए 80 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान किया गया है ।

भारत सरकार के सहयोग से संचालित समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम इस वर्ष उन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जायेगा जहां पीने के पानी की समस्या हो तथा अनुसूचित जाति/जनजाति की बाहुलता हो । इस हेतु राज्यांश के रूप में एक करोड़ पचासी लाख चौदह हजार रुपये (185.14 लाख रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण–

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2002-2003 में आलू के लगभग 104 लाख टन के उत्पादन का अनुमान है जबकि वर्ष 2001-2002 में आलू का उत्पादन 95.70 लाख टन हुआ । आलू उत्पादकों को उनके उत्पादन का समुचित मूल्य मिल सके, इस हेतु सरकार द्वारा सतत् प्रयास किए जा रहे हैं ।

प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर-खीरी एवं बहराइच के सीमावर्ती विकास खण्डों में औद्यानिक फसलों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट योजना के अन्तर्गत चयनित कृषकों को शाकभाजी व मसाला की खेती हेतु संकर व उन्नतिशील बीजों का उनके खेतों पर प्रदर्शन कराया जाएगा । साथ ही उनकी खेती व फल संरक्षण हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा । वित्तीय वर्ष 2002-2003 में इस योजनान्तर्गत दस लाख चौरासी हजार रुपये (10.84 लाख रुपये) का परिव्यय आवंटित किया गया है ।

पश्चिमांचल पैकेज के अन्तर्गत वर्ष 2002-2003 में 25 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है । इस धनराशि से जनपद बागपत में रटौल आम फल पट्टी का विकास किया जायेगा ।

अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को बागवानी के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में कृषकों को फल, शाकभाजी, फूल एवं आलू की खेती हेतु प्रोत्साहन तथा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है । इसके अलावा अम्बेडकर ग्रामों में प्राथमिकता के आधार पर अनुसूचित जाति/जनजाति के चयनित कृषकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं ।

वर्ष 2002-2003 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत 61.75 लाख रुपये की नई योजना प्रस्तावित की गई है । इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति के एक हजार नौ सौ पचास (1950) तथा अनुसूचित जनजाति के 200 कृषक परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के स्थापना को बढ़ावा दिये जाने तथा प्रसंस्कृत पदार्थों के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु खाद्य विश्लेषण एवं शोध केन्द्र (एफ०आर०ए०सी०) की स्थापना की जा रही है । यह केन्द्र अपने प्रकार का देश का दूसरा केन्द्र होगा ।

विश्व बैंक पोषित कृषि विविधीकरण परियोजना के अन्तर्गत 32 जनपदों के 157 विकास खण्डों में कृषकों को बागवानी की नवीनतम तकनीकों की जानकारी के साथ बेहतर रोपण सामग्री युक्त पौधशालाओं की स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं ।

प्रदेश में आम के लिए लखनऊ तथा सहारनपुर एवं आलू के लिए आगरा को कृषि निर्यात जोन घोषित किया जा चुका है । इस योजना के माध्यम से प्रश्नगत बागवानी फसलों के अच्छे बीज एवं रोपण सामग्री से लेकर फसल उत्पादन तथा उनकी विपणन/निर्यात व्यवस्था नवीनतम् तकनीकी प्रणाली से सम्पादित करायी जाएगी । इसके अतिरिक्त वाराणसी को शाकभाजी, प्रतापगढ़ को आंवला तथा कन्नौज को पुष्प के कृषि निर्यात जोन घोषित किए जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया है ।

प्रदेश में औषधीय उपयोग की जड़ी-बूटी की घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के साथ-साथ उसके निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हर्बल गार्डेन की स्थापना का प्रस्ताव भी इस बजट में सम्मिलित किया गया है ।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग–

इस वर्ष 31 जुलाई, 2002 तक गन्ने मूल्य का लगभग 81.83 प्रतिशत भुगतान हो चुका है । अवशेष गन्ना के मूल्य का भुगतान शीघ्र करने के लिये चीनी मिलों को कड़े निर्देश दिये गये है ।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम एवं उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ की मिलों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु 130 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस वर्ष की गई है ।

चीनी मिलों को आर्थिक दृष्टिकोण से और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सह-विद्युत उत्पादन योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 267 मेगावाट विद्युत उत्पादन की अनुमति विद्युत नियामक आयोग से प्राप्त की जा चुकी है एवं 128.5 मेगावाट विद्युत के "पावर परचेज एग्रीमेन्ट" भी निष्पादित हो चुके है । सह-उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में अल्कोहल को ईंधन के रूप में पेट्रोल के साथ मिलाने की पायलट गैसोहल परियोजना बरेली जनपद से प्रारम्भ की गयी थी जिसका विस्तार इस वर्ष गोण्डा, बिजनौर एवं कानपुर जनपदों में किया जायेगा । इस वर्ष प्रदेश की आसवनियों द्वारा गैसोहल के उत्पादन का कार्य भी किया जा रहा है । इन निर्णयों से चीनी मिलों तथा आसवनियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ-साथ गन्ना किसानों को अपनी उपज का समुचित मूल्य प्राप्त होने में सहायता मिलेगी ।

चीनी मिलों द्वारा को-जेनेरेशन से 500 मेगावाट बिजली जनता को उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है तथा शीरे से बने गैसोहल का पायलट प्रोजेक्ट बरेली में सफलतापूर्वक चलाया गया है ।

आगामी सत्र में प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा तथा पेट्रोल मिश्रण के रूप में गैसोहल का प्रयोग गोण्डा, कानपुर सहित अन्य प्रदूषित नगरों में शीघ्र प्रारम्भ हो सकेगा ।

दुग्ध विकास–

वर्ष 2002-2003 में प्रदेश के सहकारिता क्षेत्र में दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन, मार्केट इन्टरवेशन एवं मानव संसाधन विकास हेतु विशिष्ट प्रयास की महत्वपूर्ण योजनायें क्रियान्वित की जानी प्रस्तावित है । सहकारिता क्षेत्र में दूग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन योजना में समितियों के दुग्ध उत्पादकों को स्वच्छ एवं शुद्ध दूध का उत्पादन, आधुनिक लेखा प्रणाली तथा उत्पादक को बेहतर मूल्य उपलब्ध कराकर उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जायेगा । मार्केट इन्टरवेन्शन आपरेशन योजना में सचल गुण नियंत्रण दस्ता, नवीन उत्पादों का विकास, मार्केट प्रणाली का अभिनवीकरण, कोल्ड चेन आपूर्ति, उपभोक्ता जागृति व मानव संसाधत विकास हेतु विशिष्ट प्रयास कर दुग्ध विकास कार्यक्रम से उत्पादन व उपभोक्ताओं को लाभान्वित कर उन्हें रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना प्रस्तावित है । वित्तीय वर्ष 2002-2003 में विभिन्न जनपदों में कार्यरत दुग्ध संघों के दुग्ध मार्गों पर स्थित अम्बेडकर ग्राम एवं अनुसूचित जाति बाहुल अन्य ग्रामों में दुग्ध समितियों का गठन करते हुए पूर्व में संचालित योजनाओं के अन्तर्गत बचाव हेतु टीकाकरण, हरे चारे के बीज का वितरण, प्रशिक्षण, प्राथमिक उपचार सुविधाओं एवं दुधारू पशुओं के क्रय की व्यवस्था की जायेगी ।

(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य माननीय मुख्य मंत्री ने अपना बजट भाषण पढ़ना जारी रखा ।)

मछली पालन–

वित्तीय वर्ष 2002-2003 में 3000 हेक्टेयर क्षेत्रफल के तालाबें का पट्टा कराया जाना एवं 2500 हेक्टेयर के निजी क्षेत्र के तालाबों में मछली पालन कराया जाना प्रस्तावित है । उत्तम मत्स्य प्रजातियों का बीज, मत्स्य पालन की आधारभूत आवश्यकता है । वर्ष 2002-2003 में निजी क्षेत्र में मिनी-हैचरियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाना प्रस्तावित है ।

मछुआ समुदाय आदि काल से समाज का उपेक्षित वर्ग रहा है । इसके कल्याण हेतु आवास योजना व दुर्घटना बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है । वर्ष 2002-2003 में 2000 मछुआ आवासों का निर्माण तथा दुर्घटना बीमा योजना के तहत अड़तीस हजार (38,000) मछुवों का आच्छादन प्रस्तावित है । स्वर्ण जयन्ती ग्राम्य स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत मत्स्य पालन तथा विपणन से सम्बन्धित 1000 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जायेगा । मत्स्य पालकों के ज्ञानवर्धन हेतु वर्ष 2002–2003 में झांसी तथा बागपत जनपदों में मत्स्य चेतना केन्द्र एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना भी प्रस्तावित है । प्रदेश में मस्स्य विकास कार्यक्रमों को विशेष गति दिये जाने हेतु प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं तथा प्रदेश नील क्रांति की ओर अग्रसर है ।

पशुपालन–

प्रदेश में अगले 25 वर्षों के लिए पशु प्रजनन नीति बनाई गयी है जिसमें देशी मूल के उन्नत जातियों की गायों एवं भेसों को विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित है । वर्ष 2002-2003 में प्रजनन योग्य गाय

एवं भैंसों को उन्नत प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रजनन सुविधाओं का आच्छादन 23.5 प्रतिशत को बढ़ाकर 30.0 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित कार्यक्रमों के अन्तर्गत कृत्रिम गर्भाधान 26.5 लाख, टीकाकरण लक्ष्य 262 लाख, बधियाकरण 14.50 लाख एवं चिकित्सा लगभग एक सौ तिरानबे लाख वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है । स्वरोजगार योजनाओं में पशुधन/पक्षी इकाइयों की स्थापना हेतु आठ हजार समूहों के गठन का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

भारतीय मूल के स्वदेशी गोवंश संरक्षण हेतु उन्नत नस्ल के सम्वर्धन के लिए प्रदेश में गोशाला अधिनियम, 1964 द्वारा पंजीकृत और चयनित गोशालाओं को आर्थिक अनुदान दिया जा रहा है ताकि उन्हें सुदृढ़ कर प्रजनन कार्यों में सहभागी बनाया जा सके और नयी गोशालाओं की स्थापना की जायेगी ।

सिंचाई–

कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि में सिंचाई का मुख्य योगदान है । इसको दृष्टिगत रखते हुए विश्व बैंक से पोषित उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर पुनर्गठन परियोजना का 14 जून, 2002 को शुभारम्भ किया गया । यह एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी 15 वर्षीय योजना है । योजना अवधि में लगभग सात हजार करोड़ रुपये (7,000 करोड़ रूपये) व्यय करके घाघरा-गोमती दोआब में शारदा सहायक एवं सरयू नहर प्रणाली की 36 लाख हेक्टेयर सिंचाई समादेश क्षेत्र की नहर प्रणालियों का पुनरोद्धार करके जल का इष्टतम् उपयोग करना प्रस्तावित है । यह योजना तीन चरणों में कार्यान्वित की जायेगी । प्रथम चरण में पांच वर्षों में 663.41 करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है । कम से कम पानी से अधिकतम लाभ लेना, फसलों की उत्पादकता बढ़ाना तथा सबसे छोटे किसानों की आय बढ़ाकर उन्हें गरीबी की रेखा के ऊपर लाना इस योजना के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं । इस परियोजना की एक महत्वपूर्ण विशिष्टता कृषि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी अन्य आर्थिक गतिविधियां जैसे मत्स्य पालन, पशुपालन, उद्यान आदि पर ध्यान देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है । यह सम्पूर्ण योजना किसानों सहित समस्त उपभोक्ताओं की सहभागिता से क्रियान्वित की जायेगी । इस योजना के तहत सिंचाई विभाग के प्रबन्ध सूचना तंत्र का आधुनिकीकरण प्रस्तावित है ताकि किसानों की समस्याओं का त्वरित गति से निस्तारण सम्भव हो सके ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का अभाव रहा है । इस क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिये दशम् पंचवर्षीय योजना में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सात नई परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं, जिनसे लगभग 46 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन होगा ।

राज्य सरकार सिंचाई प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता को बढ़ाने के लिये कटिबद्ध है । इस तारतम्य में नहर प्रणालियों की माइनरों तथा रजवाहों के संयुक्त प्रबन्धन के लिये जल उपभोक्ता समितियों का गठन कर दिया गया है ।

माननीय सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि नवम् पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 10 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया गया । नवम् पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में 26

परियोजनाएं निर्माणाधीन थीं, जिनमें से 11 परियोजनाएं योजना अवधि में पूर्ण कर ली गईं । इसी क्रम में वर्ष 2002-03 में ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण, मध्य गंगा तथा हिण्डन कृषि दोआब योजनाओं की नहरें व राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजनाएं पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है । इस वर्ष पूरी होने वाली योजनाओं से लगभग डेढ़ लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन, तिरपन हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की पुनर्स्थापना तथा दस हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़ से सुरक्षा की जायेगी ।

लघु सिंचाई–

वर्ष 2002–2003 में निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत चार लाख उन्यासी हजार हेक्टेअर अतिरिक्त सिंचन क्षमता के सृजन हेतु तिरासी हजार सात सौ इक्यासी उथले बोरिंग, एक हजार उन्यासी गहरे नलकूप, 407 इनवेल बोरिंग, 208 ब्लास्ट वेल, 10 आर्टीजन कूप तथा 1500 सतही ट्यूबवेल स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।

भूगर्भ जल–

भूगर्भ जल की पर्याप्त उपलब्धता एवं गुणवत्ता हमारी कृषि तथा इससे संबंधित अन्य क्रियाओं को प्रभावित करती हैं । अतः वर्ष 2002–2003 में चयनित निरीक्षण कूपों/पीजोमीटर पर तीस हजार जल स्तर मापन 53 विकास खण्डों में सूक्ष्म स्तर पर भूजल सर्वेक्षण, बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 23 विकासखण्डों में उपग्रहीय चित्रों एवं रिमोट सेन्सिंग डाटा के आधार पर वाटरशेड सीमांकन, गहरे नलकूपों के निर्माण हेतु भू-भौतिकीय सर्वेक्षण द्वारा उपयुक्त स्थलों का चयन न्यूक्लियर हाइड्रोलाजिकल विधि द्वारा रिसाव दर व सीपेज दर का अध्ययन, यथासम्भव 20 पीजोमीटर की स्थापना भूजल गुणवत्ता अनुश्रवण हेतु 1612 भूजल नमूनों का रसायनिक विश्लेषण एवं अतिदोहित विकासखण्डों में सूक्ष्म अध्ययन के कार्य प्रस्तावित हैं ।

ग्राम्य विकास–

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिये विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है । प्रदेश में बढ़ती हुई आबादी एवं बेरोजगारी को दृष्टिगत रखते हुये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं का सृजन करना, बेरोजगार युवकों एवं भूमिहीन मजदूरों को रोजगार आदि उपलब्ध कराकर गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना, हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है । ग्रामीण बस्तियों विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों का विकास करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ स्थायी, सामुदायिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिसम्पत्तियों तथा आधार-भूत सुविधाओं के विकास के उद्देश्य से केन्द्र सरकार के सहयोग से संचालित सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001–2002 में 313.63 लाख मानव दिवस के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2002–2003 में 1018 लाख मानव दिवस के रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर 1034 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है । इस हेतु राजांश के रूप में 296 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है ।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाता है । इस योजना के अन्तर्गत बैंक ऋण और सरकारी सहायता के माध्यम से आय सृजन करने वाली परिसम्पत्तियां गरीब परिवारों को उपलब्ध कराकर उन्हें स्वरोजगार में लगाना है, जिससे वह स्वयं के प्रयास से गरीबी रेखा के ऊपर उठ सकें । वर्ष 2002–2003 में इस हेतु 140.13 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष ढाई लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है । इस योजना में 50 प्रतिशत धनराशि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिये व्यय की जायेगी ।

अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों, उपयोग व मांग के आधार पर रोजगार परक योजनायें संचालित कर वर्ष 2002-2003 में डेढ़ लाख व्यक्तियों के लिये स्वरोजगार अवसर सृजित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इस हेतु बजट में 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य मार्च, 2003 तक 1000 एवं इससे अधिक आबादी वाले गांवों को तथा मार्च, 2007 तक 500 एवं इससे अधिक आबादी वाले गांव/बस्तियों को सर्वऋतु मार्गों से जोड़ना है । वर्ष 2002–2003 में इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से 1200 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है ।

वर्ष 2002-2003 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिव्यय 294.70 करोड़ रुपये से इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 1.76 लाख आवासों का निर्माण कराकर वर्ष 1995-97 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों को प्राथमिकता के आधार पर संतृप्त किया जायेगा ।

वर्ष 2002–2003 में प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत 37.00 करोड़ रुपये से लगभग 22500 आवासों का निर्माण कराये जाने का लक्ष्य है ।

वर्ष 2002-2003 में भारत सरकार के निर्देशानुसार 150 की जनसंख्या पर एक हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य मांग पर आधारित होगा । हैण्डपम्प लगाने में समुदाय द्वारा सहभागिता स्वरूप लागत का 10 प्रतिशत अंशदान देना होगा । वर्ष 2002–2003 में विभिन्न ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत 250 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है ।

पंचायती राज–

पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने हेतु भारत सरकार के ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुति पर वर्ष 2001-2002 में 233.42 करोड़ रुपये तथा राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर तीन सौ बयासी करोड़ रुपये पंचायतों के लिये स्वीकृत किये गये हैं । वर्ष 2002-2003 में ग्यारहवें वित्त आयोग से 233.43 करोड़ रुपये तथा राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर 393.00 करोड़ रुपये पंचायतों को देने का प्राविधान है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार तथा ग्रामीण जन, विशेषतः महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हेतु भारत सरकार की सहायता से सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है । वर्ष 2002-2003 में तीन लाख उनसठ हजार तीन सौ बारह व्यक्तिगत शौचालय, 113 महिला काम्पलेक्स व 2814 स्कूल शौचालय

निर्मित कराने का लक्ष्य है । विश्व बैंक पोषित कृषि विविधीकरण परियोजना के अन्तर्गत 32 जनपदों में मार्च, 2003 तक 113 ग्रामीण बाजारों को विकसित किया जायेगा तथा ऊसर सुधार परियोजना के अन्तर्गत 18 जनपदों में परियोजना की अवधि मार्च, 2004 तक 1252 पंचायत भवनों के निर्माण का लक्ष्य है । पंचायतों की क्षमता विकास की दृष्टि से पंचायत प्रतिनिधियों व कर्मियों के लिये एक वृहत् प्रशिक्षण कार्यक्रम भी वर्ष 2001–2002 से चलाया जा रहा है ।

ऊर्जा विभाग–

मान्यवर,

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास की गति बढ़ाने और आमजन जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिये बिजली एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है । आपने देखा कि बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिये मेरी सरकार और मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से कितना चिन्तित हूं, जिसके लिये मैंने विभाग में आमूलचूल परिवर्तन करने में भी कोई संकोच नहीं किया है । इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुये ऊर्जा विभाग एवं आम जनता के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से विद्युत उपलब्धता आदि की सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं । उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण करने हेतु एक-एक कन्ट्रोल सेन्टर स्थापित किया गया है । जिला स्तर पर प्रतिमाह बिजली अदालत की बैठक करने के आदेश दिये गये हैं । मैं उम्मीद करती हूं कि आप स्वयं ही अपने क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था पर निगाह रख रहे होंगे और जहां आवश्यकता हो शासन को फीडबैक देते रहेंगे ।

यह चिन्ता की बात है कि अभी भी हमारे प्रदेश के बहुत से गांवों तक बिजली नहीं पहुंची है । संसाधनों की सीमा समझते हुये भी हम इस दिशा में प्रयत्नशील हैं ।

ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु 151 करोड़ रुपये एवं प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत 101.87 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । इस धनराशि से अम्बेडकर गांवों में शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण किया जायेगा ।

विद्युत चोरी को और अधिक प्रभावी ढंग से रोकने के लिये भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश जारी किया गया है जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारी/कर्मचारी के सहयोग से अथवा संज्ञान से की जा रही विद्युत चोरी में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को भी दण्डित किये जाने का प्राविधान है । विद्युत वितरण व्यवस्था के प्रभावी अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन हेतु केस्को के अतिरिक्त चार वितरण कम्पनियों का गठन प्रस्तावित है जो पावर कारपोरेशन के नियंत्रणाधीन रहेंगी ।

विद्युत व्यवस्था सुधार–

राज्य सरकार विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए कटिबद्ध है क्योंकि आज के युग में ऊर्जा विकास हेतु एक आवश्यक शर्त है । विद्युत निगम की आर्थिक स्थिति के सुधार के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार, एन०टी०पी०सी० एवं भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मान्टेक सिंह अहलूवालिया कमेटी की संस्तुतियों के अनुपालन में त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया गया है । इसके अन्तर्गत

राज्य सरकार केन्द्रीय विद्युत उपक्रमों के दिनांक 30 सितम्बर, 2001 तक की बकाया राशि के बाण्ड जारी करेगी तथा तत्पश्चात् के देयों के लिए यह सुनिश्चित करेगी कि विद्युत नियमित रूप से अपनी वसूली एवं कार्यकुशलता को बढ़ाकर वर्तमान मांग का शत्-प्रतिशत भुगतान करे । इससे जहां विद्युत आपूर्ति में कोई बाधा नहीं होगी, वहीं दूसरी ओर विद्युत निगम द्वारा अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाकर एवं राजस्व में वृद्धि कर इस क्षेत्र में सुधार लाया जायेगा ।

* प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक तथा पावर फाइनेन्स कारपोरेशन से प्राप्त वित्तीय सहायता से पारेषण तथा वितरण नेट-वर्क के सुदृढ़ीकरण की योजना पर कार्यवाही की जा रही है ।

* विश्व बैंक की सहायता से लखनऊ नगर की विद्युत वितरण प्रणाली में सुधार कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है जिसे चार चरणों में पूरा किया जायेगा । प्रथम चरण के कार्यों को लगभग 102 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वर्ष 2001 से 2003 तक की अवधि में पूरा होने की सम्भावना है ।

* विश्व बैंक की सहायता से लखनऊ, मुरादाबाद, आगरा, सहारनपुर, बरेली, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, झाँसी, फैजाबाद एवं वाराणसी जोन के 35 जनपदों की वितरण प्रणाली के सुधार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु लगभग 158 करोड़ रुपये की योजना पर कार्यवाही शीघ्र ही पूरा होने की सम्भावना है ।

* इलेक्ट्रानिक मीटर क्रय करने हेतु विश्व बैंक से स्वीकृत लगभग 250 करोड़ रुपये के ऋण से मीटर क्रय करने तथा लगाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।

* पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता वृद्धि हेतु विश्व बैंक से लगभग 367 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं जिसके अन्तर्गत 400 के०वी०, 220 के०वी० तथा 132 के०वी० के नये उपकेन्द्र तथा वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि के साथ नई पारेषण लाइनों का निर्माण प्रस्तावित है । निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संयंत्रों/सामग्री क्रय तथा निर्माण की कार्यवाही की जा रही है ।

* जिन प्रदेशों में ऊर्जा सुधार कार्यक्रम लागू हैं, उन प्रदेशों को भारत सरकार द्वारा पावर डेवलपमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत योजना का 25 प्रतिशत अनुदान तथा 25 प्रतिशत कम ब्याज दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है । शेष 50 प्रतिशत ऋण के रूप में पी०एफ०सी० से उपलब्ध हो सकेगा । इस प्रोग्राम के अन्तर्गत मुरादाबाद तथा गोरखपुर जोन में अधिक ऊर्जा खपत वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन पर इलेक्ट्रानिक मीटर लगाये जा रहे हैं, जिस पर लगभग 13 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है । इसी प्रोग्राम के अन्तर्गत बरेली, मुरादाबाद तथा गोरखपुर जोन की वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, आन लाइन बिलिंग, कपैसिटर एवं बरेली के नगरीय क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक मीटर लगाने इत्यादि हेतु लगभग 135 करोड़ की वित्तीय सहायता का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

• वित्तीय वर्ष 2006-2007 तक प्रदेश के अवशेष अविद्युतीकृत तैंतालिस हजार दो सौ नब्बे ग्रामों को विद्युतीकृत करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिस पर लगभग चार हजार पांच सौ बीस करोड़ रुपये (4520 करोड़ रुपये) का व्यय अनुमानित है ।

• भविष्य में ग्रामों का विद्युतीकरण एल० टी० लाइन रहित व्यवस्था से किया जाना प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत सिंगल फेज के 11 के०वी० ट्रांसफार्मर से उपभोक्ताओं को सीधे कनेक्शन दिया जायेगा ।

अतिरिक्त ऊर्जा

वित्तीय वर्ष 2002-2003 में ग्रिड सम्बद्धता के माध्यम से 25 किलोवाट क्षमता के पावर प्लाण्ट स्थापित कर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनसे उत्पादित विद्युत सीधे ग्रिड से फीड की जायेगी। दूर-दराज के ऐसे ग्रामों, जिनका विद्युतीकरण पारम्परिक विद्युत ग्रिड के माध्यम से किया जाना या तो सम्भव नहीं है अथवा अत्यन्त कठिन है, का विद्युतीकरण सोलर तकनीक से प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2002-2003 में ऐसे 30 ग्रामों को चयनित कर उनका विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के वृहद् आकार एवं जनसंख्या को देखते हुए, सोलर लालटेन एवं सोलर घरेलू बत्ती संयंत्रों की बड़ी संख्या में लोगों को उपलब्ध कराने हेतु ये संयंत्र ब्याज अनुदान पर उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्तावित हैं। वर्ष 2002-2003 के लिए इस प्रकार के तीस-तीस हजार संयंत्र बिक्री किये जाने का लक्ष्य है।

सड़क एवं परिवहन

वर्ष 2002-2003 के अन्तर्गत 2300 गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने का लक्ष्य है।

चालक अनुज्ञा-पत्र जारी करने के पूर्व चालकों को प्रशिक्षण दिलाने के उद्देश्य से लखनऊ में एक चालक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इस हेतु इस बजट में एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में परिवहन निगम के बस बेड़े को सुदृढ़ करने हेतु 800 नई बसों के क्रय किये जाने का प्रस्ताव है। निगम द्वारा अपने संसाधनों के बढ़ाये जाने हेतु अपने बस बेड़े की कुल बसों में 93 प्रतिशत बसों को आनरोड रखने, बस उपयोगिता 276 किलोमीटर प्रति बस प्रतिदिन तथा अनपेन्सी 61 प्रतिशत रखे जाने का लक्ष्य रखा गया है।

नगर विकास

प्रदेश में कुल 623 नगरीय निकाय हैं, जिनमें से 619 नगरों में पाइप पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है। शेष 4 निकायों यथा- नगर पंचायत फरिहा (फिरोजाबाद), नई बाजार (संत रविदास नगर), खरेला (महोबा) तथा मटौंध (बांदा) में चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक पाइप्ड पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी। त्वरित नगर पेयजल योजना के अन्तर्गत कुल 225 परियोजनाओं पर भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो गया है जिसके सापेक्ष 117 योजनायें पूर्ण कर संचालित कर दी गयी हैं। शेष 108 योजनाओं में से 73 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2002-2003 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2002-03 में रुपये 40.00 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है।

कानपुर नगर की पेयजल व्यवस्था के स्थाई समाधान हेतु गंगा नदी पर बैराज निर्माणाधीन है। इसके निर्माण से कानपुर नगर को 200 एम० एल० डी० जल अतिरिक्त प्राप्त होगा। बैराज का कार्य जून, 2003 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2002-2003 में रुपये 50.00 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है।

लखनऊ नगर की पेयजल व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा रुपये 102.60 करोड़ की योजना स्वीकृत की गयी है। वर्तमान वर्ष 2002-03 में रुपये 42.25 करोड़ की धनराशि प्राप्त होना संभावित है।

गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत गंगा, यमुना एवं गोमती नदियों के तट पर स्थित 23 नगरों में नगरीय प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम क्रियान्वित है । इन नदियों के किनारे बसे नगरों के एक हजार दो सौ साठ एम०एल०डी० प्रदूषित जल को शुद्ध कर नदी में प्रवाहित किये जाने की योजना है । इस कार्यक्रम हेतु वित्तीय वर्ष 2002-03 में भारत सरकार से रुपये 50.00 करोड़ की धनरशि प्राप्त होना संभावित है ।

गोमती ऐक्शन प्लान लखनऊ, गंगा मेन स्ट्रीम के अन्तर्गत वाराणसी एवं इलाहाबाद की पुनरीक्षित योजना लागत क्रमशः 317.60 करोड, 236.28 करोड़ एवं 234.80 करोड़ रुपये स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रस्तावित की गई है । इन योजनाओं को दशम् पंचवर्षीय योजना अवधि में पूर्ण किये जाने का प्रस्ताव है ।

आवास

प्रदेश में तीव्र गति से हो रहे नगरीकरण को सुनियोजित दिशा प्रदान करने हेतु छोटे, मध्यम एवं बड़े आकार के नगरों हेतु महायोजनाएं/विकास योजनाएं प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जाएंगी जिनके अन्तर्गत न केवल "लैण्ड यूज प्लान" शामिल होगा बल्कि महायोजना के अनुरूप अवस्थापना सुविधाओं के विकास की कार्य-योजना भी बनाई जाएगी । महायोजना के अनुसार विकास कार्यों/योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु नगर नियोजन से सम्बन्धित अधिनियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जाएगा । महायोजनाओं के अतिरिक्त बड़े नगरों में यातायात एवं परिवहन व्यवस्था में सुधार लाने हेतु ट्रैफिक प्लान्स भी तैयार किए जाएंगे ।

शहरी क्षेत्रों में क्रियान्वित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य शहरी जीवन में गुणात्मक सुधार लाना है । नियोजन एवं विकास का लाभ केवल बड़े शहरों तक ही सीमित न रखकर उसे छोटे एवं मध्यम शहरों तक पहुंचाया जाएगा । शहरों में अवस्थापना सुविधाओं यथा सड़कें, ड्रेनेज, जलापूर्ति, सीवरेज, विद्युतीकरण, सौन्दर्यीकरण आदि के नियोजन एवं विकास की व्यवस्था हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे । इस हेतु नगरीय विकास से सम्बद्ध समस्त विभागों के संसाधनों की डवटेलिंग एवं अभिसरण करते हुए एकीकृत कार्य-योजना के अनुसार उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा । शहरी पर्यावरण में सुधार हेतु जल-निकासी व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी तथा आवासीय कालोनियों में वृक्षारोपण व अन्य मूलभूत सुविधाओं का प्राविधान किया जाएगा ।

नगरीय रोजगार

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत 9.25 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2002-2003 में 16.51 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान किया गया है ।

राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2001-02 में लगभाग बयालीस करोड़ तीस लाख रुपये (42.30 करोड़ रुपये) व्यय करके 39.16 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया है । वित्तीय वर्ष 2002-2003 हेतु बयालीस करोड़ दस लाख रुपये के वित्तीय लक्ष्य के सापेक्ष 39.16 लाख लोगों को लाभान्वित किया जायेगा ।

स्वच्छकार विमुक्ति योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं वर्ष 2002-03 में सर्वे के आधार पर योजना तैयार कर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

औद्योगिक विकास

प्रदेश के आर्थिक विकास में उद्योगों के महत्वपूर्ण स्थान को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश को "उद्योग प्रदेश" के रूप में स्थापित करने हेतु सरकार संकल्पबद्ध है । प्रदेश में संतुलित आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने एवं औद्योगिक वातावरण तैयार करने के लिए सुनियोजित औद्योगिक योजनायें बनायी गई हैं । उद्यमी प्रदेश के किसी भी भाग में निवेश करने हेतु स्वतंत्र हैं । प्रदेश के सभी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है जिसके माध्यम से समस्त अंचलों में स्थायी औद्योगिक ढांचा तैयार किया जा सके ।

औद्योगिक विकास की गति में सर्वोन्मुखी तेजी लाए जाने के उद्देश्य से स्पेशल इकोनोमिक जोन की स्थापना, कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना, गौतमबुद्ध नगर में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स के रूप में गौतमबुद्ध नगर विश्वविद्यालय की स्थापना एवं ताज एक्सप्रेस-वे का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है ।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के व्यक्तियों को रोजगार सुनिश्चित कराने के दृष्टिकोण से अब यह व्यवस्था की गई है कि जो औद्योगिक इकाइयां उत्तर प्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुसार ऐसे लोगों को रोजगार देंगी उन्हें व्यापार कर से छूट मिलेगी ।

हथकरघा

वित्तीय वर्ष 2002-2003 में हथकरघा क्षेत्र के सम्यक विकास को दृष्टिगत रखते हुए दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना को अधिक प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित किया जाएगा ताकि हथकरघा वस्त्र के उत्पादन एवं रोजगार सृजन की क्षमता और अधिक बढ़ सके । इसके साथ ही निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम को भी बढ़ावा दिया जाएगा । उत्तर प्रदेश में हथकरघा बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों : वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर, सीतापुर, रामपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, गाजियाबाद से वर्तमान "उदारीकरण एवं वैश्वीकरण" की नीति के अन्तर्गत निर्यात की अधिक सम्भावनाएं हैं । अतः निर्यातोन्मुखी उत्पादों के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा ।

पर्यटन

दशम् पंचवर्षीय योजना काल में जिन कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया है उनमें पुराने कार्यों को पूर्ण कराने के अतिरिक्त पर्यटन नीति में प्रस्तावित पर्यटन परिपथों का विकास उल्लेखनीय है, जिसमें पर्यटन को एकीकृत परियोजना के रूप में विकसित किया जाएगा । योजना काल में निजी क्षेत्र की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी ।

प्रदेश में बौद्ध पर्यटन परिपथ के अन्तर्गत प्रमुख बौद्ध केन्द्रों के विकास की एक वृहद् योजना तैयार की गई है जिसके द्वितीय चरण के कार्यों पर अनुमानतः एक हजार बीस करोड़ रुपये (1020.00 करोड़ रुपये) के व्यय का अनुमान है, जिसे जे०बी०आई०सी०, जापान से सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है ।

स्वदेशी एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश में उच्च स्तरीय अवस्थापना विकसित करने की दिशा में सार्थक कदम उठाये जायेंगे । पर्यटकों की सुरक्षा का यथोचित वातावरण बनाया जायेगा ताकि प्रदेश में उनकी यात्रा एवं प्रवास सुखद,आनन्दपूर्ण तथा आरामदायक हो । पर्यटकों के भ्रमण को सुविधाजनक बनाने हेतु बौद्ध परिपथ के अन्तर्गत प्रमुख मार्गों का सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण

एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने की योजना है जिस पर 20.25 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है । वर्ष 2002-2003 में इस हेतु रुपये 1.75 करोड़ की व्यवस्था की गई है ।

सारनाथ में आधुनिक स्वागत केन्द्र, टूरस्ट सेन्टर, आन्तरिक पाथवे निर्माण कराया जायेगा । इस हेतु बजट में एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

वाराणसी से चुनार के मध्य जल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र के सहयोग से एक बजरे के संचालन का प्रस्ताव है । योजना के अन्तर्गत जेट्टी के निर्माण के लिये इस बजट में 50.00 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

बुन्देलखण्ड परिपथ में अवस्थापना सुविधाओं के विकास की योजना पर 2.15 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है । वर्ष 2002-2003 में इस हेतु 1.20 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था रखी गयी है ।

अवध परिपथ के अन्तर्गत लखनऊ के पर्यटन विकास की 1.05 करोड़ रुपये की योजना है । इस हेतु इस बजट में 60.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है । प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन विकसित करने के लिये 1.32 करोड़ रुपये की योजना के लिए इस वर्ष 50.00 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है । गढ़मुक्तेश्वर के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए उसे भी प्रदेश के प्रमुख पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा । इस हेतु इस बजट में 1.15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

वाराणसी में चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग पर विभिन्न सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना के अन्तर्गत इस बजट में एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । हस्तिनापुर के पर्यटन विकास के लिये एक करोड़ रुपये की व्यवस्था है ।

कला एवं संस्कृति

लखनऊ में बाबा साहेब डा० भीमराव अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक परिवर्तन शोध संस्थान एवं संग्रहालय की स्थापना की जायेगी । इस बजट में प्रारम्भिक व्यवस्था के लिए 15.00 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है ।

वन

उत्तरांचल राज्य के गठन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में वनों का आच्छादन मात्र 4.46 प्रतिशत रह गया है । कई जनपदों में तो वन केवल एक प्रतिशत से भी कम है, जबकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनों का क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष लगभग 33 प्रतिशत होना चाहिये ।

राज्य में वनों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु राज्य सरकार कटिबद्ध है जिसके लिये प्रत्येक जनपद में विभिन्न योजनाओं जैसे सामाजिक वानिकी, शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी, हरित अभियान, अवनत वनों में वृक्षारोपण तथा वन्यजीव से संबंधित पर्यावरण विकास की योजना संचालित की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश का हरित अभियान जन सहयोग से वनों के आच्छादन की कमी के निराकरण हेतु चलाया गया है ।

प्रदेश की परिस्थिति के अनुरूप वानिकी प्रजातियों के विकास तथा अन्य संबंधित विषयों पर और शोध कराया जायेगा ।

कृषि वानिकी योजना न केवल वन क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से उपयोगी है, अपितु कृषकों की आय बढ़ाने हेतु भी आवश्यक है। इस उद्देश्य से दशम् पंचवर्षीय योजना में हम कृषि वानिकी पर विशेष बल दे रहे हैं।

वनों की सुरक्षा पर बढ़ती आबादी के प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने के लिए वनों के सीमांकन तथा सुरक्षा के लिये ठोस कदम उठाये जायेंगे।

पर्यावरण

वित्तीय वर्ष 2002-2003 में पर्यावरण शिक्षा, प्रशिक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रमों के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन, होर्डिंग्स की स्थापना व निर्माण, प्रचार प्रसार सामग्री का निर्माण, पर्यावरण की दृष्टि से डिग्रेडेड चयनित क्षेत्रों के पर्यावरण सुधार हेतु कार्यक्रमों को लागू करने, स्कूली बच्चों के माध्यम से जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, स्कूली बच्चों हेतु पुरस्कार योजना तथा "उत्तर प्रदेश पर्यावरण पुरस्कार" को चालू रखा जायेगा।

बेसिक शिक्षा

अध्यापक–छात्र अनुपात में सुधार लाने एवं एकल अध्यापकीय विद्यालयों में न्यूनतम् 2 शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अट्ठारह हजार एक सौ सैंतालिस शिक्षा मित्रों की तैनाती ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से की जा चुकी है। वर्ष 2002-2003 में भी आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की तैनाती की जायेगी।

उच्च प्राथमिक स्तर तक की यूनीवर्सल प्रारम्भिक शिक्षा समयबद्ध रूप में प्राप्त करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र द्वारा संचालित योजना "सर्व शिक्षा अभियान" प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2002-2003 में 70 जनपदों में एक हजार छः सौ सत्रह (1617) नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा दो हजार दो सौ चौबीस (2224) नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य है साथ ही गुणात्मक शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

विद्यालयों में नामांकन की वृद्धि हेतु परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा-1 से 8 तक की सभी वर्ग की बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के सभी बालकों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों का वितरण किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। कक्षा–1 से 5 में नामांकित होने वाले सभी बालकों को भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जा रही है।

उत्तर प्रदेश जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–II के अन्तर्गत आच्छादित जनपदों में अब तक तीन हजार आठ सौ तेरह (3813) प्राथमिक विद्यालय भवन, चार हजार छः सौ इकसठ (4661) अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, ग्यारह हजार पांच सौ सत्तावन (11557) शौचालय, 186 ब्लाक रिसोर्स सेन्टर, दो हजार चार सौ तिहत्तर (2473) न्याय पंचायत रिसोर्स सेन्टर तथा तीन हजार दो सौ पच्चासी (3285) हैण्डपम्पों की स्थापना की जा चुकी है। वर्ष 2002-2003 में भी 165 विद्यालय भवन तथा 900 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण कराया जायेगा।

उत्तर प्रदेश जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–III के अन्तर्गत आच्छादित जनपदों में अब तक दो हजार एक सौ उन्यासी (2179) प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए गये तथा दो हजार छः सौ तिरानवे (2693) जर्जर विद्यालयों के पुनर्निर्माण की व्यवस्था की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त तीन हजार अट्ठारह (3018) अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, चार हजार छः सौ तिरसठ (4663) शौचालय, 294 ब्लाक

रिसोर्स सेन्टर, एक हजार आठ सौ एक (1801) न्याय पंचायत रिसोर्स सेन्टर की स्थापना की जा चुकी है। वर्ष 2002-2003 में भी 296 नवीन प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत हो जाइए।

(घोर व्यवधान)

(कुछ सदस्यों ने बजट भाषण की प्रतियों के टुकड़े कर उन्हें फेंकना शुरू कर दिया।)

(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य माननीय मुख्य मंत्री ने अपना बजट भाषण पढ़ना जारी रखा ...।)

कुमारी मायावती–माध्यमिक शिक्षा

प्रदेश के ऐसे विकास खण्ड जहां पर पूर्व से एक कन्या हाईस्कूल/इण्टर कालेज स्थापित है, उसकी दूसरी न्याय पंचायत में दूसरा बालिका हाईस्कूल/इण्टर कालेज की स्थापना निजी प्रबंधतन्त्र के सहयोग से किये जाने की योजना संचालित की गयी है, जिसके अन्तर्गत 541 विकास खण्डों को चिन्हित किया गया, जिसमें से वर्ष 2001-02 तक 80 विद्यालयों को रुपये 10 लाख की दर से प्रथम किस्त स्वीकृत की जा चुकी है। वर्ष 2002-2003 में 35 विद्यालयों को अनुदान दिये जाने के लिए रुपये 350 लाख की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

माध्यमिक स्तर पर दसवर्षीय पाठ्यक्रम लागू कर दिये जाने से हाईस्कूल स्तर पर विज्ञान शिक्षा अनिवार्य कर दी गयी है। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को मजबूत करने तथा इसके स्तर में सुधार करने की दृष्टि से जिन विद्यालयों में विज्ञान की प्रयोगशालायें नहीं है, उनमें प्रयोगशालाओं का निर्माण कराया जा रहा है। वर्ष 2002-2003 में इस हेतु 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

बजट में 14 कम्प्यूटर लैब्स की स्थापना हेतु 6.02 करोड़ रुपये, ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालयों के भवनों एवं प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु 7.03 करोड़ रुपये तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों को मजबूत करने हेतु 2.92 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

उच्च शिक्षा

वर्ष 2002-2003 में चार नये राजकीय महाविद्यालयों को स्नातक स्तर पर कार्यशील करने, तीन राजकीय महाविद्यालयों में कामर्स डिपार्टमेन्ट प्रारम्भ करने तथा अन्य राजकीय महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में महाविद्यालयों की स्थापना प्रोत्साहित करने के लिये 2 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है।

प्राविधिक शिक्षा

औद्योगिक क्षेत्र में तकनीकी जनशक्ति की मांग के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना हेतु विशेष बल दिया जा रहा है। इस नीति के अन्तर्गत अब तक प्रदेश में 63 इंजीनियरिंग कालेज निजी क्षेत्र में स्थापित हो चुके हैं, जिनकी कुल प्रवेश क्षमता पन्द्रह हजार दो सौ साठ है। पूर्व स्थापित संस्थाओं की प्रवेश क्षमता में वृद्धि किये जाने तथा निजी क्षेत्र में नौ अन्य

संस्थाओं की स्थापना की कार्यवाही भी प्रगति पर है । डिप्लोमा सेक्टर की संस्था आई०ई०आर०टी०, इलाहाबाद में डिग्री स्तरीय पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है ।

सहायता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन का भुगतान जवाहर भवन कोषागार पेंशन भुगतान प्रणाली के अन्तर्गत बैंकों के माध्यम से प्राप्त किये जाने की व्यवस्था पूर्व ही की जा चुकी है । इस व्यवस्था से राज्याधीन इंजीनियरिंग कालेजों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आच्छादित किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

खेलकूद

प्रदेश के वित्तीय संसाधनों की कठिन स्थिति देखते हुए यह प्रयास है कि खेल के प्रचार एवं प्रसार की योजना में कमी न हो ताकि हमारे नवयुवक एवं नवयुवतियां खेल-कूद प्रतिस्पर्धाओं में अपनी पहचान बनाकर प्रदेश का नाम भी रोशन करें । राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने के लिए 10 लाख रुपये की व्यवस्था की जा रही है । इसी प्रकार लक्ष्मण पुरस्कार के लिए 5 लाख रुपये की व्यवस्था की जा रही है । प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को किट एवं रेल यात्रा सुविधा प्रदान की जाती है । क्रीड़ा संघों/क्लबों को अनुदान तथा वृद्ध खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता दी जाती है । नये बहुउद्देशीय क्रीड़ा हालों के निर्माण हेतु 1.50 करोड़ रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है । खेल के विकास के लिए आधुनिकतम खेल उपकरणों के लिए भी व्यवस्था प्रस्तावित है ।

चिकित्सा शिक्षा

चिकित्सा शिक्षा के अतिविशिष्ट विषयों में शिक्षण के प्रतिरूपों का विकास, चिकित्सा शिक्षा का उच्च स्तर स्थापित करने तथा प्रशिक्षण की उत्कृष्ट व्यवस्था, अति विशिष्ट विषयों में उच्चतर चिकित्सा शिक्षा को मूर्तरूप प्रदान करने के उद्देश्य से किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ को हमने सेन्टर आफ एक्सीलेन्स के रूप में विकसित करने के लिए इसे छत्रपति शाहूजी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी के रूप में पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2002-2003 के बजट में 15 करोड़ रुपये की प्रारम्भिक व्यवस्था कर ली गई है ।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार हेतु मण्डलीय कार्यालयों/जनपद कार्यालयों की स्थापना का कार्यक्रम है ।

वर्ष 2002-2003 में 25 नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रियाशील किया जायेगा तथा 28 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जायेगी । जनपद चित्रकूट, कन्नौज, हाथरस तथा महाराजगंज में 100 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालयों की स्थापना की जायेगी ।

विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित की जा रही उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट परियोजना के अन्तर्गत प्रादेशिक चिकित्सा सेवाओं में संरचनागत सुधार, उपलब्ध मानव संसाधनों को मजबूत बनाने, नवीनीकरण एवं विस्तार तथा निजी एवं सरकारी क्षेत्र में सहभागिता से प्रदेश के चिकित्सा तंत्र में व्यापक सुधार करते हुए उसे गुणवत्तायुक्त, सर्वसुलभ, समेकित संवेदनशील तथा स्वयं सक्षम बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2002-2003 में कुल रुपये 115.00 करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित है ।

परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक अनुमान की कुल धनराशि 396.56 करोड़ रुपये है । इस राशि में वचनबद्ध व्ययों के अतिरिक्त भारत सरकार से सामग्री की आपूर्ति के लिये 90 करोड़ रुपये का प्राविधान है । स्थानीय निकाय/स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से परिवार कल्याण कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए 1.12 करोड़ रुपये सहायक अनुदान का प्राविधान है । इसमें कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार एवं नसबन्दी हेतु प्रोत्साहन आदि के लिए 14.75 करोड़ रुपये की धनराशि भी सम्मिलित है ।

जनसंख्या के स्थायित्व हेतु राज्य सरकार द्वारा घोषित जनसंख्या नीति के अन्तर्गत विभिन्न उपायों के माध्यम से वर्ष 2016 तक वर्तमान कुल प्रजनन दर 3.99 से घटा कर 2.1 तक लाये जाने का लक्ष्य रखा गया है । जनसंख्या नीति को लागू करने में राज्य सरकार के सभी विभागों के अतिरिक्त पंचायतों, निजी एवं गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता ली जा रही है । जनसंख्या नीति में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये विस्तृत कार्ययोजना बनाई गई है ।

समाज कल्याण

भारत के संविधान में निहित मूलभूत नीति निदेशक सिद्धान्तों के अनुसार असहाय, शोषित एवं सुविधा विहीन विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें मुख्यतः शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान की योजनाएं सम्मिलित हैं ।

छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता

छात्रवृत्ति वितरण की पूर्वनिर्धारित प्रक्रिया में यह संशोधन किया गया है कि कक्षा 1 से 8 तक के छात्र, छात्राओं को छात्रवृत्ति का वितरण नकद ही किया जाय तथा कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाओं में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का वितरण उनके खाते बैंक में खुलवाकर बैंक के माध्यम से किया जाय जिससे छात्रवृत्ति का समय से भुगतान सुनिश्चित होने के साथ उसके दुरुपयोग की सम्भावना कम रहेगी ।

छात्रवृत्ति के वितरण में हो रही अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अनियमितताओं की जांच का अभियान चलाया गया है जिसके फलस्वरूप मार्च, 2002 तक 86 विद्यालयों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी व 21 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ।

वृद्धावस्था पेंशन योजना

वृद्धावस्था पेंशन के लिए भारत सरकार द्वारा जो वित्तीय सहायता सीधे जिलों को उपलब्ध करायी जा रही थी, वह अब राज्य सरकार के माध्यम से उपलब्ध होगी । इसके लिए 76 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । इसी प्रकार पारिवारिक लाभ के लिए भी 22 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । छूटे हुए अम्बेडकर ग्रामों को वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत सन्तृप्तीकरण किए जाने हेतु 5.06 करोड़ रुपये की व्यवस्था है ।

अनुसूचित जाति/जनजाति के उत्पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता योजना के अन्तर्गत सोलह करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

आश्रम पद्धति विद्यालयों का उच्चीकरण

अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए कक्षा 12 तक ऊच्चीकृत किया जाएगा । अस्वच्छ पेशे में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए जनपद मुरादाबाद, कानपुर एवं आगरा में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय खोले जाने की व्यवस्था की गयी है ।

अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए शिक्षा प्रोत्साहन योजना–

*प्रदेश में अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता अत्यधिक न्यून 10.69 प्रतिशत है जबकि सामान्य महिलाओं की साक्षरता दर 21.31 प्रतिशत है । इसलिए न्यूनतम साक्षरता वाले स्थानों में 16 नये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए खोले जाने की व्यवस्था की गयी है ।

*इस वर्ष से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की कक्षा 9 तथा 10 की छात्राओं को बुक बैंक के माध्यम से निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है ।

*अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं में आवास की समस्या के दृष्टिगत 15 नये छात्रावास निर्मित कराये जाने की व्यवस्था की गयी है ।

विशेष केन्द्रीय सहायता से संचालित योजनाएं

स्वतः रोजगार योजना, दुकान निर्माण योजना, प्रशिक्षण योजना एवं निःशुल्क बोरिंग योजनाओं का संचालन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु किया जाता है । इस हेतु भारत सरकार से गत वित्तीय वर्ष में लगभग 118 करोड़ रुपये वित्तीय सहायता प्राप्त हुयी थी । इस वर्ष इन योजनाओं के लिए लगभग 169 करोड़ रुपये की मांग भारत सरकार से की गयी है । राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी निगम द्वारा प्राप्त सहायता से सेनेटरी मार्ट योजना भी चलाई जा रही है ।

विकलांग कल्याण

विकलांग कल्याण के सिलसिले में हम यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तावित कर रहे हैं:–

* प्रदेश में निवासरत विकलांगों का सर्वेक्षण एवं उन्हें परिचय-पत्र जारी करना,

* विकलांग कल्याण विभाग की योजनाओं एवं उन्हें परिचय-पत्र जारी करना,

* विकलांग व्यक्तियों के लिये बीमा योजना का संचालन, तथा

* गम्भीर, असाध्य रोगों से ग्रासित व दुर्घटना ग्रस्त विकलांग व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता ।

सैनिक कल्याण

भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली आकस्मिक अनुदान की राशि पांच सौ रुपये से बढ़ाकर दो हजार रुपये की जायेगी । साथ ही साथ निदेशक स्तर इस मद में दी जाने वाली धनराशि दो हजार रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रुपये कर दी गयी है ।

खाद्य एवं रसद

वर्ष 2001-2002 में गेहूं खरीद का लक्ष्य 20 लाख मीट्रिक टन रखा गया था, जिसके सापेक्ष कुल 24.45 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया, जो प्रदेश के इतिहास में एक कीर्तिमान है। वर्ष 2002-2003 के मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के लिये गेहूं क्रय का कार्यकारी लक्ष्य 25.00 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है।

माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा प्रतिपादित/घोषित "अन्त्योदय अन्न योजना" के अर्न्तगत प्रदेश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों में से 15.33 प्रतिशत अर्थात् 16.37 लाख निर्धनतम परिवारों को दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 23 किलोग्राम गेहूं तथा तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 12 किलोग्राम चावल अर्थात् कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार दिया जा रहा है। इस योजना के लाभार्थियों को कार्ड वितरित किये जा चुके हैं।

मिट्टी तेल विक्रेताओं के नौ हजार नौ सौ अठ्हत्तर (9,978) दुकानों का निरीक्षण करके 496 दुकानों का चालान किया गया है। एल० पी० जी० के चार हजार सत्तावन (4,057) प्रतिष्ठानों की जांच करके 277 प्रतिष्ठानों का चालान किया गया।

कर्मचारी कल्याण

मुझे इस सदन को यह सूचित करने में प्रसन्नता है कि राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता की एक अतिरिक्त किस्त 01 जनवरी, 2002 से स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।

हमारे प्रदेश के कर्मचारी भली-भांति जानते हैं कि किन विषम आर्थिक परिस्थितियों में भी राज्य सरकार उनके प्रति अपने दायित्वों को निभाने की चेष्टा करती है और मुझे पूरा-पूरा विश्वास है कि वे राज्य शासन, जिसके कि वे स्वयं अभिन्न अंग हैं, की कठिनाइयों को देखते हुए अपना भरपूर योगदान देते रहेंगे।

वर्ष 2002-2003 के बजट अनुमान

मान्यवर,

अब मैं वित्तीय वर्ष 2002-2003 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूंगी।

प्राप्तियां

* वर्ष 2002-2003 में बावन हजार छः सौ उन्तालीस करोड़ सोलह लाख रुपये (52639.16 करोड़ रुपये) की कुल प्राप्तियां अनुमानित हैं।

* कुल प्राप्तियों में इकत्तीस हजार तीन सौ सत्तर करोड़ छियासी लाख रुपये (31370.86 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियां तथा इक्कीस हजार दो सौ अड़सठ करोड़ तीस लाख रुपये (21268.30 करोड़ रुपये) की पूंजीपति प्राप्तियां सम्मिलित हैं।

* वर्ष 2002-2003 की राजस्व प्राप्तियां गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों से 13.23 प्रतिशत अधिक हैं।

* वर्ष 2002-2003 में राजस्व प्राप्तियों में कर एवं करेत्तर राजस्व का अंश सत्ताइस हजार एक सौ उन्यासी करोड़ इक्यावन लाख रुपये (27179.51 करोड़ रुपये) है । इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश ग्यारह हजार आठ सौ सात करोड़ नौ लाख रुपये (11807.09 करोड़ रुपये) सम्मिलित है ।

व्यय

* वर्ष 2002-2003 में कुल व्यय चौवन हजार नौ सौ तीन करोड़ सत्तानवे लाख रुपये (54903.97 करोड़ रुपये) अनुमानित है जो गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों से 2.64 प्रतिशत अधिक है ।

* कुल व्यय में छत्तीस हजार छः सौ छियालीस करोड़ छियालीस लाख रुपये (36646.46 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा अठारह हजार दो सौ सत्तावन करोड़ इक्यावन लाख रुपये (18257.51 करोड़ रुपये) पूंजी लेखे का व्यय है ।

* वर्ष 2002-2003 में राजस्व लेखे का व्यय गत वर्ष के पुनरीक्षित अुनमानों से मात्र 3.34 प्रतिशत अधिक है ।

* वर्ष 2002-2003 में पूंजीगत व्यय अठारह हजार दो सौ सत्तावन करोड़ इक्यावन लाख रुपये (18257.51 करोड़ रुपये) है जो गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों से 1.27 प्रतिशत अधिक है जिसे अतिरिक्त संसाधन जुटाकर और बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा ।

* पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2001-2002 में आयोजनागत व्यय दस हजार तीन सौ बयालीस करोड़ दो लाख रुपये (10342.02 करोड़ रुपये) सम्भावित है । इसके विपरीत वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक अनुमान में नौ हजार एक सौ उन्तीस करोड़ उन्तालीस लाख रुपये (9129.39 करोड़ रुपये) का व्यय अनुमानित है ।

समेकित निधि का घाटा

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् वर्ष 2002-2003 में घाटा दो हजार दो सौ चौसठ करोड़ इक्यासी लाख रुपये (2264.81 करोड़ रुपये) है जबकि वर्ष 2001-2002 के पुनरीक्षित अनुमानों के आधार पर यह घाटा चार हजार एक सौ तैंतीस करोड़ चौवालीस लाख रुपये (4133.44 करोड़ रुपये) था । इस प्रकार समेकित निधि के घाटे में एक हजार आठ सौ अड़सठ करोड़ तिरसठ लाख रुपये (1868.63 करोड़ रुपये) की कमी अनुमानित है ।

लोक-लेखा से समायोजन

वर्ष 2002-2003 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिये दो हजार इक्यासी करोड़ छियानवे लाख रुपये (2081.96 करोड़ रुपये) लोक लेखा से समायोजित किये जायेंगे जबकि वर्ष 2001-2002 के पुनरीक्षित अनुमानों के अुनसार लोक-लेखा से तीन हजार चार सौ उनहत्तर करोड़ अड़तीस लाख रुपये (3469.38 करोड़ रुपये) समायोजित किये गये ।

अन्तिम शेष

वर्ष 2002-2003 में आरम्भिक शेष को लेते हुए शुद्ध घाटा नौ सौ उनसठ करोड़ छियासठ लाख रुपये (959.66 करोड़ रुपये) होना अनुमानित है । इस घाटे को भी व्यय में कमी लाकर तथा आय के स्रोतों में वृद्धि कर कम किये जाने का प्रयास किया जायेगा ।

मान्यवर,

तो यह है चालू वित्तीय वर्ष में हमारे कार्यक्रमों की एक झलक । पूरा विवरण तो आपको सम्पूर्ण बजट साहित्य में मिलेगा । आप सब सहमत होंगे कि हमारी सरकार एक ईमानदार कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश के 17 करोड़ लोगों को बेहतर, संवेदनशील, जवाबदेह, गतिशील और विकासोन्मुख प्रशासन देने की । देश का छठा हिस्सा उत्तर प्रदेश में रहता है और उत्तर प्रदेश की तरक्की का सीधा मतलब है देश की तरक्की ।

इसलिए मैं आप सबका आह्वान करती हूं कि आइये हम सब अपने राजनीतिक मतभेदों, आग्रहों, दुराग्रहों को कुछ क्षण के लिये एक किनारे रखकर जनता जनार्दन की भलाई के इन कार्यक्रमों में हर प्रकार का सहयोग करें । मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिये आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं आप सबको विश्वास दिलाती हूं कि विस्तृत चर्चा के दौरान आपकी समालोचनाओं और सुझावों का मेरी सरकार खुले मन से स्वागत करेगी ।

मंत्रि-परिषद् के अपने सभी माननीय सदस्यों की भी मैं अत्यन्त आभारी हूं कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकी हूं । मैं प्रमुख सचिव, वित्त के प्रति अपना आभार प्रकट करती हूं जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है । वित्त विभाग के अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों ने मुझे इस बजट बनाने में जो सहयोग दिया उसके लिये मैं आभार प्रकट करती हूं । मैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति भी इस हेतु आभार प्रकट करती हूं । राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूं कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया । प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए अपना आभार प्रकट करती हूं ।

अन्त में, आपके माध्यम से मैं अनुरोध करती हूं कि इस आय-व्ययक को माननीय सदन अपना अनुमोदन प्रदान करें ।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों के निरन्तर बोलते रहने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं वित्तीय वर्ष 2002-2003 का प्रदेश का बजट प्रस्तुत करती हूं ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 9 अगस्त, 2002 के नियम–51 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की इन्होंने सम्पूर्ण प्रदेश में मानक के अनुसार सफाई कर्मचारी भर्ती करने पर शासन की रोक के कारण सामान्य जन स्वास्थ्य के प्रति उत्पन्न गम्भीर खतरे के संबंध में सूचना दी है । इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । दूसरी सूचना श्री शारदानन्द अंचल, श्री कमाल यूसुफ मलिक एवं श्री माता प्रसाद पाण्डेय की है इन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के भूमि से पानी का जल स्तर कम होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है,इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । तीसरी सूचना श्री रामविशुन आजाद की है इन्होंने जनपद गोण्डा में मनकापुर मसकनवा बभनान मार्ग और मसकनवा सिकन्दरपुर मार्ग के पुनर्निर्माण के संबंध में सूचना दी है इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । चौथी

सूचना चौधरी बाबू लाल की है इन्होंने जनपद आगरा की फतेहपुरी सीकरी के अन्तर्गत पीने के पानी के भयंकर संकट के संबंध में अपनी सूचना दी है इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । पांचवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की है इन्होंने जनपद शाहजहांपुर नगर में पेयजल के भयंकर संकट के संबंध में अपनी सूचना दी है इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । छठी सूचना डा० वंकार अहमद शाह की है इन्होंने जिला व तहसील बहराइच के अन्तर्गत घाघरा नदी के गोडिया नम्बर–3 के परिवारों को आवंटित भूमि का कब्जा दिलाये जाने के संबंध में सूचना दी है इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । सातवीं सूचना श्री संजय गर्ग की है इन्होंने जिला सहारनपुर में श्रम न्यायालय की स्थापना किये जाने के संबंध में सूचना दी है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । आठवीं सूचना डा० कौशल किशोर की है इन्होंने जनपद लखीमपुर में छात्रों के दाखिले की समस्या को देखते हुए डिग्री कालेज खोलने के संबंध में सूचना दी है इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । नवीं सूचना श्री राम इकबाल की है इन्होंने चिलकहर विधान सभा क्षेत्र जिला बलिया के अन्तर्गत गढवार नगरा मार्ग से बछईपुर मार्ग तक, नगरा से रतनपुरा तक के मार्गों के निर्माण में किये जा रहे फर्जी भुगतान के संबंध में सूचना दी है इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई हैं–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री विश्राम सिंह यादव, डा० राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री मूल चन्द, श्री प्रेम पाल सिंह यादव, श्री मदन चौहान, श्री बंशीधर राज श्री राम विशुन तथा श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह ।

जिन सूचनाओं को नियम–52 में परिवर्तित किया गया है वह निम्नवत हैं :– डा० अजय कुमार, डा० यशवन्त सिंह, श्री रणवीर राणा, श्री तेजपाल सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री राजपाल सिंह ।

अब हम उठते हैं दिनांक 12-8-2002 को पुनः 11.00 बजे बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 5 बजकर 18 मिनट पर सोमवार दिनांक 12 अगस्त, 2002 को दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

दिनांक 9 अगस्त, 2002

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

नत्थी "क"

(देखिये अल्पसूचित ता० प्र० सं०–2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 2 पर ।)

सूखा राहत कार्य योजना का संक्षिप्त सार

(1) पानी की व्यवस्था हेतु नहरों को पूर्ण क्षमता से चलाने, राजकीय नलकूपों को चालू हालत में रखने, दोषपूर्ण नलकूपों को मरम्मत शीघ्र कराने आदि का उत्तरदयित्व ।	(सिंचाई विभाग)
(2) पीने के लिये पानी की व्यवस्था हेतु टैंकर/कैनवेस बैग से आपूर्ति, हैण्डपम्प, पाइप लाइन से आपूर्ति तथा पानी के परिवहन की व्यवस्था आदि का उत्तरदायित्व ।	(जल निगम, जल संस्थान, नगर विकास विभाग, राजस्व विभाग)
(3) पशुओं के चारे, भूसा, पानी तथा उनकी स्वास्थ्य रक्षा का उत्तरदयित्व ।	(पशुधन विभाग)
(4) वन भूमि में चारागाह उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करने का उत्तरदायित्व ।	(वन विभाग)
(5) मनुष्यों के स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का उत्तरदायित्व ।	(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग)
(6) खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की मांग की आपूर्ति व सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरित करने का उत्तरदायित्व ।	(खाद्य एवं रसद विभाग)
(7) खेती के लिये बीज, खाद कीटनाशक दवाइयां, फसलों का चक्रानुक्रम, नर्सरी कृषि निवेशों आदि की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व ।	(कृषि विभाग)
(8) भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों में पेयजल योजना का कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व ।	(ग्राम्य विकास तथा समाज कल्याण विभाग)
(9) निर्माण कार्यों से संबंधित अन्य विभाग भी, जो रोजगार सृजित करते हैं आवश्यकतानुसार उनका उत्तरदायित्व भी निर्दिष्ट किया जा सकता है ।	
(10) विद्युत की नियमित व पर्याप्त आपूर्ति का उत्तरदायित्व ।	(विद्युत विभाग)
(11) समाज विरोधी तत्वों व उनकी कार्यवाहियों पर नियंत्रण व दमन करने का उत्तरदायित्व ।	(गृह विभाग)
(12) निराश्रितों आदि को सहायता देने, राहत कार्यों का समुचित प्रचार का उत्तरदायित्व ।	(राजस्व/सूचना व प्रसार विभाग)

पी०एस०यू०पी०एल० 365 विधान सभा (615)–2002–813 प्रतियां (डी०टी०पी०) ।